आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
25/- ₹

फ़रवरी 2021

क्रान्ति

मासिक

लव जिहाद

ध्रुवीकरण के लिए मिथ्या प्रचार

جمال ٹورس اینڈ ٹراویلس

ہندوستان وسعودی حکومت سے منظور شدہ حج وعمرہ ٹور

عمرہ

حج

JAMAL

TOURS & TRAVELS

October Umrah Package

Lucknow - Jeddah - Lucknow

By Saudi Airline

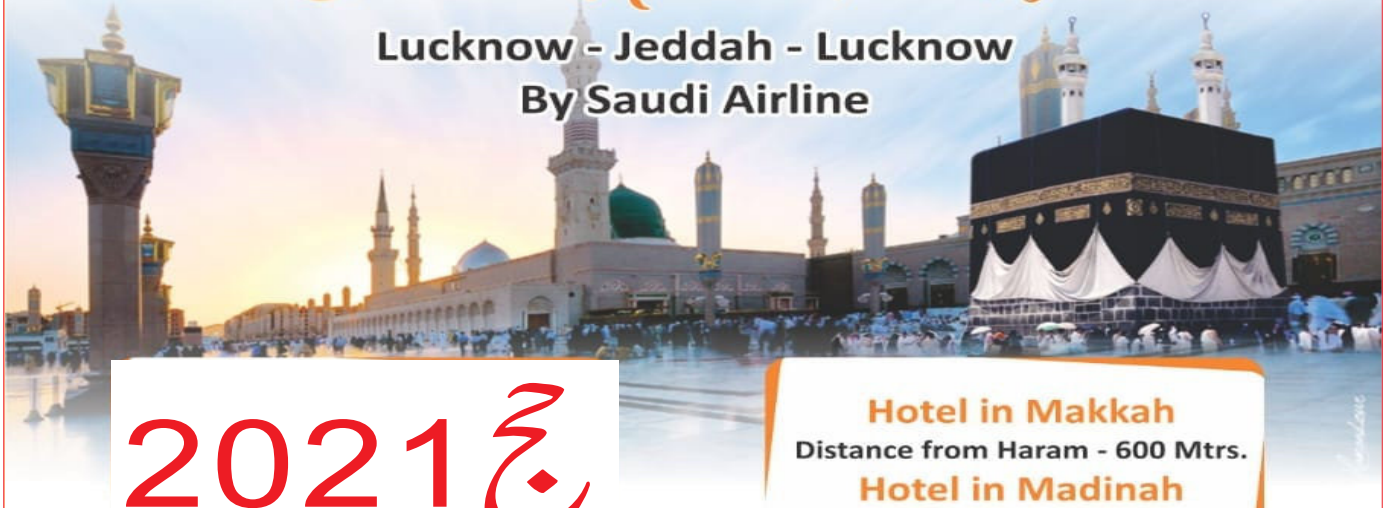

2021 حج

Hotel in Makkah

Distance from Haram - 600 Mtrs.

Hotel in Madinah

Distance from Haram - 250 Mtrs.

Branch Off.: Sarai Meer, Azamgarh, Mau, Shahganj, Sultanpur

Head off.: 108/109, New Poonam Plaza, Naya Nagar,

Mira Road (E) Thane (Maharashtra)-401107

Contact: 9554853186, 9892766882, 7718869778

E-mail: jamaltours@yahoo.com, Website: www.jamaltoursandtravels.com/in

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
रेहान मुबारक शैख़
+91 9699352114

सहयोग राशि
एक प्रति 25/- रु० वार्षिक 270/- रु०
दो वर्ष 500/- रु० पांच वर्ष 1100/- रु०
आजीवन 6000/- रु०
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/-रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए संपर्क करें :

कार्यालय:
कांति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न०
+91 8920589292

Account Detail
NAME: KANTI
A/C NO: 0990839195
IFS CODE: IDIB000J029
TYPE: CURRENT
BANK: INDIAN BANK
BRANCH: JAMIA MILLIA
ISLAMIA NEW DELHI - 110025

चेक/ ड्राफ्ट '**कांति**' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), डी-314 दावत नगर, अबुल फज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफसेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली -110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णता: प्रतिबंधित है।

वर्ष 30 अंक 4 फ़रवरी 2021



मूल प्रश्न 04
किसान आंदोलन: मूल प्रश्न की पड़ताल
शिब्ली अरसलान

चिंतन 06
धर्म की आवश्यकता
मुत्तलिब मिर्ज़ा

सौंदर्यबोध 08
रिश्तों की सुंदरता
शिरीन मरिया

मुख्य स्तम्भ 09
लव जिहाद ध्रुवीकरण के लिए मिथ्या प्रचार
डॉ नफीस अख्तर

विशेष 13
कोरोना काल की अंतर्कथा
जुनेद अली

आँखन देखी 17
दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर...
अहमद क़ासिम

जन-गण-मन 19
विरोध के जनतांत्रिक अधिकारों का दमन
मुहम्मद यूसुफ़ मुन्ना

आर्थिकी 21
आर्थिक कुप्रबंध सबसे बड़ी त्रासदी
एहसान हाश्मी

नारी विमर्श 23
मानवीय संवेदना बनाम उपभोक्तावादी नारीवाद
हुमा मसीह

शिक्षा विमर्श 25
तालीम की व्यापक अवधारणा
श्यामोली सिंह

अध्ययन चर्चा 27
जाति व्यवस्था पर गाँधी-अम्बेडकर संवाद
सहीफ़ा खान

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

साहित्यिकी 29
टूटा हुआ फूल
रहबान अली राकेश

सद्भावना 31
नास्ति येषां यश:
डॉ राजेश सरकार

इतिहास के झरोखे से 34
इतिहास का सच और सच का इतिहास
अशफ़ाक़ खान

कम्पेरेटिव रिलिजन 37
कल्कि अवतार की प्रतीक्षा
मुनव्वर हुसैन

व्यंग 40
सपने में राम
असद आज़मी

सोशल अड्डा 41
कोरोना टीके की सफलता को लेकर आशंकाएं
संपादन प्रभाग

तर्क वितर्क 43
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और अपनी क़यादत
वक़ास अहमद

रिपोर्ताज़ 45
मस्जिद परिचय
राशिद अनवर

सफर है शर्त 47
क़िस्सा जापान का
नौशीन नुशू

आख़िरी पन्ना 50
ईश्वरीय ग्रन्थ का निजीकरण
सादी इलाहाबादी

किसान आंदोलन: मूल प्रश्न की पड़ताल

देश ऐतिहासिक किसान आंदोलन से गुंजायमान है. गांव के चौपालों से लेकर सोशल मीडिया और मुख्य धारा के माध्यमों तक किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है...मौजूदा किसान आंदोलन के गर्भ से कई मूल प्रश्न पैदा होते हैं...सब से बड़ा प्रश्न तो यही है कि आख़िर खेती-किसानी प्रधान देश में लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी हुई कोई सरकार इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेती है कि वो किसानों से चर्चा किए बिना उसके हितों के विरुद्ध तीन तीन क़ानून लेकर चली आती है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ते हुए कई दूसरे प्रश्न खड़े हो जाते हैं...प्रश्न ये है कि क्या मौजूदा बीजेपी सरकार ने संसद में केवल अपने संख्या बल के अहंकार में इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का अम्बानी-अडानी जैसे कारपोरेट घरानों से विशेष संबंध है? क्या कृषि और कृषक पर संकट के बादल अचानक से उमड़ आए हैं?

सीधी और खरी बात तो ये है कि खेती किसानी के संबंध में देश की विधायिका से पारित तीनों बिल,आज नहीं तो कल आने ही थे...मोदी सरकार ने बस अपनी प्रचंड बहुमत और कोरोना संकट काल को 'आपदा में अवसर की तलाश' वाले अपने मंत्र के मुताबिक़ उपयुक्त समय समझा और मौक़े पर चौका लगा दिया...पूर्व की सरकारें, अवसर की तलाश में नाकाम रही थीं, वरना सच्ची बात तो ये है कि कॉरपोरेट घरानों से पूर्व की सरकारों की निकटता कम नहीं थी। देश में खुले बाज़ार की नीति का प्रणेता कौन है? कौन नहीं जानता...क्या गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपाई तीसरे चुनावी विकल्प की ये हिम्मत है कि वो बाज़ार और कॉरपोरेट घरानों के विरुद्ध जा सके? क्या वाम राजनीति में इतना वैचारिक दम-खम बाक़ी है कि कॉरपोरेट घरानों को नाराज़ कर सके? स्पष्ट रहे कि बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम वाम सरकारों के समय की घटनाएं हैं.

इस समय खेती किसानी पर संकट के जो बादल उमड़ आए हैं, वो अचानक बिल्कुल नहीं हैं. वर्षों से हमारी सरकारें नवपूंजीवादी विकास मॉडल की दिशा में आगे बढ़ रही हैं...सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या फिर कथित समाजवादी दलों की, सभी सर्व समेटू नवपूंजीवाद के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं...वैश्विक नव पूंजीवाद का दबाव हमारी लोकतांत्रिक सरकारों पर इतना गहरा है कि सैकड़ों किसान संगठनों और लाखों किसानों के ऐतिहासिक प्रतिरोध के बावजूद सरकार किसानों की मांगों पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रही... वास्तविकता ये है कि वैश्विक नवपूंजीवाद के मुक़ाबले में सरकारों को कोई विकल्प नज़र नहीं आता...नव-पूंजीवाद के वर्चस्व ने दुनिया को ये समझाया है कि दुनिया विकल्पहीन हो गई है...

यद्यपि भारत में 1991 में लागू किए गए 'आर्थिक सुधारों' के बाद ही से नव-पूंजीवादी विकास मॉडल का मार्ग प्रशस्त हो गया था, मगर एक जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही केंद्र सरकार ने जो 'विकास का नया मॉडल' रखने और 'भारतीय



शिब्ली अरसलान

अर्थव्यवस्था का क्रांतिकारी रूपांतरण' करने का दावा किया था, वो एक तरह से पंचवर्षीय योजना के नेहरूवादी मॉडल और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विरासत का औपचारिक अंत तथा कॉरपोरेट की आमद एवं सरकार की सिकुड़ती भूमिका का ऐलान था...

नव-पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि इसमें जनता को बाज़ार के रहम व करम पर छोड़ दिया जाता है, मुक्त बाज़ार और कॉरपोरेट व्यवस्था से उपकृत अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि कॉरपोरेट घराने राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि करेंगे, यदि राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि होगी तो इसका लाभ निर्धन जनता को पहुंचेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की औसत आमदनी में इज़ाफ़ा होगा. वे ये नहीं बताते कि दोनों के मध्य समय का फ़ासला क्या होगा और किस अनुपात में राष्ट्रीय आमदनी, ग़रीबों तक पहुंचेगी...

IMF और World Bank के एक्शन प्लान के अनुसार तीसरी दुनिया के देश इस मॉडल पर जान क़ुर्बान कर रहे हैं. 1991 के बाद से बाज़ार और पूंजी निवेश हमारी सरकारों की प्राथमिकता हो गई है. ग़ुर्बत का ख़ात्मा, सामाजिक और आर्थिक न्याय अब केवल चुनावी जुमले हैं...यूपीए सरकार के समय ही से देश में कॉरपोरेट लूट का मंज़र है. जल, जंगल और ज़मीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं, रेलवे और दूसरे पब्लिक उद्यम कॉरपोरेट लूट की वेदी पर बली के लिए तैयार हैं, खेती किसानी पर बाज़ार की गिद्ध दृष्टि है...हमारी चुनी गई सरकारें, बाज़ार की दासी बनी हुई हैं और अवाम की वेदना पर बाज़ार अट्टहास कर रहा है.

देश की आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिक नेतृत्व विशेष तौर पर पंडित नेहरू के लिए सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था में बड़ा आकर्षण था, मगर सोवियत यूनियन की नाकामी के बाद, हमने एक इंतिहा (extreme) से निकल कर दूसरी इंतिहा की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी. 1991 तक जिस समाजवादी व्यवस्था का डंका बजता था और जिस आर्थिक योजना को देश की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान समझा जाता था, उसको अब इकॉनमी की हर ख़राबी का ज़िम्मेदार समझा जाने लगा...समाजवादी चरम के बाद अब दूसरी इंतिहा (neo-capitalism) आकर्षक लगने लगी है. अब वैश्विक पूंजी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार मुल्क की निर्धनता का वाहिद इलाज समझा जा रहा है तथा कॉरपोरेट घरानों को हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने, क़ानूनों में संशोधन करने, उनके लिए नई नीति और विधि बनाने, टैक्स की व्यवस्था बदलने में सरकारें प्रतिस्पर्धा में व्यस्त हैं....

इन दोनों विचारधाराओं की बुनियादी ख़राबी ये है कि दोनों के नज़दीक सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की प्राप्ति में केन्द्रीय हैसियत सामूहिक प्रोग्राम और संस्थाओं को हासिल है. समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय और ग़रीबी का ख़ात्मा तभी संभव है जबकि पैदावार के साधन सरकारी क़ब्जे में दे दिए जाएं, जबकि नव-पूंजीवादी व्यवस्था में कॉरपोरेट घरानों के हितों की सुरक्षा और उनके विकास ही से ग़रीबों का उत्थान संभव है...इन दोनों नज़रियों और व्यवस्थाओं ने व्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात किया है और इसे शिकंजों में कस कर रख दिया है...एक जगह सारी मेहनत सरकारी सेवा के नाम और दूसरी जगह पूरा योगदान कम्पनी की वेदी पर क़ुर्बान...

अतः आवश्यकता है ऐसे विकल्प की जो दोनों चरम बिंदुओं से इतर कोई ऐसी राह सुझाए जहां व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी भी हासिल हो और उसके फ़िक्र व मिज़ाज को किसी जब्र के बिना मानव सेवा के लिए तैयार किया जाए. जहां मानव हित की रक्षा और मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण हो...इस्लाम और क़ुरआनी दर्शन एक ऐसे विकल्प का नक़्शा पेश करता है, ज़रूरत इस बात की है कि ये नक़्शा दुनिया के सामने पेश किया जाए.

"यूपीए सरकार के समय ही से देश में कॉरपोरेट लूट का मंज़र है। जल, जंगल और ज़मीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं, रेलवे और दूसरे पब्लिक उद्यम कॉरपोरेट लूट की वेदी पर बली के लिए तैयार हैं, खेती किसानी पर बाज़ार की गिद्ध दृष्टि है...हमारी चुनी गई सरकारें, बाज़ार की दासी बनी हुई हैं और अवाम की वेदना पर बाज़ार अट्टहास कर रहा है।

देश की आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिक नेतृत्व विशेष तौर पर पंडित नेहरू के लिए सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था में बड़ा आकर्षण था, मगर सोवियत यूनियन की नाकामी के बाद, हमने एक इंतिहा (extreme) से निकल कर दूसरी इंतिहा की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी।"

चिंतन



मुत्तलिब मिर्ज़ा
कोटा, राजस्थान

धर्म की आवश्यकता

...लेकिन इनसे बड़े सवाल ये हैं कि मनुष्य "क्यों पैदा हुआ है...??" "उसके जीवन का उद्देश्य क्या है...??

इन्सान हमेशा से भौतिक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ आत्मा की संतुष्टि की तलाश में रहा है, साइंस की तरक़्क़ी के साथ इन्सान ने भौतिक सुविधाओं से संबंधित बहुत कुछ ईजाद कर लिया, ज़िन्दगी वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आसान होती गयी, मशीनों के आविष्कार से क्रान्ति की लहर दौड़ पड़ी, उद्योग जगत, संचार के साधन, परिवहन के माध्यम सब में चमत्कारिक परिवर्तन मनुष्य देख रहा है, लेकिन इतनी भौतिक सुविधाओं के बावजूद ये भी एक हक़ीक़त है कि इन्सान बेचैनी का शिकार है, मानसिक विकार भी समाज में उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसका कारण यही है कि आधुनिकता की लंबी छलांग लगाने वाला इन्सान अपनी आत्मा व हृदय के सुकून व शांति के लिए अपने पास कोई सामान नहीं पाता, नर्म-गर्म बिस्तर है, लेकिन आंखों में नींद नहीं है, मकानों की जगह ऊंची-ऊंची मल्टीस्टोरी इमारतों की नींव डाली जा रही है, लेकिन घर बिखर रहे हैं, मुट्ठी में दुनिया कर लेने के ख़्वाब परोसे जा रहे हैं लेकिन इन्सानों के दरमियान फ़ासला बढ़ता जा रहा है, इन्सान सुख व शांति के लिए कभी परिंदों के समूहों को दाना डालता है, तो कभी किसी गार्डन में मनुष्यों के समूहों के साथ खड़ा होकर "ठहाके थेरेपी" से मन को शांत करने की कोशिश करता है, इन सबके माध्यम से उसे कुछ समय के लिए तो शांति मिल जाती है लेकिन वास्तविक सुख व शांति उसे प्राप्त नहीं होती।

भौतिक जीवन और मन व मस्तिष्क के सुख व शांति के लिए जो जिज्ञासा मनुष्य के अंदर पैदा होती है, उसके हल के लिए मनुष्य को धर्म की ज़रूरत होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी इन्सान के भौतिक जीवन को आसान बना सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, ये संसार कैसे बना, मनुष्य अपने जन्म में किन-किन चरणों से गुज़रा इन सबके जवाब भी साइंस देती है, लेकिन इनसे बड़े सवाल ये हैं कि मनुष्य "क्यों पैदा हुआ है...??"

"उसके जीवन का उद्देश्य क्या है...??"

ये वो सवाल हैं जिनका उत्तर साइंस नहीं देती है, और मनुष्य जितना इन प्रश्नों के उत्तरों से क़रीब होता जाता है उतना ही वास्तविक जीवन वह जीता है, सुख व शांति का एहसास उसे होने लगता है।

इन सवालों के जवाब पाने के लिए धर्म की ज़रूरत है, धर्म इन्सान को बताता है कि मनुष्य को एक बा-मक़सद ज़िन्दगी देकर दुनिया में भेजा गया है, धर्म इन्सान का ख़ुद से, समाज से और इस संसार से सही रिश्ता स्थापित करता है, मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए धर्म मनुष्य को प्रेरित करता है।

भौतिकवाद का नशा मनुष्य को स्वार्थी और सेल्फ़ सेंटर्ड बना देता है, मनुष्य की बढ़ती हुई लालसाएं उसे लालची बना देती हैं, जबकि धर्म निःस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है, ज़्यादा पाने की हवस के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए बलिदान करने का भाव मनुष्य में पैदा करता है, जैसाकि ईश्वर ने क़ुरआन में ऐसे लोगों का वर्णन करते हुए कहा-"और वो लोग जो मुहाजिरीन के आने से पहले ही मदीना में मुक़ीम थे और ईमान पर जमे हुए हैं, वे उनसे प्रेम करते हैं जो हिजरत करके उनके यहां आये हैं और जो कुछ भी उन्हें दिया गया उससे वे

अपने सीनों में कोई खटक नहीं पाते और वे उन्हें अपने मुक़ाबले में प्राथमिकता देते हैं, यद्यपि अपनी जगह वे स्वयं मुहताज ही हों। और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिया जाए ऐसे लोग ही सफल हैं।" (59:9)

धर्म से संबंधित जो ग़लतफ़हमियां धर्म का इन्कार करने वालों को हुई हैं उसकी एक बड़ी वजह धर्म की वो ग़लत परिभाषा या तस्वीर है जो मनुष्य ने ख़ुद से गढ़ी या धर्म के चोले में धर्मांधता फैलाने वालों ने दुनिया को दिखायी, धर्म की एक अवधारणा वो है जो इस संसार के रचयता ने दी है, जो मनुष्य को समाज में नैतिक मूल्यों के प्रसार और न्याय व शांति की स्थापना के लिए संघर्षरत रहने के लिए प्रेरित करती है, संसार के रचयता ने क़ुरआन में धर्म की अवधारणा का वर्णन इस तरह किया है, "नेकी यह नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब या पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी ये है कि इन्सान अल्लाह को, आख़िरत के दिन को, फ़रिश्तों और उसकी नाज़िल की हुई किताबों को और नबियों को माने और अल्लाह की मुहब्बत में अपना माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, मुसाफ़िरों और मांगने वालों पर ख़र्च करे और गर्दनें छुड़ाने में भी, और नमाज़ क़ायम करे और ज़कात दे, और नेक ऐसे लोग हैं जो अपने वादों को पूरा करें, और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में और लड़ाई के समय में जमने वाले हैं, तो ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे सिद्ध हुए और वही लोग डर रखने वाले हैं।" (2:177)

इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य जीने लगे तो फिर वह भौतिक सुविधाओं का उपयोग तो करता है, लेकिन उनका ग़ुलाम नहीं बनता, ये एहसास पैदा होने लगता है कि केवल मेरा पेट भरा हुआ न हो, मनुष्य मनुष्य से भयभीत न हो, एकांतवास के बजाय मनुष्य को ख़ुद के प्रति व समाज के प्रति ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगता है, इन्सान भ्रम से यथार्थ की तरफ़ निकल पड़ता है, ये भ्रम है कि केवल धन के दान कर देने से इन्सान की ज़िम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, यथार्थ यह है कि इन्सान का तन, मन और धन मानवता के लिए है, और तन-मन-धन की निःस्वार्थ क़ुरबानी ही इन्सान के मन व मस्तिष्क में सुकून व शांति को जन्म देती है और मन व मस्तिष्क की शांति व समृद्धि से ही समाज में शांति व समृद्धि के लिए ऊर्जा का प्रसार होता है।

वास्तविकता यह है कि धर्म से ख़ाली समाज की सोच एक अभिशाप है, जो समाज को संकीर्णता, कठोरता और निर्दयता की खाई की तरफ़ ढकेलती है।

रूस के महान लेखक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन (alexander solzhenitsyn) ने विशुद्ध भौतिकवादी विचारधारा साम्यवाद के शिकंजे में जकड़े सोवियत संघ को 'कैंसर वार्ड' बताया था तो इसी नाम से लिखे उनके नॉवेल पर उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था। उन्होंने शुद्ध भौतिकवादी पश्चिमी विचारधारा को भी इसी श्रेणी में रखा है। अन्य चिंतकों से हटकर आपकी राय है कि आध्यात्मिकता और धर्म विहीनता, विश्व की समस्याओं की जड़ बन सकती हैं। साम्यवादी रूस में यातना और निर्वासन की क़ीमत चुकाकर और पूंजीवादी पश्चिम में एक क़िस्म की उपेक्षा सहकर जिन्होंने विवेक की आवाज़ लगातार बुलंद की, उन सोल्जेनित्सिन का क़द, अपने दौर के सभी विचारकों-साहित्यकारों में ऊंचा नज़र आता है तो इसलिए कि उन्होंने उन मूल्यों की मुखर वकालत की, जिनके अभाव में साम्यवादी व्यवस्था टूट गयी और पूंजीवादी व्यवस्था लड़खड़ा रही है।

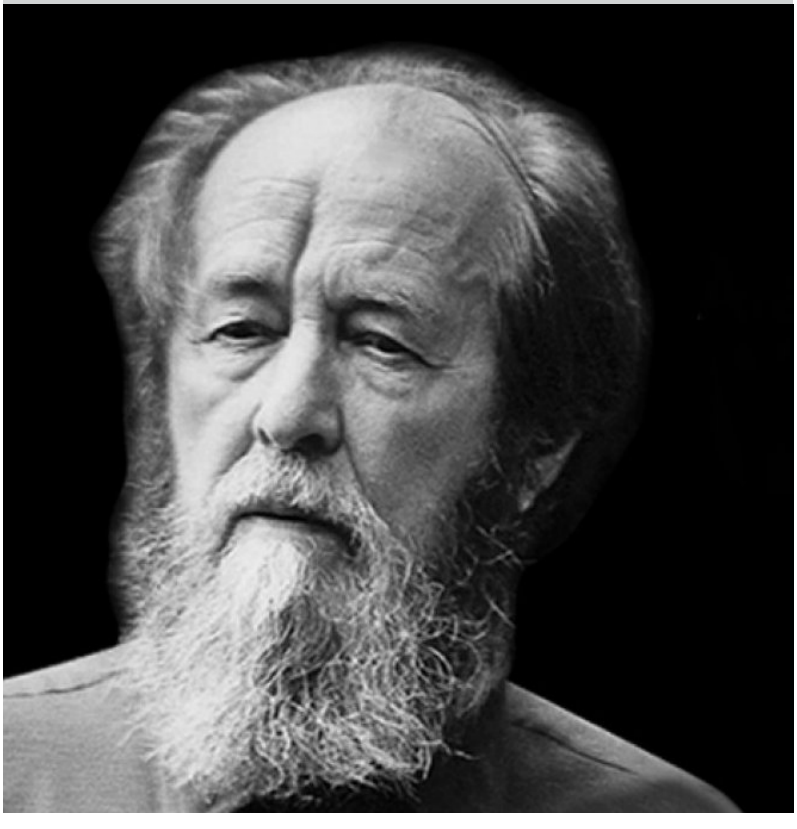

सौंदर्यबोध

शीरीन मारिया
सिवनी, म०प्र०

रिश्तों की सुंदरता

'रहिमन धाग प्रेम का मत तोड़ो चटकाय'

ईश्वर की असीम कृपा में से एक कृपा मानव जीवन को रिश्तों की डोर से बांधना है। जैसे रूह का संबंध जिस्म से, ईमान का संबंध दिल से, दिन का ताल्लुक़ सूरज से, वैसे ही ज़िन्दगी का एक ताल्लुक़ रिश्तों से है। रिश्ते की डोर इस क़द्र मज़बूती से इंसान को जोड़े हुए है कि एक शख़्स वास्तव में एक कारवां साथ लिए फिरता है।

किसी के लिए ये कारवां जीने की चाह है तो किसी के लिए एक असहनीय बोझ। अंतरात्मा की आंख से देखें तो आज के इस त्रासद दौर में निःसंदेह भाग्यशाली है वह इंसान जिसके पास निःस्वार्थ भाव से प्यार करने वाला कोमल मन है, एक दूसरे के लिए मुहब्बत से लबरेज़ ख़ूबसूरत जज़्बात हैं। जीवन के संघर्ष में साहस देने वाले हाथ हैं और ज़िन्दगी की बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों में संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले निःस्वार्थ लोग हैं!

ईश्वर के जितने भी दूत आये उन सब के केन्द्रीय संदेश को अगर हम दो बिंदुओं में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि उनका असल मक़सद बंदे का ईश्वर से रिश्ता जोड़ना और इसकी बुनियाद पर संपूर्ण विश्व को एक दूसरे के प्रति सलामती, मुहब्बत और बंधुत्व की ख़ूबसूरत माला में पिरो देना था। उनके दिलो को प्रेम के दरिया में डुबो कर इतना कोमल और मार्मिक कर देना था कि इस सृष्टि में ख़ुदा की बनाई हुई हर चीज़ में उसे सुन्दरता नज़र आये। और तमाम इंसान बिरादरीवाद रंग, नस्ल और इलाक़े से ऊपर उठकर ईश्वर की ख़ातिर एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखें। ईश्वर के अंतिम दूत, हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इस फ़रमान को इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए। आप ने फ़रमाया–

"सारी कृति अल्लाह का कुनबा है। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वे लोग हैं जो कुनबे के साथ अच्छा व्यवहार करें।"

क़ुरआन ने सामूहिक मामलों में "तक़वा (ईशभय) और अद्ल (न्याय)" पर विशेष ज़ोर दिया है। जब रिश्ते तक़वा और अदल की खाद से परवान चढ़ते हैं तो फिर उनसे मीठे और रसीले फल प्राप्त होते हैं जिनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं।

रिश्तों की ईमारत में सब से अहम स्तम्भ का नाम "एहसास" है। रिश्तों को बांधने, जोड़ने मज़बूत करने में सबसे अहम भूमिका इसी एहसास की है। जब तक एहसास ज़िंदा है तब तक रिश्ता ज़िंदा है. एहसास की मौत दरअसल रिश्ते की मौत है। ऐतबार, यक़ीन, परवाह, ईसार क़ुरबानी, मुहब्बत दरअसल किसी रिश्ते की ताक़त और उसे ऊर्जावान करने के स्रोत हैं ! वहीं कठोरता, लापरवाही, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, फरेब,चालाकी और लालच जैसे नकारात्मक एहसासात रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाते हैं। और वह सुंदरता बाक़ी नहीं रहती जो एक स्वस्थ रिश्ते के लिए दरकार है, इसी लिए कहा गया है कि–

"रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय,
जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाय। "

इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि रिश्तों की सुंदरता को बहुत सुंदरता से निभाया जाये। इसे प्यार, परवाह और एहसास से हमेशा जीवंत रखा जाये, इसमें खूबियों और ख़ामियों दोनों के लिए जगह हो, इसमें इतनी घुटन और तंगी न हो कि ख़ूबी के लिए तो जगह हों लेकिन ख़ामी के लिए कोई जगह न हो ! ज़िन्दगी दरअसल सफ़ेद और स्याह तक महदूद नहीं है इसका दामन इतना विशाल है कि इसमें सारे रंगों के लिए गुंजाइश है। इन्हीं हसीन रंगों से ज़िन्दगी की ख़ूबसूरती क़ायम है। इसी में जीवन की सुंदरता छिपी है।

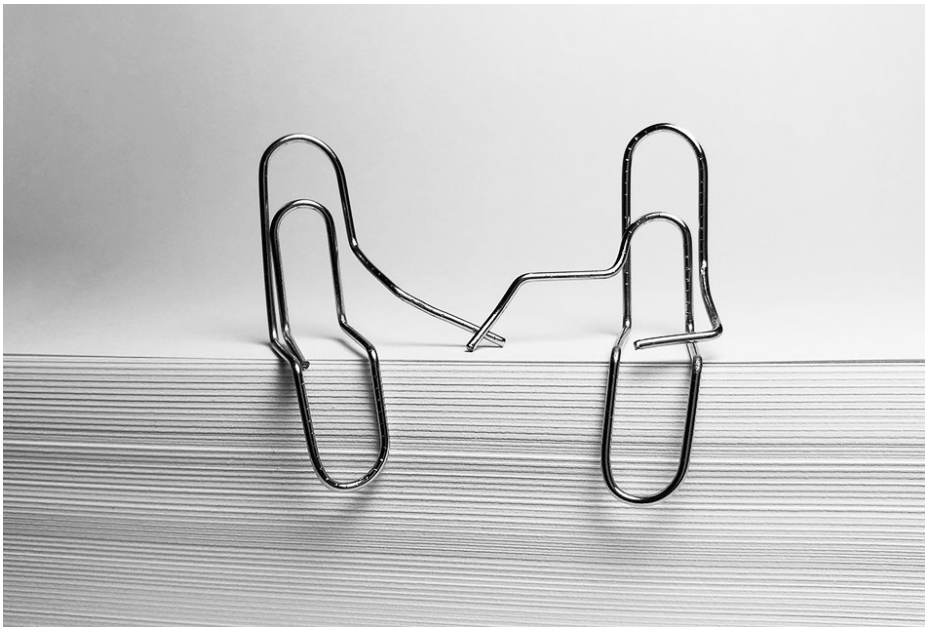

मुख्य स्तंभ

लव जिहाद

ध्रुवीकरण के लिए मिथ्या प्रचार

डॉ. नफ़ीस अख़्तर
कानपूर, यू॰पी॰

एक दशक से कुछ समय पहले साम्प्रदायिकता की कोख़ से एक मिथ्या शब्दावली "लव जिहाद" का जन्म हुआ था। जो वास्तविकता से दूर होने के बावजूद धीरे-धीरे जनमानस को दूषित करते हुए अब धुर्वीकरण की राजनिति का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। 2005 के आसपास कर्नाटक आधारित एक चरमपंथी संस्था " राम सेना" के संस्थापक प्रमोद मुथालिक ने इस मिथ्यानाम (Misnomer) का आविष्कार एक झूठे प्रचार के उद्देश्य से किया था कि मुसलमान युवक हिन्दू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यह काम वे कुछ तथाकथित भूमिगत इस्लामी संगठनों के तत्वाधान में करते हैं जिन्हें विदेशों से धन मिलता है ताकि भारत को एक मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र बना दिया जाए। मुसलमान युवक हिन्दू युवतियों को रिझाने के लिए महंगे मोबाइल फ़ोन, स्टाइलिश मोटर बाइक तथा लुभावने उपहारों का सहारा लेते हैं और फ़र्ज़ी हिन्दू नाम का भी इस्तेमाल करते हैं।

सौ साल पहले आर्य समाज और हिन्दू महासभा भी नफ़रत और साम्प्रदायिकता का वातावरण बनाने के लिए इसी झूठे प्रोपैगंडे का प्रयोग कर चुकी है तब इसे लव जिहाद के बजाय हिंदू युवतियों के अपहरण की संज्ञा दी गयी थी। 1909 में कर्नल यूएन मुखर्जी ने हिन्दू महासभा के लिए एक किताब "Hindu A dying race" लिखी थी जिसमें भारत से हिन्दुओं के विलुप्त हो जाने का डर दिखाया गया था। तत्पश्चात देश में हिन्दुओं के अल्पसंख्यक हो जाने का निराधार डर सांप्रदायिक शक्तियों का एक राजनैतिक शस्त्र बनता रहा है। हालांकि तब से अब तक हिंदू आबादी में आठ गुना वृद्धि हो चुकी है और तब से लेकर अब तक मुसलमानों की तरफ़ से धर्म परिवर्तन के लिए षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका है।

अक्तूबर 2009 में जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के चमराज नगर जनपद की एक बालिका के पिता की ओर से दाख़िल हैबिअस कार्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस को लव जिहाद के सभी मामलों की जांच का आदेश दिया था तो यह पहली बार था जब किसी माननीय अदालत ने लव जिहाद के मामलों का संज्ञान लिया



था। यद्यपि उसी साल के आख़िर में न्यायालय में प्रस्तुत केरला और कर्नाटक पुलिस की संयुक्त जांज रिपोर्ट में ख़ुलासा किया गया था कि लव जिहाद की कोई घटना कहीं घटित नहीं हुई है, लेकिन लव जिहाद के अदालत के संज्ञान में आने से इस मिथ्या शब्दावली को एक तरह का वज़न तो मिल ही गया था।

रहे, लेकिन किसी मामले में भी लव जिहाद जैसे किसी षड्यंत्र के कोई साक्ष्य नहीं मिल सके और यह केवल हिन्दुत्ववादी संगठनों का एक दुष्प्रचार ही सिद्ध होता रहा है।

लव जिहाद के झूठे प्रचार से हिन्दुत्ववादी संगठन एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति का इरादा रखते हैं। एक तो यही कि यह

अंतर-धार्मिक विवाह का चलन भारत में नहीं है और न ही सभी अंतर-धार्मिक विवाहों में धर्म परिवर्तन होता है। राज्य सरकारें तो इसका लेखा-जोखा नहीं रखती हैं, लेकिन 2005 में मेरीलेंड विश्वविद्यालय तथा नेशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड रिसर्च द्वारा किए गये मानव विकास शोध के अनुसार 15 से 48 वर्ष की महिलाओं में से केवल 2.2 प्रतिशत के विवाह ही अंतर-धार्मिक हुए हैं। फिर जिन मामलों में धर्म परिवर्तन होता है उसके पीछे किसी षड्यंत्र के बजाय कुछ दूसरे कारण होते हैं। एक यह कि कई मामलों में एक महिला अथवा पुरुष बहुत पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किए हुए होते हैं बाद में जब कभी वे अपने परिवर्तित धर्म की महिला या पुरुष से शादी करते हैं तो उसे भी अंतर-धार्मिक श्रेणी में रखा जाता है और यदि महिला का परिवर्तित धर्म इस्लाम हो तो सांप्रदायिक शक्तियां उसे लव जिहाद का मामला बताने लगती हैं। जैसा कि हादिया और शाफ़ीन केस में हुआ है।

7 साल बाद बहुचर्चित हादिया-शाफीन केस में जब केरला हाईकोर्ट ने हादिया के पिता अशोकन की हैबिअस कार्पस याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए दोनों की शादी को रद्द कर दिया था और हादिया को अशोकन की कस्टडी में दे दिया था तो लव जिहाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को पलटते हुए दोनों की शादी बहाल कर दी और दोनों को साथ रहने का अधिकार बहाल कर दिया। इसके अलावा भी लव जिहाद के कथित मामले न्यायालयों में आते

हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध लाम्बंद करने का सस्ता हथियार है और इसके ज़रिये सांप्रदायिक तनाव पैदा करके विभाजनकारी राजनीति करना आसान है। दूसरे यह कि ये लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के नागरिक अधिकारों को पसंद नहीं करते हैं, और लव जिहाद के बहाने ख़ास तौर से किसी हिन्दू महिला के स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को बाधित करने या उसकी बलात् घर वापसी कराने का अपराध करना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाओं के धर्म परिवर्तन को तो ये घर वापसी के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं जबकि हिन्दू महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। जैसा कि कोबरा पोस्ट और गुलेल के स्टिंग आपरेशन जूलियट में दावा किया गया है कि किस तरह से भाजपा, संघ परिवार के नेता ब्लैकमेलिंग, धमकी और हिंसा के द्वारा बलात् घर वापसी और अंतर-धार्मिक विवाहों को तोड़वाने का काम खुलेआम करते रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है और यह स्वतंत्रता बहरहाल हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित होनी चाहिए।

शादी के लिए जीवन साथी चुनना भी प्रत्येक व्यस्क का संवैधानिक अधिकार और उसका निजी मामला है। चाहे उसका जीवन साथी उससे अलग धर्म का मानने वाला ही क्यों न हो। सांस्कृतिक फासीवाद को इस संवैधानिक अधिकार से भी चिढ़ है। इसलिए वह लव जिहाद के बहाने अंतर-धार्मिक विवाहों को भी निशाना बनाता है। अंतर-धार्मिक विवाह का चलन भारत में नहीं है और न ही सभी अंतर-धार्मिक विवाहों में धर्म परिवर्तन होता है। राज्य सरकारें तो इसका लेखा-जोखा नहीं रखती हैं, लेकिन 2005 में मेरीलेंड विश्वविद्यालय तथा नेशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड रिसर्च द्वारा किए गये मानव विकास शोध के अनुसार 15 से 48 वर्ष की महिलाओं में से केवल 2.2 प्रतिशत के विवाह ही अंतर-धार्मिक हुए हैं। फिर जिन मामलों में धर्म परिवर्तन होता है उसके पीछे किसी षड्यंत्र के बजाय कुछ दूसरे कारण होते हैं। एक यह कि कई मामलों में एक महिला अथवा पुरुष बहुत पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किए हुए होते हैं बाद में जब कभी वे अपने परिवर्तित धर्म की महिला या पुरुष से शादी करते हैं तो उसे भी अंतर-धार्मिक श्रेणी में रखा जाता है और यदि महिला का परिवर्तित धर्म इस्लाम हो तो सांप्रदायिक शक्तियां उसे लव जिहाद का मामला बताने लगती हैं। जैसा कि हादिया और शाफ़ीन केस में हुआ है। दूसरे यह कि भारतीय परंपरा अनुसार शादी के बाद पति का घर अर्थात् ससुराल ही उसका अपना घर होता है। इसलिए वह स्वेच्छा से सामंजस्य और सद्भावना के उद्देश्य से



ससुराल की धार्मिक परंपराओं को अपना लेती हैं। जरूरी नहीं है कि शादी के लिए उसे ऐसा करने पर पति ने बाध्य किया हो। तीसरे यह कि यदि बिना धर्म परिवर्तन किए दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहें तो उनके लिए एकमात्र रास्ता स्पेशल मैरिज एक्ट है। इसके तहत ज़िले के मैरिज अफ़सर यानी एसडीएम को सारे ज़रूरी दस्तावेज़ सहित सूचित करना होता है। जिसके बाद वह एक नोटिस तैयार करता है जिसमें नाम पता समेत यह लिखा होता है कि यह दोनों फ़लां दिन और तारीख़ को आपस में विवाह करना चाहते हैं यदि किसी को आपत्ति हो तो वह तीस दिन के अंदर पेश करे। यह नोटिस तीस दिनों तक कोर्ट परिसर में लगा रहता है तथा उसके माता-पिता के पास भी भेज दिया जाता है। आपत्ति न होने की स्थिति में ही विवाह संपन्न हो पाता है। चूंकि प्रेम विवाह आमतौर से माता-पिता की मर्ज़ी के विरुद्ध होते हैं, इसलिए उनकी तरफ़ से आपत्ति की पूरी संभावना होती है, और अंतर-धार्मिक विवाह की जानकारी सार्वजनिक हो जाने की वजह से कट्टरपंथी संगठनों का ख़तरा बना रहता है। इन कारणों से प्रेमी युगल के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट कोई अच्छा ऑपशन नहीं है और उन्हें कोर्ट मैरिज के लिए पर्सनल लॉ का रास्ता अपनाना ही उचित लगता है जिसके लिए आवश्यक है कि महिला व पुरुष दोनों एक धर्म के हों। अतः दोनों में से किसी एक को धर्म परिवर्तन करना होता है।

यह वास्तविकता है कि अंतर-धार्मिक विवाहों में लव जिहाद जैसे किसी षड्यंत्र की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन 2005 में राम सेना की आविष्कार की हुई इस झूठी शब्दावली का 2007 में दक्षिण कर्नाटक में दक्षिण पंथी संस्था हिन्दू जनजागृति समिति ने ख़ूब प्रोपैगंडा किया। फिर उत्तर भारत में फ़र्ज़ी कहानियों और अफ़वाहों के सहारे नवनिर्मित बीजेपी आईटी सेल ने लव जिहाद के नाम पर वातावरण में इस क़दर तनाव भर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में भयानक दंगे भड़क उठे, जिसमें 62 लोग मारे गये और 50,000 लोग बेघर हो गये। लगभग उसी समय अमित शाह भाजपा की तरफ़ से उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गये। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके बाद इस विभाजनकारी दुष्प्रचार को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। जिसका फ़ायदा उन्हें इलेक्शन में मिला भी।

लव जिहाद की वास्तविकता न होने के बावजूद उसके विरुद्ध योगी सरकार का अध्यादेश जनमानस में विधि निर्माण द्वारा उसके वास्तविक होने का भ्रम पैदा करने की एक कोशिश है। अध्यादेश का प्रावधान केवल इसलिए है ताकि जब सदन न चल रहा हो तो आकस्मिक स्थिति में सरकार को विधायी कार्यवाही के लिए सक्षम बनाया जा सके। यह एक तरह का अस्थाई अधिनियम होता है। फिर एक ऐसा मामला जिसका कोई प्रमाण भी उप्लब्ध नहीं है उसके विरुद्ध अध्यादेश लाने की योगी सरकार को क्या जल्दी थी कि सदन के चालू होने का इंतेज़ार

तक नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार नफ़रती एवं ध्रुवीकरण के मुद्दों को निरंतर गरम रखना चाहती है, और जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के उद्देश्य से ऐसे क़दम उठाती रहती है ताकि उसके निकम्मेपन पर परदा पड़ा रहे?

अपनी पसंद का धर्म अपनाना और अपने जीवन साथी का चयन करना दोनों

यह क़ानून महिला विरोधी सोच का नमूना है। इसमें एक महिला को चाहे वह किसी युनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर ही क्यों न हो एक अव्यस्क बालक की श्रेणी में रखा गया है अर्थात् यह माना गया है कि वह बुद्धि विवेक में पुरुषों से कमतर और अपने बारे में निर्णय कर पाने में अक्षम है। उसे आसानी से लालच, धोखा और बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। इसलिए महिला, अव्यस्क तथा एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामले में सज़ा को बढ़ाकर दस साल और जुर्माना राशि को 25000 तक किया गया है। लव जिहाद का पूरा अभियान ही महिला को विवेकहीन साबित करता है जो किसी युवक के हाथ में महंगा फ़ोन देखकर बिना उसके बारे में ठीक से जाने प्रेम विवाह कर बैठती है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है, इसलिए किसी सरकार का उसमें क़ानूनी बाधाएं डालना उचित नहीं है। नवीन अध्यादेश के अनुसार किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए दो महीने पहले ज़िला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। ज़िला प्रशासन अनुमति देने से पहले इस बात की जांच करेगा कि धर्म परिवर्तन वैध है अथवा नहीं। अवैध होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि उसे चूड़ियों का एक सेट या उससे भी छोटा कोई उपहार दिया गया हो, जिसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 के तहत प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना माना जाएगा। प्रलोभन की परिभाषा इस अध्यादेश में इतनी व्यापक है कि एक अधिकारी के लिए किसी भी धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित करना बहुत आसान है। भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत किसी अवैध धर्म परिवर्तन के केस में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। और संवैधानिक अधिकार होने के नाते उसे तब तक वैध माना जाता है जब तक अन्यथा साबित न हो जाए। नया क़ानून अभियुक्त पर ही उसका अवैध न होना साबित करने की ज़िम्मेदारी डाल देता है और धर्म परिवर्तन को तब तक अवैध मानता है जब तक कि उसकी बैधता साबित न हो जाए। यह न्याय की सर्वमान्य परंपरा के विरुद्ध है कि एक अभियुक्त को तब तक दोषमुक्त माना जाना चाहिए जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। धर्म परिवर्तन की वैधता न साबित कर पाने पर यह एक ग़ैर ज़मानती संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसमें एक साल से पांच साल की सज़ा और 15000 जुर्माने का प्रावधान है। यह क़ानून महिला विरोधी सोच का नमूना है। इसमें एक महिला को चाहे वह किसी युनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर ही क्यों न हो एक अव्यस्क बालक की श्रेणी में रखा गया है अर्थात् यह माना गया है कि वह बुद्धि विवेक में पुरुषों से कमतर और अपने बारे में निर्णय कर पाने में अक्षम है । उसे आसानी से लालच, धोखा और बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। इसलिए महिला, अव्यस्क तथा एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामले में सज़ा को बढ़ाकर दस साल और जुर्माना राशि को 25000 तक किया गया है। लव जिहाद का पूरा अभियान ही महिला को विवेकहीन साबित करता है जो किसी युवक के हाथ में महंगा फ़ोन देखकर बिना उसके बारे में ठीक से जाने प्रेम विवाह कर बैठती है।

लव जिहाद अध्यादेश हिन्दुत्ववादी हिंसक भीड़ को अंतर-धार्मिक विवाह संबंधों ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक टूल बन जाएगा। तथा पुलिस में मौजूद सांप्रदायिक सोच के अधिकारियों को उन्हें परेशान करने का लाइसेंस दे देगा। अभी से उसके नमूने भी दिखाई देने लगे हैं। मुरादाबाद की एक युवती को 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से पकड़ कर कांठ थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। फिर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते पुलिस ने उसकी मां से तहरीर लेकर मुक़दमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने युवती को नारी निकेतन भेज दिया जहां ठीक से देखभाल न होने के कारण उसे गर्भपात की पीड़ा से गुज़रना पड़ा । उनके पति और जेठ को ज़बरन धर्मांतरण के आरोप में जेल भेज दिया गया। उस समय युवती ने अपनी उम्र 22 साल बताई थी और छह महीने पहले अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज करना बताया था। बाद में अदालत ने आरोप सही न पाकर उसके पति और जेठ को रिहा कर दिया। इसी प्रकार हिन्दुत्ववादी संगठनों के दबाव में अन्य जगहों पर तेज़ी से हो रही गिरफ़्तारियों और जबरिया विवाह तुड़वाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश समेत अन्य बीजेपी शासित प्रदेश भी या तो इसी राह पर आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ना चाह रहे हैं।

अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 100 से भी अधिक पूर्व अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कड़े और स्पष्ट शब्दों में लिखे गए पत्र में ब्यूरोक्रेट्स ने चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि प्रदेश 'नफ़रत, भेदभाव और कट्टरता का केंद्र' बन गया है। अधिकारियों ने लव जिहाद अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। ज़रूरत कि देश के सभी कोनों से संविधान विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। इस्लाम भी धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थक है। क़ुरआन में साफ़ शब्दों में कहा गया है कि धर्म के संबंध में किसी तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती की अनुमति नहीं है। इसी लिए मुसलमान बलात् धर्म परिवर्तन को इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत समझते हैं। इसी कारण मुसलमानों में इस तरह की किसी प्रैकटिस का वजूद नहीं है।

विशेष



जुनैद अली
सतना, म.प्र

कोरोनाकाल की अन्तर्कथा

स्वास्थ्य संकट और आर्थिक व राजनीतिक त्रासदी

इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, इतिहास में महामारियों के प्रकोपों ने दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हुए वैश्विक मंच पर आकस्मिक अंदाज़ में बदलाव लाने का काम किया है। इतिहास के पन्नों में महामारियों के कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन हुए हैं। महामारियों ने जहां स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन स्थितियों को निर्मित किया, वहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम बने। महामारियों के प्रभावों से सत्ता परिवर्तन हुए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार भी हुआ और इनके दायरों में संकुचन भी आया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रभावों से पूरी दुनिया जूझ रही है,अब तक करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। पश्चिमी दुनिया के अधिकतर विकसित देश, इस महामारी के केंद्र में हैं। कोरोना वायरस विकासशील देशों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई और विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के अक्षम और कमज़ोर ढांचे की पोल खोल कर रख दी है। यूरोपीय संघ अपने 50 करोड़ नागरिकों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ दिखा। कोरोना महामारी से पूरा यूरोप भारी तनाव से जूझ रहा है। यूरोपियन यूनियन को धार्मिक और अन्य सामाजिक परंपराओं के आधार पर अखंडता के आदर्श के रूप में देखा जाता था, लेकिन यूरोपीयन यूनियन मुल्कों की एकजुटता महामारी के दौर में निरंतर कमज़ोर होती गई, यहां तक कि इटली के प्रधानमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कोरोना संकट के समय यूरोपीय संघ की निष्क्रियता से कई परियोजनाएं समाप्त हो सकती हैं। यूरोपीय संघ द्वारा जारी किया गया 500 अरब यूरो के राहत का एलान बहुत विलंब से हुआ और संकट की भीषणता के मद्देनज़र यह राशि अपर्याप्त है।

अमेरिका कोरोना वायरस के संकटों से बड़े स्तर पर जूझता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका में चिकित्सकीय उपकरणों की

महामारियों के इतिहास को सामाजिक आयामों में विस्तारपूर्वक देखा जाए तो संक्रमण के संकट के समय पर सामाजिक ताने-बाने में बड़ी साज़िशों और अफ़वाहों की बातों को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाना एक तय कार्यक्रम और निश्चित प्रतिरूप रहा है। पूर्व में जब एंतोनियन प्लेग उत्पन्न हुई, उस समय रोम के शासक ने इसके लिए ईसाइयों को क़सूरवार बताकर अपमानित करने का प्रयास किया। चौदहवीं शताब्दी में ईसाइयों के दबदबे वाले यूरोप में जब ब्लैकडेथ महामारी का संक्रमण फैला, तब संक्रमण के प्रसार को लेकर यहूदियों को कठघरे में खड़ा किया गया और अब कोरोना वायरस प्रभाव में भी कुत्सित मानसिकता की श्रृंखला जारी है। भारत में तब्लीग़ी जमाअत (एक मुस्लिम प्रकोष्ठ) को कोरोना वायरस प्रसार के संदर्भ में गंभीर रूप से आरोपित और प्रताड़ित किया गया।



भारी कमी हुई, डॉक्टरों तक को मास्क और पीपीई किटों को लेकर बड़े स्तर पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इन सब बातों का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि दुनिया में अमेरिका की चमक और चौधराहट को कोरोना वायरस महामारी ने ग्रहण लगा दिया है। सन् 2008 में आई वैश्विक मंदी के बाद, महामारी के चलते यह दूसरा बड़ा मौक़ा है जब अमेरिका लड़खड़ाते हुए दिख रहा है। जबकि कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में चीन शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य एशियाई देशों ने भी अपनी स्थिति को मज़बूत बनाए रखा।

महामारियों ने अलग-अलग समय में सम्पूर्ण विश्व पर न केवल स्वास्थ्य के पहलू से गंभीर प्रभाव डाला बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़े उलटफेर को लेकर सशक्त भूमिका का सूत्रपात किया। कोरोना वायरस काल में जिस प्रकार से बड़े देशों के बीच आरोप- प्रत्यारोप और संघर्ष की भावना में बढ़ोत्तरी का दौर देखा गया, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह दौर वैश्विक राजनीति में प्रमुख शक्ति परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है। अब तक लगभग सभी संक्रमण कालों में संसाधनों एवं सैन्य क्षमताओं से विकसित देशों के बीच शक्ति प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई है बल्कि इसमें कहीं अधिक विस्तार होता रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संकेत उभर रहें हैं,उस आधार पर वैश्विक शक्ति संरचना में व्यापक परिवर्तन का आभास होता है। इस बात की भी प्रबल संभावनाएं हैं कि जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स और मार्केट ब्लॉक्स कार्यशील हैं और जो भविष्य में बनेंगे,उनका दायरा मात्र आर्थिकी तक सीमित न होगा बल्कि उनमें भू-राजनीतिक और अन्य सामरिक दृष्टि और हित सम्मिलित रहेंगे।

नवीन सहस्राब्दी के आरंभ से ही वैश्विक बहुपक्षवाद को निरंतर चुनौतियां मिल रही थीं और अब कोरोनाकाल ने स्पष्ट रूप से बहुपक्षवाद की दुर्बलताओं को उजागर कर दिया। कोरोनाकाल में अधिकांश देश आत्म-केंद्रित हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय सुस्त पड़ा। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता और विश्वशनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न उठे,बल्कि वास्तविकता यह है कि वर्तमान परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होना, सबसे सकारात्मक पहल थी, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ को उन्हीं से चुनौती मिल रही है जो बहुपक्षवाद के प्रबल समर्थक रहे थे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सामंजस्य के बिना शांति और स्थिरता को स्थापित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वैश्विक शांति और विकास को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु अब संघ को इन्हीं आधारों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का इरादा ज़ाहिर करना, यथार्थ में बहुपक्षवाद से पीछे हटना ही था और इस आधार पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैश्विक एकजुटता में विखंडन की शुरुआत हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग की भावना भारी गिरावट दर्ज कर रही है।

कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रवाद या अतिराष्ट्रवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी को साफ़तौर से देखा जा सकता है। कोरोना वायरस के मुक़ाबले में अपर्याप्त योजनाएं और अक्षम नेतृत्व के सम्मिश्रण ने मानवता को गंभीर क्षति पहुंचाई है। लोकतांत्रिक और

तानाशाही सरकारें महामारी संकट के प्रबंधन के लिए आपातकालीन युक्ति अपना रही हैं, लेकिन अतिरिक्त शक्तियों के ज़रिए सरकारें जनता को सुविधाएं और राहत पहुंचाने में कम, बल्कि अपने वर्चस्व को क़ायम रखने और अपनी जड़ों को मज़बूत करने के लिए अधिक ज़ोर लगा रही हैं और इस बात की संभावना बहुत क्षीण है कि आपातकालीन दौर बीतने के बाद सरकारें अतिरिक्त शक्तियों को त्यागने के लिए स्वेच्छा से राज़ी हो जाएंगी। यदि वैश्विक स्तर पर जो रुझान मिल रहें हैं उस आधार पर पूरी स्थिति को संक्षेप में समझा जाए तो कोरोनाकाल के बाद की दुनिया में लोगों के आवागमन पर कठोर प्रतिबंध, सीमित स्वतंत्रता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। कोरोना वायरस का क़हर उन्हीं मुल्कों पर ज़बरदस्त तरीक़े से टूटा जिन देशों में नेतृत्व अक्षम,अपर्याप्त योजनाएं और लचर व्यवस्था रही हैं।

कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की आड़ में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र विरोधी राजनीति और अधिनायकवाद के साथ निरंकुशता के रुझानों में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट का सिलसिला पिछले एक दशक से निरंतर जारी है,जिसे महामारी ने तीव्रता प्रदान की है। पूर्व में अमेरिका स्थित चर्चित संस्था 'फ्रीडम हाउस' ने 2019 की घटनाक्रमों पर आधारित जारी किए गए अपनी रिपोर्ट 'लोकतंत्र और बहुलवाद पर हमला' में कहा कि वैश्विक स्वतंत्रता में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज हुई है,विश्व स्तर पर 64 देशों में लोकतांत्रिक मूल्य पहले की तुलना में घटे हैं और कई देशों में लोकतंत्र की जड़ें निरंतर कमज़ोर हो रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान, विश्व में तानाशाही के रुझान बढ़ने के अनेकों मामले सामने आए हैं, कहीं सत्तापक्षों के द्वारा एकतरफ़ा निर्णय किए जा रहे हैं, कहीं सरकार के विरुद्ध लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, कहीं सरकारें विपक्ष पर हमले कर रही हैं और कहीं अपने ही देश की जनता के एक विशेष वर्ग को दमनकारी नीतियों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है।

पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंश है लेकिन कोरोना वायरस संकट के दौरान मीडियाकर्मियों पर होने वाले हमलों में तेज़ी दर्ज हुई। दुनिया के कई देशों की सरकार ने पत्रकारों को प्रताड़ित करते हुए ख़बरों को सेंसर करने के लिए दबाव डाला, पत्रकारों की गिरफ़्तारियां बढ़ी और मीडिया के ऐसे धड़े में बढ़ोत्तरी हुई, जो पूरी तरह से सरकार का पक्ष लेते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वी-डेम की रिपोर्ट के मुताबिक़ जी-20 के सभी प्रमुख देश और दुनिया के सभी क्षेत्र अब 'निरंकुशता की तीसरी लहर' से गुज़र रहे हैं।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर सरकारें और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपातकालीन नियमों के ज़रिए बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी कर रही हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोगों की निजी जानकारियों का इस्तेमाल सरकार अपने आपको मज़बूत बनाने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने लाभ के लिए नहीं करेंगी। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस (एआई) का उपयोग उन्नत और प्रभावशाली डिजिटल औज़ारों के ज़रिए किया जा रहा है, ताकि व्यापक स्तर पर आंकड़ों को जुटाकर समय पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, किंतु इस डिजिटल तकनीक के द्वारा लोगों के जीवन में बढ़ता दख़ल, तकनीक के अनुचित उपयोग होने के साथ इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। महामारी की आड़ में कई देशों की सरकारों ने व्यापक निगरानी व्यवस्था को अनुमति प्रदान की है, जिसका पूर्व में भारी विरोध हुआ था और पूरे निगरानी कार्यक्रमों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। वास्तविकता यही है कि कोरोना वायरस के दौर में सेहत के अलावा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की भी बड़ी जांच होना निश्चित है, अनुपयुक्त निर्णय और चूक का सीधा प्रभाव लोगों की स्वतंत्रता पर पड़ेगा।

महामारियों के इतिहास को सामाजिक आयामों में विस्तारपूर्वक देखा जाए तो संक्रमण के संकट के समय पर सामाजिक ताने-बाने में बड़ी साज़िशों और अफ़वाहों की बातों को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाना एक तय कार्यक्रम और निश्चित प्रतिरूप रहा है। पूर्व में जब एंतोनियन प्लेग उत्पन्न हुई, उस समय रोम के शासक ने इसके लिए ईसाइयों को क़सूरवार बताकर अपमानित करने का प्रयास किया। चौदहवीं शताब्दी में ईसाइयों के दबदबे वाले यूरोप में जब ब्लैकडेथ महामारी का संक्रमण फैला, तब संक्रमण के प्रसार को लेकर यहूदियों को कठघरे में खड़ा किया गया और कोरोना काल में भी कुत्सित मानसिकता की श्रृंखला जारी है। भारत में तब्लीग़ी जमाअत (एक मुस्लिम प्रकोष्ठ) को कोरोना वायरस प्रसार के संदर्भ में गंभीर रूप से आरोपित और प्रताड़ित किया गया। इसी के साथ कोरोना वायरस की महामारी को लेकर विभिन्न अफ़वाहों का दौर जारी है, कोविड-19 के लिए चीन को ज़िम्मेदार बताकर संक्रमण को चीनी वायरस घोषित किए जाने के साथ 5जी तकनीक को भी निशाने पर लिया गया।

संकट और महामारियों के प्रकोपों में सामाजिक स्तर पर लोग बहुत तेज़ी से बंटते रहे और यह विधिवत जारी है, इस आधार पर आपसी संघर्ष की भावना में बढ़ोत्तरी हुई और संकीर्ण विचारधाराओं का अत्यधिक प्रसार हुआ। महामारी संकट में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय और समानता जैसे विचार अपने आप में बड़ी चुनौती बनते रहे हैं। अमेरिका में अश्वेत समुदाय के लोग कोरोना वायरस से अधिक संख्या में संक्रमित हुए और उनमें मृत्यु दर भी अधिक रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिकागो में अश्वेतों की संख्या कुल जनसंख्या की मात्र एक तिहाई है लेकिन कोरोना वायरस के प्रभाव से मरने वालों में इनका आंकड़ा 70 प्रतिशत है। यह स्पष्ट है कि जिन देशों में व्यापक विषमता है वहां इस महामारी का प्रभाव गंभीर रूप में है। महामारी ने सामाजिक विषमता की खाई को कहीं अधिक गहरा और चौड़ा बना दिया है। महामारी भले अमीर और ग़रीब के बीच



भेदभाव न करे लेकिन ग़रीब बदहाल स्थितियों में होने के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, यदि संक्रमण से बच भी जाएं, परंतु जीविकोपार्जन का प्रबंध उनके सामने कठिन चुनौती पेश करती है।

कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों से महिलाओं का जीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, सामाजिक जीवन पर पाबंदियों का गहरा असर हुआ और लॉकडाउन अवधि में पारिवारिक जीवन भारी दबाव में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक असमानता में हुई बढ़ोत्तरी के मामले, महिलाओं को 25 वर्ष पीछे धकेल सकते हैं। आर्थिक तौर पर संक्रमण के दौरान महिलाओं को पुरुषों के मुक़ाबले कहीं अधिक रोज़गार से निकाला गया और घरेलू हिंसा में हो रही वृद्धि ने महिलाओं के जीवन को यातनापूर्ण बना दिया।

आर्थिक क्षेत्र में महामारी ने असमानता की गहरी लकीरें खींच दी। पूंजी आधारित शक्तियों को पहले के मुक़ाबले कहीं अधिक मज़बूती मिली जबकि बेरोज़गारी में तहाशा वृद्धि हुई और दुनिया की बड़ी आबादी निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी की ओर बढ़ रही है। कोरोना काल के दौरान बुनियादी सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार से अफ़रा-तफ़री का माहौल रहा, इसके मद्देनज़र राष्ट्रों ने आत्म-निर्भरता और आत्म-केंद्रित होने पर अधिक ज़ोर दिया है, जिसके आधार पर वैश्वीकरण की नीतियों का पुनर्निरिक्षण और उसके औचित्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों से बने हालात में यह साफ़ है कि दुनिया के देश आर्थिक वैश्वीकरण और उदारीकरण के मार्ग से विचलित हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन पिछले कई वर्षों से गहरे संकट में है और महामारी के दौर ने अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। महामारी की शुरुआत से ही अर्थतंत्र की गंभीर चिंताएं रहीं हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने के आईएमएफ के अनुमान ने बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया। आईएलओ के अनुमानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर लाखों नौकरियों पर तलवारें लटक रही है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा संकट, कई देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है, जिससे व्यापक स्तर पर अशांति और अस्थिरता फैल सकती है।

मानवजाति भले ही भौगोलिक सीमाओं, नस्ल, धर्म, जाति और आर्थिक तौर पर बटी हो लेकिन महामारी कोई विभेद नहीं करती है और उसका व्यवहार सभी के प्रति समान रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर मानव का जुड़ाव बहुत गहरा है, इसलिए कोई समस्या किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष समुदाय तक नहीं रह सकती है, बल्कि देर-सवेर वह वैश्विक चुनौती बनकर निश्चित रूप से उभरेगी। मानवजाति का सर्वत्र कल्याण आपसी एकजुटता, समन्वय और सद्भाव में ही निहित है।

महामारी के विरुद्ध प्रतिरोधक टीके के निर्माण में पूरी दुनिया युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और नमूना परिक्षण के दौरान उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी मिले हैं और इस बात की प्रबल आशा है कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध कारगर टीका उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन मानवजाति महामारियों के प्रकोपों से हुए नुक़सान की भरपाई कर पाए और जटिल घटनाचक्रों के बीच जीवन के उद्देश्य पर केन्द्रित होते हुए कोई महत्वपूर्ण सबक़ सीख पाए, यह बड़ा सवाल बना रहेगा।

दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर
दौड़ रहा देश का राष्ट्रीय राजमार्ग - 44

अहमद क़ासिम
जयपूर, राजस्थान

सरपट दौड़ रहे साधनों की चीखती आवाज़ें और मंज़िल की जुस्तजू। किसी ने कहा कि "अरे वो रास्ता तो रुक गया है।"

नहीं जी। ग़लत कहा है ! मैं जब वहां गया था तो चुपके से उस सड़क ने ख़ुद बताया था कि "मैं रुकी नहीं हूं, जो इन्क़िलाब मेरी छाती पर दौड़ रहा है, अस्ल सफ़र तो वही है" यहां दौड़ रहे लोगों में मंज़िल तक पहुंचने की जुस्तजू भी वैसी ही है और रफ़्तार भी। बस एक दिक़्क़त है। रास्ता रोक दिया गया है, लेकिन ये लोग जहां रुके वही इनकी मंज़िल बन गयी है और कहते हैं कि जो लेने आए वो लेकर जाएंगे। यही सड़क हमारा घर है और यही हमारी क़ब्र भी होगी।

मैं वहां पहुंचने के बाद लगातार पैदल चल रहा था। दिल्ली पुलिस के चार बैरिकेड्स पार करने के बाद एक शोर सुनाई दिया, लाउडस्पीकर पर धुंधली-सी एक आवाज़ गूंज रही थी। पंजाबी बोली में बार-बार दोहराया जा रहा शब्द बहुत दुरुस्त समझ आया, शब्द था "हक़", बस यह सुनकर पूरी बात समझ आ गयी। आख़िरी बैरिकेडिंग को पार करते ही मैं पहले पंडाल की तरफ़ बढ़ चुका था। वहां एक शख़्स के हाथ में माइक था और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसे ग़ौर से सुन रहे थे। किसी ने बताया कि यहां वो लोग बैठे हैं जो पंजाब से कूच करके दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले किसानों में सबसे आगे थे, इसीलिए जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया।



क़रीब में लगे एक पंडाल पर लोगों की भीड़ ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, वहां सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था। चारों ओर आते-जाते लोगों में बड़ी तादाद नौजवानों की थी। कहीं-कहीं गुट बनाकर खड़े लोगों के क़रीब से गुज़रा तो हर जगह किसी नयी अपडेट पर चर्चा हो रही थी। और कहीं-कहीं लोग मीडिया से बात कर रहे थे। मैं इस माहौल में मगन था कि एक आवाज़ सुनाई दी, किसी ने पूछा था कि "वीर कीनू खा" मैंने पलट कर देखा तो माथे पर झुर्रिया और पगड़ी पहने एक सरदार जी अपना हाथ मेरी तरफ़ बढ़ाए खड़े हैं, उनके हाथ में एक फल है, मैंने मुस्कुरा कर फल लिया और अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। उन्हें शुक्रिया कहा, उनका जवाब था "वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी" कीनू पंजाब का प्रसिद्ध फल है इसीलिए यहां आने वाले लोग इसका स्वाद लिए बिना नहीं लौटते।

आगे बढ़ा ही था कि मेरी नज़र एक पंडाल में बैठे 20-25 किसानों के एक ग्रुप पर पड़ी, बीच में एक हुक्का था और बारी-बारी से सभी इसका आनंद ले रहे थे। यहां ग़ौर करने वाला सवाल यह था कि ये लोग

यहां की बड़ी तादाद के पहनावे से थोड़े अलग दिखते थे। न सिर पर पगड़ी थी न लम्बी दाढ़ी, चहरे का रंग भी बहुत अलग था। मैं वो जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए यह बताया गया था कि सिंघु बॉर्डर पर जमा इन किसानों में सिर्फ़ पंजाब के लोग हैं थोड़ा ठहर गया था। शायद यहीं मेरे इस सवाल का जवाब था। मैं आगे बढ़ा और मुस्कुरा कर

...सेवाभाव

एक बहुत बड़े स्पेस में एक भंडारे की व्यवस्था है। कुछ बुज़ुर्ग एक खाट लगाए बैठे हैं और क़रीब में एक दान पेटी है। पीछे की ओर कुछ नौजवान सब्ज़ियां काट रहे हैं, कुछ रोटियां बना रहे हैं, क़रीब में बहुत बड़ी तादाद बैठकर खाना खा रही है। हम भी इस लंगर में शामिल हो लिए। खाना खाते वक़्त एक सवाल लगातार ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि इतने बड़े आंदोलन में इतनी बड़ी व्यवस्था आख़िर कैसे की जाती होगी? ख़र्च कहां से आता होगा? और ये अनुशासन? ये सब इतना कैसे मैनेज है? मैंने वहां खाट लगाए बैठे बुज़ुर्ग से पूछ ही लिया, उन्होंने बहुत तफ़्सील से जवाब दिया। कह रहे थे कि यह एक कड़ी है जो एक शब्द कि साथ जुडी हुई है, वो शब्द "सेवा भाव" है। इसका कनेक्शन वाहे गुरु से जुड़ा हुआ है। हम यह चाहते हैं कि धरती पर कहीं कोई भूखा न रहे। यहां जो भी आएगा उसकी सेवा होगी। हम लंगर में आने वाले लोगों से उनका परिचय नहीं पूछते, मोदी जी भी आएंगे तो हम उन्हें लंगर खिला कर नाराज़गी जताएंगे।

उनकी मंडली से जा टकराया। स्वागत ऐसा हुआ कि लगा मानों बरसों बाद अपने गांव के बुज़ुर्गों में लौट आया हूं। जब बात आगे बढ़ी तो मैंने बिना देर किए पूछ ही लिया, चचा आप कहां से हैं? जवाब मिला "हरियाणा" लेकिन यहां तो सिर्फ़ पंजाब के किसान हैं? मेरा इतना कहना था कि वे ग़ुस्सा गए और कहा, "गोदी मीडिया है के?" बाद में उन्होंने बताया की यहां बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान पहले ही दिन से बैठे हुए हैं, यह गोदी मीडिया की बनाई धारणा है जिसने इस सवाल को जन्म दिया है।

घूमते हुए वक़्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा। दोपहर ढलान पर थी, हम सुबह के भूखे, अचानक याद आया की पॉकेट में कीनू है। कीनू खाया और आगे बढ़े, देखा की एक बहुत बड़े स्पेस में एक भंडारे की व्यवस्था है। कुछ बुज़ुर्ग एक खाट लगाए बैठे हैं और क़रीब में एक दान पेटी है। पीछे की ओर कुछ नौजवान सब्ज़ियां काट रहे हैं, कुछ रोटियां बना रहे हैं, क़रीब में बहुत बड़ी तादाद बैठकर खाना खा रही है। हम भी इस लंगर में शामिल हो लिए। खाना खाते वक़्त एक सवाल लगातार ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि इतने बड़े आंदोलन में इतनी बड़ी व्यवस्था आख़िर कैसे की जाती होगी? ख़र्च कहां से आता होगा? और ये अनुशासन? ये सब इतना कैसे मैनेज है? मैंने वहां खाट लगाए बैठे बुज़ुर्ग से पूछ ही लिया, उन्होंने बहुत तफ़्सील से जवाब दिया। कह रहे थे कि यह एक कड़ी है जो एक शब्द कि साथ जुडी हुई है, वो शब्द "सेवा भाव" है। इसका कनेक्शन वाहे गुरु से जुड़ा हुआ है। हम यह चाहते हैं कि धरती पर कहीं कोई भूखा न रहे। यहां जो भी आएगा उसकी सेवा होगी। हम लंगर में आने वाले लोगों से उनका परिचय नहीं पूछते, मोदी जी भी आएंगे तो हम उन्हें लंगर खिला कर नाराज़गी जताएंगे।

यहां बच्चों का भी अलग ही रंग है। इतनी कम उम्र के बच्चों को इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते मैंने पहली बार देखा था। मैं लगातार ऐसे बच्चों को तलाश रहा था जिन्हें पास बैठा कर कुछ बातें कर सकूं। एक अलग भंडारे में सिक रही रोटियों के अलाव को लकड़ी देता गुरकीरत मुझे दिखाई दिया। मैं दौड़ कर उसके पास पहुंचा। 8 साल से कम उम्र का एक बहुत क्यूट-सा बच्चा, जिसने पगड़ी पहनी हुई है। मैंने बाते शुरू कि तो उसने इसी दरमियान बताया की वो दिल्ली से रोज़ सुबह अपने परिवार के साथ यहां आता है और लोगों की सेवा करता है।

इस आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में लोग रोज़ यहां पहुंचते हैं। गुरकीरत के साथ मेरी चर्चा जारी ही थी कि इसी बीच उसे ढूंढते उसके दोस्त भी वहां आ पहुंचे। सबसे मैंने एक ही सवाल किया की यहां क्या चल रहा है और वे इससे क्या समझते हैं? सबने एक सुर में जवाब दिया कि यह हक़ की लड़ाई है। हम बस इतना समझते हैं कि हमारे साथ कुछ ग़लत किया जा रहा है।

चलते-चलते हम बहुत आगे आ निकले थे, लेकिन ट्रॉली ट्रेक्टर से अटा यह रास्ता कहीं ख़त्म ही नहीं होता दिखता था। किसी ने बताया था की यहां एक भंडारा पंजाब के कुछ मुसलमानों ने भी लगाया है। हम वहां पहुंचे तो देखा की निहंग सिख गुरुओं का एक जत्था कुछ दाढ़ी टोपी लगाए मुसलमानों के साथ वहां बैठा चर्चा कर रहा है। कुछ लोग बगल में बैठे मीठे चावल खा रहे हैं। मुझे शाहीन बाग़ याद आया, कहानी थोड़ी अलग थी कि उस वक़्त विरोध मुसलमान कर रहे थे और ख़िदमत यही किसान और पंजाब के लोग और आज विरोध इनका है और ख़िदमत मुसलमान कर रहे हैं। यही तो ज़रूरत है जो यहां पूरी हो रही है। यही तो तस्वीर है जिसे सजाया जाना चाहिए। यही तो देश है जिसे बचाकर रखा जाना चाहिए।

ख़ैर–दिन ढल चुका था। मन तो नहीं था कि लौट जाएं, लेकिन अधूरे रास्ते से हम वापस हो लिए। आप गए हैं वहां? अगर नहीं, तो जा आइए, इतिहास बार-बार इस तरह की तस्वीर पेश नहीं करता। रात हो गयी थी। हम घर लौट आए। यह मेरी ज़िंदगी का एक अहम दिन था।

जन-गण-मन



मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'
दिल्ली

विरोध के जनतांत्रिक अधिकारों का दमन

आलोचना के बिना स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए आलोचना को लोकतंत्र की 'आत्मा' कहा गया है। आलोचना सरकार को न सिर्फ़ निरंकुश होने से रोकती है, बल्कि उसको उत्तरदायी, संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाती है। इसके लिए आलोचना का रचनात्मक होना और सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना बेहद ज़रूरी है। दुर्भाग्य से भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में पिछले कुछ सालों से आलोचना और विरोध के अधिकारों को सीमित ही नहीं समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं। इस बात को देश का जागरूक नागरिक और बुद्धिजीवी वर्ग भलीभांति महसूस कर रहा है कि जायज़ मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने वाले आलोचकों, लेखकों, पत्रकारों, समाज सेवियों, शिक्षकों, जनाधिकार कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को दमन का सामना करना पड़ रहा है।

देश की आंतरिक दशा कितनी चिंताजनक है, इसको ब्रिटेन में मौजूद सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री आमर्त्य सेन भी महसूस करते हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि लोगों की आवाज़ दबाने के लिए भारत में मनमाने तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। हावर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर आमर्त्य सेन ने कहा कि जो व्यक्ति सरकार की मुखर होकर आलोचना कर रहा या सरकार को पसंद नहीं आ रहा, उसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। भारत में असहमति और चर्चा की गुंजाइश कम होती जा रही है। लोगों पर देशद्रोह का मनमाने तरीक़े से आरोप लगाकर बग़ैर मुक़दमा चलाए जेल भेजा जा रहा है।

ग़ौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा लाये गये सीएए-एनआरसी-एनपीआर, कृषि सुधार आदि विवादित क़ानूनों और नोटबंदी, जीएसटी तथा लॉकडाउन जैसे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जनांदोलन, विरोध, आलोचना और मतभेदों का दायरा बढ़ा है। दूसरी ओर जनता की आवाज़ सुनने की जगह, इन आन्दोलनों को दबाने, कुचलने, बदनाम करने और इनके ख़िलाफ़ अराजक तत्वों को छूट देने को लेकर कई स्तरों पर सरकार की तीखी आलोचना भी हुई है। विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे अनुचित बल प्रयोग को मानवाधिकारों के हनन की श्रेणी में रखकर देखा जा रहा है। देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर अनेक बुद्धिजीवियों, मानवाधिकारवादी संगठनों की ओर से वर्तमान दशा पर चिंता जतायी गयी है।

इसकी गूंज संसद में भी उस समय सुनी गयी जब अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने इस मामले को उठाते हुए कहा था कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण आन्दोलन करने वाले जेएनयू, जामिया के आन्दोलनकारियों के ख़िलाफ़ यूएपीए जैसे गंभीर क़ानून का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद का काम क़ानून बनाना है, अगर आम जनता उससे संतुष्ट नहीं है तो आन्दोलन करना उसका अधिकार है। उन्होंने कृषि सुधार क़ानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि किसान सड़कों पर हैं और वे इस क़ानून का विरोध कर रहे हैं। आन्दोलनकारी किसानों को भी देशद्रोही कहा जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आन्दोलनकारी छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा, प्रो. अपूर्वानन्द जैसी शख़्सियत को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, थाने बुलाकर पूछताछ करती है, पुलिस जान-बूझकर चार्जशीट फाइल करने में देर करती है, ताकि आन्दोलनकारियों को अधिक दिनों तक बिना ट्रायल जेलों में रखा जा सके, क्योंकि पुलिस को पता है कि उनके ख़िलाफ़ उसके पास कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सीएए क़ानून का संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गैंगेस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, रासुका और ज़िलाबदर जैसे कठोर क़ानूनों के तहत कार्रवाई की गयी।

सरकार ने आलोचकों और विरोधियों की संपत्ति ज़ब्त की, उनके पोस्टर लगवाए। जनाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'रिहाई मंच', उसके अध्यक्ष एडवोकेट शुऐब, एस. दारापुरी समेत अनेक बुद्धिजीवियों की आवाज़ को दबाने के लिए कठोर कार्रवाई की गयी। कुछ लोगों को नज़रबंद किया तो कुछ को जेल भेज दिया गया।

जेएनयू हॉस्टल में पुलिस की मौजूदगी

में छात्रों को आवाज़ उठाने की सज़ा दी गयी। कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर छात्रों को पीटा और तोड़- फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में क़ैद हो गयी। इसी तरह दिल्ली में सीएए विरोधी आन्दोलनों को निशाना बनाकर हिंसा की गयी। सीएए विरोधी आन्दोलन के दौरान शाहीन बाग़ को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने खुलेआम 'गोली मारो' का नारा दिया गया, फिर कपिल गुर्जर के ज़रिये हमला करवाया गया। हिंसा भड़काने वाले नेताओं, हिंसा करने वाले उपद्रवियों की कारगुज़ारी की वीडियो मौजूद है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनुमति के बिना कैंपस और लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने छात्र-छात्राओं को पीटा, कई के अंग- भंग हो गये। इसके भी सीसीटीवी रिकार्ड मौजूद हैं।

पूरा साल बीत गया, अनेक पीड़ितों को फ़र्ज़ी आरोपों में जेल भेज दिया गया, लेकिन किसी भी हिंसा दोषी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यह बात सर्वविदित है कि ये सारे हमले, हिंसा और गोली मारो के नारे विरोध के अधिकारों और विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए किये गये। जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन, सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शन से लेकर कृषि क़ानून विरोधी प्रदर्शन तक सभी को देशद्रोही, पाकिस्तानी, नक्सली, चीनपरस्त कहा गया। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनना और निराकरण करना होना चाहिए, न कि हठधर्मी दिखाना और अनावश्यक बल प्रयोग करना। जैसा पिछली सरकारें करती आयी हैं।

इसके अलावा आन्दोलनकारियों, समाजसेवियों, छात्र नेताओं और बुद्धिजीवियों का जेल में भी उत्पीड़न किया जा रहा है। उमर ख़ालिद ने पेशी के दौरान अदालत को बताया कि तीन दिनों से उनके दांत में दर्द है, लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चार्जशीट की कॉपी मीडिया में लीक की जा रही है, लेकिन उसकी प्रति उनको नहीं दी गयी, जिससे वे अपने ऊपर लगे पुलिस के आरोपों को नहीं जान पाए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिसम्बर के आख़िर में उमर ख़ालिद के ख़िलाफ़ 100 पन्नों की चार्जशीट दाख़िल करते हुए उन पर देशविरोधी भाषण देने, दंगा भड़काने, दंगों की साज़िश रचने सहित कई अन्य गंभीर आरोपों में धाराएं लगायीं। चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग़ में उमर ख़ालिद, ख़ालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की प्लानिंग के लिए मीटिंग की थी। इस दौरान उमर ख़ालिद ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के ज़रिये मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिये। उन्होंने दंगे भड़काने के लिए लोगों को उकसाया।

सफ़ूरा जरगर को दिल्ली दंगों में आरोपी बनाकर 74 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। वह भी तब जबकि वे गर्भवती थीं । ज़मानत पर रिहा होने के बाद उनका कहना था कि पुलिस ने दूसरे क़ैदियों को मुझे बुनियादी चीज़ें भी देने से मनाकर दिया था। मैं नंगे पांव सिर्फ़ दो जोड़ी कपड़ों के साथ जेल गयी। मेरे पास एक बैग था, जिसमें ज़रूरी सामान थे, लेकिन उसे अंदर नहीं ले जाने दिया गया। मेरे जूते भी बाहर उतरवा दिये गये। इस बीच किसी भी मिलने आने वाले से मिलने नहीं दिया गया, न कोई सामान या पैसा लेने दिया गया। चालीस दिनों तक मुझे घर पर फ़ोन करने की भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्हें हर सामान के लिए दूसरे क़ैदियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता। इस दौरान क़ैदियों ने उन्हें चप्पल, अंडर गारमेंट्स और कंबल दिये। कोर्ट में याचिका डाली गयी तब उनको पांच जोड़ी घर का कपड़ा लेने दिया गया।

विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए कलबुर्गी, पंसारे और गौरी लंकेश की हत्या कर दी गयी। भीमा कोरेगांव जहां क़रीब तीन साल पहले जनवरी 2018 को हिंसक झड़पें हुई थीं, को आधार बनाकर 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों को ग़िरफ़्तार किया गया। इन पर भी देशद्रोह से जुड़ी धाराएं और आरोप लगाये गये। आनंद तेलतुंबडे, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, कवि वरवर राव, स्टेन स्वामी, सुध भारद्वाज, वर्नोन गोंजाल्विस जैसी देश की बड़ी हस्तियों को जेल में डाल दिया गया।

परिजनों के आरोपों और मीडिया में आयी ख़बरों में कहा गया कि इन लोगों के साथ भी जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया या किया जा रहा है। गौतम नवलखा के परिजनों ने कोर्ट को बताया कि उनका चश्मा ग़ायब हो गया है। उन्हें नया चश्मा भेजा गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें चश्मा देने से इन्कार कर दिया। गौतम नवलखा की उम्र 68 साल है। वे हाई पावर का चश्मा लगाते हैं और बिना चश्मा उनको दिखता नहीं है। दिसंबर 2020 में मुंबई हाईकोर्ट ने तलोजा जेल प्रशासन को इस मामले में इंसानियत दिखाने की सलाह दी।

वरिष्ठ कवि और बुद्धिजीवी वरवर राव को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ़्तार किया गया था। ख़राब स्वास्थ्य के कारण उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी हेमलता राव मेडिकल ग्राउंड पर अदालत से उनको ज़मानत देने की गुहार लगा रही हैं, जबकि सरकारी पक्ष का मुंबई हाईकोर्ट से कहना है कि वे स्वस्थ हैं, उनको जेल में रखा जा सकता है। 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी पर्किंसंस बीमारी से ग्रसित हैं। उनका हाथ कांपता है और वे ठीक से कप भी नहीं पकड़ सकते।

यह सारी स्थितियां यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश का लोकतंत्र बीमार है और संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो चुकी हैं। जनाधिकारों को ताक पर रखकर फ़ैसले लिए जा रहे हैं। विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गत 22 दिसंबर 2019 को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि देशद्रोह का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करना ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में सभी तरह के विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए।

आर्थिक कुप्रबंध
सबसे बड़ी त्रासदी

एहसान हाशमी
मेरठ, यूपी

आर्थिक दुर्दशा की एक श्रृंखला ने भारत की विकास की कहानी को पटरी से उतार दिया है। समाप्त हुए कैलेंडर वर्ष 2020 को सामूहिक स्मृति में कोविड-19 महामारी की वजह से हुए ज़बरदस्त आघात के लिए याद रखा जाएगा। कई अध्ययनों में ख़ुलासा हुआ है कि महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट का वैश्विक स्तर पर ग़रीबों पर प्रलयकारी प्रभाव पड़ा है और भारत में यह प्रभाव विशेष रूप से गंभीर है। भारत ग़रीबों का अधिकतम संख्या वाला घर है जहां हाल ही में लाखों अतिरिक्त वापसियां हुई हैं।

कोरोना काल में हुए नुक़सान के अनुमान इन 8-9 महीनों में अधिक निश्चित हो रहे हैं और कोवैक्सीन के आने के बाद भी शंका बनी हुई है कि स्थिति कहीं और ख़राब न हो जाए। अगर महामारी कई देशों (अमेरिका और कई यूरोपीय देशों) की भांति यहाँ भी अधिक गंभीर हो जाती है, तो रोज़ाना की संख्या को देखते हुए एक दूसरी लहर देखी जा सकती है जो वास्तव में बहुत भयावह होगी।

वर्तमान आर्थिक संकट में भारत की कठोर वास्तविकताओं में से एक यह है कि इसके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत कम काम किया गया है, जो अपने सबसे अधिक कार्यबल के बावजूद सबसे कठिन परिस्थिति में है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि भारत में 465 मिलियन श्रमिक हैं, जिनमें से 28 मिलियन (6 प्रतिशत) संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और 437 मिलियन (94 प्रतिशत) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। लेकिन मंत्रालय को यह डेटा कहां से मिला, इसका ख़ुलासा नहीं हुआ है। उनका सेक्टर-वार ब्रेकअप (संख्या) भी नहीं दिया गया है।

भारत में महामारी से सर्वाधिक प्रभावित यही कार्यबल है जो देश के कुल कार्यबल का लगभग 94 प्रतिशत है। इनको न तो क़ानूनी संरक्षण प्राप्त है न सामाजिक सुरक्षा कवच! पूर्व नीति-आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया की नवीनतम पुस्तक "इंडिया अनलिमिटेड: रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी" 2020 का एक ग्राफ़ है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत के 93.4 प्रतिशत श्रमिक छोटी फर्मों में कार्यरत हैं, 1.3 प्रतिशत मध्यम में कार्यरत हैं और बड़ी कंपनियों में 5.3 प्रतिशत कार्यरत हैं।

इसकी तुलना में चीन के 12.3 प्रतिशत श्रमिक छोटे, मध्यम में 31.1 प्रतिशत और बड़ी फर्मों में 56.6 प्रतिशत कार्यरत हैं। बड़ी फर्म श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि भारत में यह प्रतिशत 5.3 है। भारत की हालिया श्रम सुधार नीतियों ने छोटी फर्मों को छीनकर इसे और कमज़ोर करने की कोशिश की है। वेतन संहिता विधेयक, 2019 जोकि 8 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था, सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन के माध्यम से श्रमिकों की इक्विटी और कल्याण का वादा मगर वेतन न्यूनतम ही बना रहा, जिसमें बड़ी मुश्किल से नाममात्र बढ़ोत्तरी हुई। साथ ही 22 सितम्बर 2020 को तीन लेबर कोड बिलों को लोकसभा में और अगले ही दिन 23 सितम्बर 2020 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप जो भी क़ानूनी सुरक्षा कार्यबलों के पास थी उनमें और अधिक कमज़ोरी आई। इसका सीधा प्रभाव छोटे श्रमिकों पर पड़ा है।

एक अस्वस्थ और असुरक्षित कार्यबल

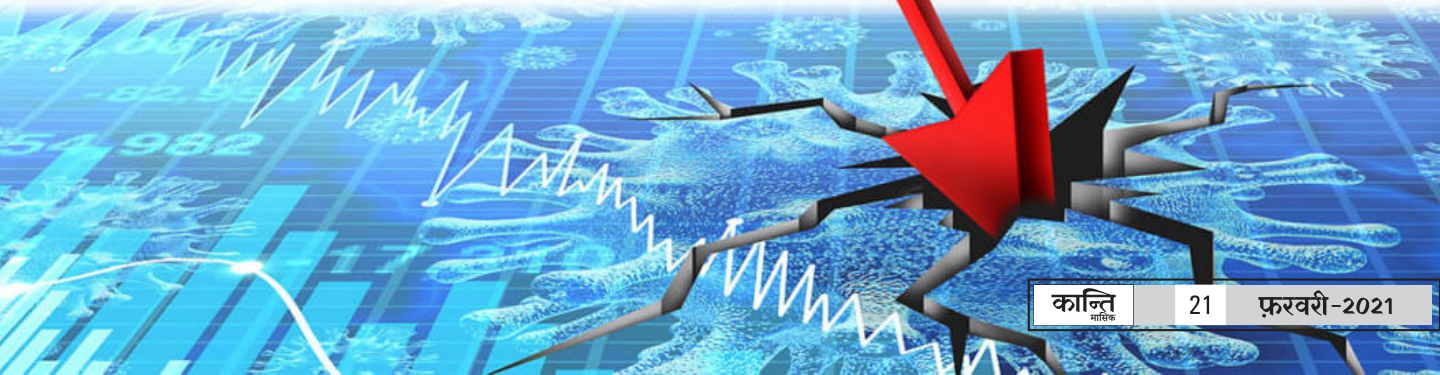

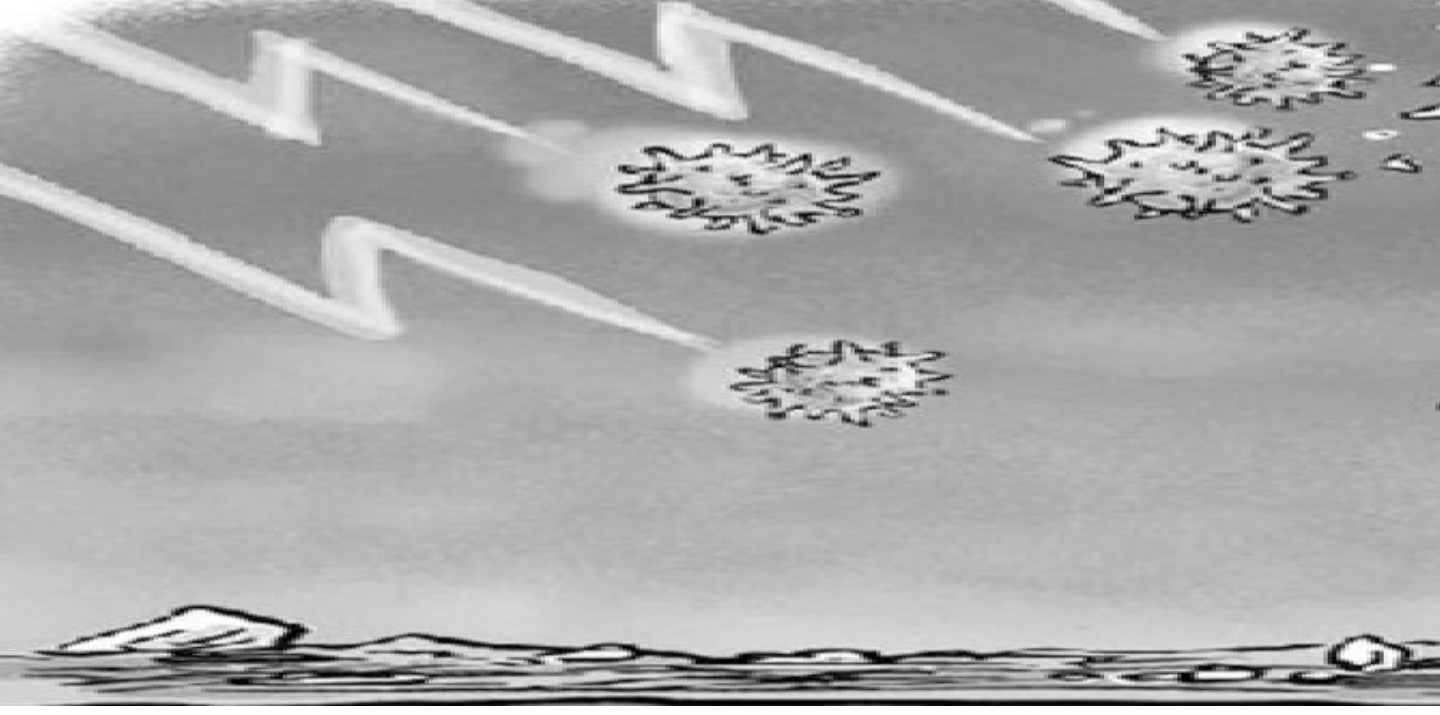

समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता है और न ही संकट के समय में त्वरित पलटाव करने में सक्षम होता है। ऐसे संकटकाल में इस बड़े कार्यबल को इनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर गहन चिंतन किया जाना चाहिए।

भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर था। इस तरह भारत भूख की गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने इसके लिए ख़राब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने का उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों के ख़राब प्रदर्शन को दोषी ठहराया है। वर्ष 2019 में 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था। यानी मौजूदा स्थिति और ख़राब है। भारत भूख सूचकांक में अपने पिछड़े पड़ोसी देशों बंगलादेश म्यांमार और पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ है।

आमतौर पर देखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा संकट, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन में संकुचन और बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है, महामारी के कारण है, और ऐसा बतलाया जाता है कि जब एक बार महामारी ख़त्म हो जाएगी, तो चीज़ें "सामान्य" हो जाएंगी। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जिन तथ्यों पर महामारी से पहले चर्चा हुई है उनको भूलना नहीं चाहिए कि महामारी से पहले भी देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी। वास्तव में 2008 के वित्तीय संकट के बाद या Housing Bubble के पतन के बाद से, दुनिया की वास्तविक अर्थव्यवस्था कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं है। छोटे रिकवरी का शीघ्रता से पतन हुआ, जो महामारी से पूर्व तक भी उबर नहीं पाए थे। महामारी की चपेट में आने से पहले ही भारत भूखमरी, ग़रीबी और आय असमानता के संकेतकों पर फिसल रहा था। साल 2018-19 व 2019-20 में नीति आयोग की रिपोर्ट इसका ख़ुलासा करती है।

विडंबना यह है कि सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही सुधारात्मक उपाय किए हैं। महामारी से पहले बढ़ती बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था को धीमा करने के लिए इसे स्वीकार न करने की नीति भी इन कुप्रभावों की वाजिब वजह है। महामारी की चपेट में आने के बाद भी सरकार कभी नौकरी के नुक़सान या प्रवासी श्रमिकों के जीवन की हानि को ट्रैक करने के लिए परेशान नहीं दिखी, लाखों लोग महीनों तक घर के लिए रास्तों पर पैदल निकल पड़े, रास्ता उनका सब कुछ खा गया लेकिन वो सरकारी कुप्रबंधन के कारण पैदल चलते रहे। दुनिया में कहीं और कोई ऐसी घटना नहीं देखी गयी। सरकार और भारतीय रेलवे अपने टिकट के लिए संकटग्रस्त प्रवासी मज़दूरों को पूरी तरह से चार्ज करने से भी पीछे नहीं हटे। राज्य सरकारों ने भुगतान के लिए क़दम बढ़ाया। सरकार ने सितम्बर 2020 के सत्र के दौरान संसद को बताया कि इसके पास कोई डेटा नहीं है और इसलिए यह प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के लिए मुआवज़ा भी प्रदान नहीं कर सकती है।

अर्थव्यवस्था और महामारी से निपटने में इस तरह की ख़राब उपलब्धियां और और परिणाम मानव त्रासदियों के कारण जो अनजानी, ग़ैर-उपचारित ग़रीबी, भुखमरी और आय असमानता उत्पन्न हुई हैं वह भविष्य में उत्तरोत्तर ख़राब होती जाएँगी। अर्थव्यवस्था अपने श्रमिकों की अच्छी देखभाल करती है, न केवल आर्थिक संकट में बल्कि सामान्य समय में भी जब श्रमिक बुरे समय पर आते हैं।

यदि एक देश विफल हो जाता है, तो हम सभी विफल हो जाते हैं। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो हमारे वैश्विक समाज के सभी वर्गों की मदद करें, विशेष रूप से वे जो सबसे कमज़ोर हैं या कम से कम अपनी मदद करने में असक्षम हैं। आज हम जो विकल्प चुनते हैं, वह सीधे तौर पर इस संकट को प्रभावित करेगा और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा।

मानवीय संवेदना बनाम उपभोक्तावादी नारीवाद

नारी विमर्श



हुमा मसीह
दिल्ली

क्या मानवीय संवेदनाओं और जज़्बात को जीडीपी में तौला जा सकता है? क्या किसी के बेशक़ीमती जज़्बों की तुलना पैसा कमाने के लिए ख़र्च किए गए वक्त से हो सकती है? क्या किसी मां की अपनी औलाद के लिए, पति की पत्नी के लिए, भाई की बहन के लिए स्वभाविक रूप से पायी जाने वाली मोहब्बत को जीडीपी में गिना जा सकता है? इतिहास के पन्नों में दर्ज महान प्रेमी जोड़ों की तुलना कोई जीडीपी बढ़ाने के लिए किये गये कामों से करे तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या किसी देश या समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ जीडीपी ही सबसे ज़रूरी शय हो सकती है?

मानवीय संवेदना और जीडीपी की यह बातें मैं इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि इनमें वाक़ई कोई तुलना संभव है, बल्कि यह बातें इसलिए कही जा रही हैं कि नारीवाद के नाम पर अल्ट्रा लिबरल महिला लेखकों का एक बड़ा तबक़ा गृहणी महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए मानवीय संवेदनाओं को जीडीपी से तौलने की कोशिश कर रहा है।

एक प्रमुख नारीवादी लेखिका 'नवभारत टाइम्स' में छपे अपने आर्टिकल में कहती हैं कि, "आप अपने दुधमुंहे शिशु को जो दूध पिला रही हैं, वह जीडीपी का हिस्सा नहीं है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका दूध जीडीपी में गिना जाता है, आपका नहीं।" आगे आर्टिकल में औरतों और मर्दों के घरेलू काम करने के घंटे गिनाकर यह मैसेज दिया गया कि नौकरी न करने वाली औरतें घरेलू कामों में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ख़र्च करके कुछ हासिल नहीं कर रही या देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे रही हैं।

यहां सवाल यह है कि क्या सिर्फ़ जीडीपी बढ़ाने वाले काम करके किसी देश को तरक़्क़ी के रास्ते पर ले जाया जा सकता है? क्या आर्थिक विकास मात्र ही देश के विकास का पैमाना हो सकता है? क्या बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए बेबी क्रेश शुरू करना चाहिए क्योंकि खुद के बच्चे पालने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी और दूसरों के बच्चे पालकर पैसा कमाने से जीडीपी में इज़ाफ़ा होगा? प्यार और जज़्बात का हर वो पल जिसे कोई अपने जीवनसाथी, औलाद, भाई, बहन या दोस्तों के साथ गुज़ारता है उस पल की कोई क़ीमत नहीं है यदि वो देश के लिए आर्थिक, मौद्रिक ज़रिया न बने?

वेश्यावृति करने वाली महिलाएं शरीर बेच कर पैसे कमाती हैं और जीडीपी में योगदान देती हैं, क्या बिना किसी नैतिक आधार पर परखे इसे केवल इसलिए सही ठहरा दिया जायेगा कि वे जीडीपी में योगदान दे रही हैं? ऐसे और भी बहुत से बेतुके उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

मानवीय संवेदनाओं की तुलना जीडीपी से करना या गृहिणी महिलाओं के गृहिणी होने को एक तुच्छ चीज़ मानना तथाकथित नारिवादियों की संकुचित मानसिकता है। स्त्री मुक्ति का झंडा बुलंद करते समय किसी भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम, हमदर्दी, लगाव और वात्सल्य से उपर कोई वाद नहीं। कोई विचारधारा चाहे मर्दवाद हो या नारीवाद यदि वह किसी के आत्मसम्मान पर कुठाराघात करता है तो यह उस 'वाद' और विचार के संकुचित और निरंकुश होने की निशानी है।

कुछ समय पहले अनुभव सिन्हा की एक फ़िल्म "थप्पड़" पर एक नारीवादी लेखिका अपने रिव्यू में नायिका के शलवार कमीज़ पहनने और उसके गृहिणी होने पर अफ़सोस



ज़ाहिर कर रही थी। उनके अनुसार एक प्रोफ़ेसर की बेटी सिर्फ़ एक गृहिणी नहीं हो सकती और यह कैसे संभव है कि एक आधुनिक लड़की सिर्फ़ शलवार कुर्ता और साड़ी पहने? यहां लेखिका साफ़ तौर पर किसी महिला के गृहिणी होने और शलवार कुर्ता पहनने के चुनाव पर सवाल खड़े करके एक पक्षपाती रवैया अपना रही हैं। अजीब बात है कि वो अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी चाहती है लेकिन दूसरे की आज़ादी को वो स्वयं परिभाषित करना चाहती है।

मेन स्ट्रीम मीडिया की एक बड़ी एंकर कुछ समय पूर्व मशहूर संगीतकार एआर रहमान की बेटी के नक़ाब पहनने की आलोचना करते हुए उसे उसकी कंडीशनिंग कहकर आलोचना कर रही थी। पश्चिमी वस्त्र पहनकर ख़ुद को आधुनिक मानने वाली महिलाओं की कंडीशनिंग ख़ुद टीवी कर रहा है, उसी टीवी से वो अपना ड्रेस सेंस तय कर रही है, वो ख़ुद अपनी कंडीशनिंग का विश्लेषण न कर अपनी मर्ज़ी से नक़ाब पहनने वाली एक लड़की की चॉइस को ग़ुलामी बताती है।

हालांकि यह एक तथ्य है कि एक मनुष्य शिशु से किशोर तक और फिर वयस्क होने तक कंडीशनिंग से ही चीज़ें सीखता है। किस की कंडीशनिंग मानव विरोधी है और किसकी नहीं, इस आधार पर यदि लिबरल दुनिया चर्चा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्त्री अधिकारों का टैग लगाकर आप किसी से उसका चुनाव का अधिकार नहीं छीन सकते।

आधुनिक होने का जो अर्थ पूंजीवाद प्रस्तुत करता है उसी परिभाषा के अनुसार तथाकथित लिबरल लेखिकाएं, दूसरी महिलाओं को जज कर रही हैं।

यहां यह भी तथ्य क़ाबिले ग़ौर है कि आधुनिक कही जाने वाली पढ़ी-लिखी, नौकरी पेशा महिलाएं अपनी वेशभूषा तथाकथित आधुनिकता की परिभाषा के अनुसार निश्चित करके भौतिकवाद और बाज़ारवाद की ग़ुलाम हो रही हैं। मेकअप की एक मोटी परत अपने चेहरे पर लगाना, नाखूनों पर प्लास्टिक पेंट करना, कम कपड़े पहनने पर जो हिस्सा दिखाई देगा उसकी वैक्सिंग करवाना आदि चीज़ें आधुनिक कहलाने वाली महिलाओं के बीच कॉमन है। जो इन पैमाने पर खरा नहीं उतरता वो पिछड़ा हुआ या कंडीशनिंग का शिकार कहा जाता है। लिबरल दुनिया का स्त्री विमर्श इस दोहरी मानसिकता पर आपत्ति नहीं करता है, क्योंकि विमर्श के झंडाबरदार ख़ुद इसी तौर तरीक़े को अपनाते हैं।

'थप्पड़' का रिव्यू लिखने वाली लेखिका हों या जीडीपी को वात्सल्य पर महत्व देने वाली लेखिका यह दोनों ही किसी महिला के गृहिणी होने पर आपत्ति कर रही हैं। ऐसा करते हुए यह तथाकथित नारीवादियां एक महिला के चुनाव के अधिकार पर हमला कर रही हैं, उसके आत्मसम्मान पर हमला कर रही हैं।

अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि 'हर व्यक्ति कमाने वाला हो' ये मानसिकता मुख्य रूप से उपभोक्तावाद और पूंजीवाद की देन है। जहां हर आम इंसान या तो पूंजीपतियों के प्रोडक्ट का उपभोक्ता होगा या उनकी फैक्ट्री का कोई कर्मचारी। उसकी पकड़ से कोई अछूता नहीं है। नारीवादी महिलाएं नारी अधिकार के लिए उनका नौकरी करना सबसे ज़रूरी मानती हैं। यह एक ख़तरनाक सोच है जो हर महिला और पुरुष को उपभोक्तावाद का मज़दूर बना देगी और इस दुनिया में सिर्फ़ मज़दूर पैदा होंगे, संवेदनशील नागरिक नहीं।

स्त्री मुक्ति की अग्रदूत अपनी साथियों से यह कहना चाहूंगी कि स्त्री अधिकारों के विमर्श के दायरे को हमें और बड़ा बनाना होगा। किसी ख़ास धर्म, समुदाय या लिंग के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने से स्त्री विमर्श उपभोक्तावाद के हाथ का खिलौना बन सकता है और इसे आसानी से हाईजैक किया जा सकता है। हमें रवींद्रनाथ टैगोर के कथन को याद करना चाहिए जिसमें वे कहते हैं "मैं इंसानियत पर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा"। इसी प्रकार हमें भी 'संवेदना' पर नारीवाद को हावी नहीं होने देना है। जब ऐसा होता है तो लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना बढ़ जाती है। स्त्री विमर्श सिर्फ़ मर्दवाद और पितृसत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि यह बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद से भी एक संघर्ष है। अगर हम सिर्फ़ पितृसत्ता और मर्दवाद से लड़ेंगे तो उपभोक्तावाद, स्त्री विमर्श को हाईजैक कर स्त्री अधिकारों की परिभाषाएं तय करने लगेगा। औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बना देगा, महिला और पुरुष को एक दूसरे के सामने खड़ा कर उन्हें दुश्मन बना देगा।

मां के दूध को जीडीपी में काउंट करने की कोशिश करने वाली महिलाओं को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो नागरिक देश के जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं उनके इस सहयोग में देश की करोड़ों माओं के दूध का महत्वपूर्ण योगदान है। माओं ने दूध पिलाकर उन्हें इस क़ाबिल बनाया है कि वह देश की आर्थिक समृद्धि में सहभागी हों। एक मां का यह क़र्ज़ किसी देश के आर्थिक पंडित या नारीवाद के ध्वजावाहक कभी अदा नहीं कर सकते।

शिक्षा विमर्श

तालीम की व्यापक अवधारणा

श्यामोली सिंह
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

जब मुझे शिक्षा पर कुछ लिखने कहा गया तो मैंने पहले ये सोचा कि साल के आख़िर में पास किये गये कुछ क़ानून और तालीम से उसके संबंध पे लिखूं, लेकिन ये बातें काफ़ी बार कही गई हैं। फिर मैंने दूसरी बार सोचा कि तालीम या शिक्षा का मेरे रोज़ की ज़िन्दगी से क्या सरोकार है, इस पर लिखना चाहिए। एक तरफ़ तो ये है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, रिसर्च स्कॉलर कहा जा सकता है, लेकिन तालीम को समझने के लिए ये सबसे छोटा रास्ता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था के हालात की वजह से, रिसर्च स्कॉलर होना अपने आप में न तो सच्ची तालीम देता है, न अपने समाज को समझने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखता है। कभी-कभी हम अपने आपको स्कॉलर भी बोल देते हैं और एक्टिविस्ट भी, लेकिन हमारी नज़र बहुत छोटी रह जाती है।

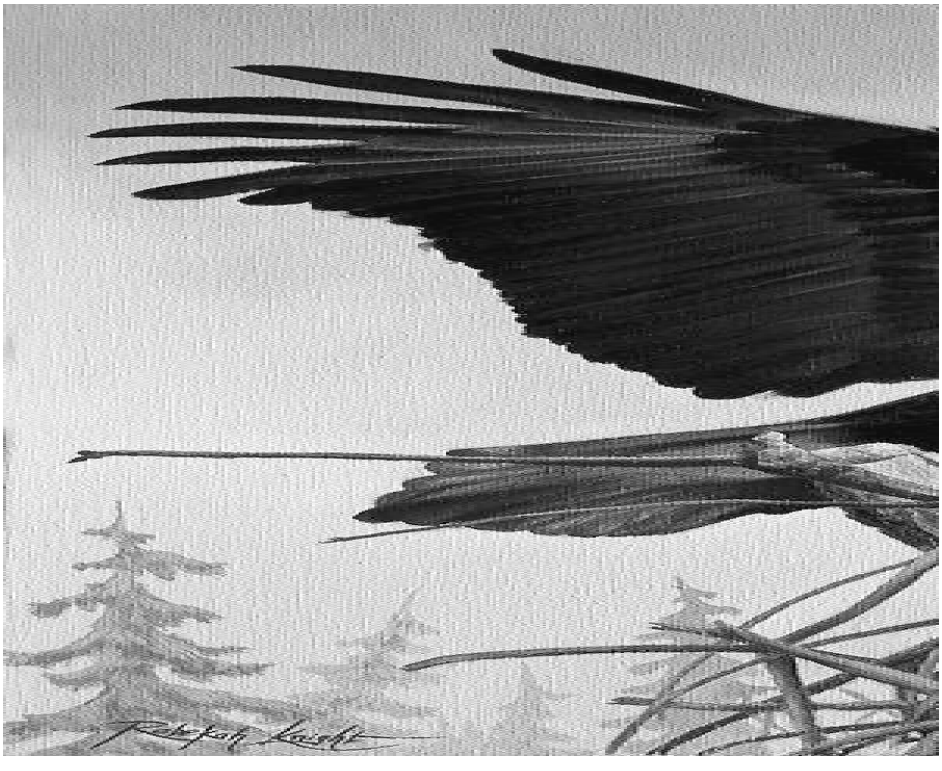

अगर किसी ने मुझे सच्ची तालीम दी है,तो वो दो औरतें हैं। एक, मेरी दादी मां और दूसरी, मेरी सास। ये दो औरतें, दो बहुत अलग दुनिया, अलग दीन और अलग इलाक़े की रहने वाले हैं। एक हिन्दू है, एक मुस्लिम। शायद ये लेख कई लोगों को बहुत बच्चों वाला लग रहा हो, लेकिन ये सच्ची कहानी ज़रूरी है। अगर किसी से तालीम के बारे में मैंने सीखा है, तो वो ये दोनों हैं। इन दोनों की ज़िन्दगी तालीम और शिक्षा के औपचारिक मतलब और हक़ीक़ी मतलब का फ़र्क़ बताता है। मेरी दादी मां ज़्यादा नहीं पढ़ीं, स्कूल की बात की जाये तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। वो मुझे बताया करती हैं कि वो और उनकी छोटी बहन चावल के डब्बे में तमिल मैगज़ीन छुपा कर पढ़ती थीं। उनके बाज़ू में एक स्कूल था, क्रिस्चियन स्कूल। वो लोग बार-बार बोलते थे कि इनको वहां भेजा जाए, लेकिन ख़ानदान के बड़े लोगों ने मना कर दिया, ऐसा तब अक्सर होता था। ख़ैर, वो तो पढ़ती रहीं। मुझे बचपन से उन्होंने पढ़ना- लिखना सिखाया-जैसे चिट्ठी कैसे और क्यों लिखी जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने समाज के तानों के बारे में नहीं सोचा, जो, लोग आमतौर पर लड़कियों के लिए ख़ास रखते हैं- कब शादी होगी, कैसे होगी, इतना पढाई करेगी तो क्या होगा आदि...आज कल वो काफ़ी बीमार रहती हैं, लेकिन कई महीनों के बाद मैंने उनको कुछ दिन पहले फिर से देखा, तमिल मैगज़ीन उठाये हुए। उनकी आंखों का मोतियाबिंद और बाक़ी बीमारी उन्हें पढ़ने से रोक नहीं सकती, जब मैंने उनको अपना MPhil दिखाया, उनकी आंखों में पानी भर आए।

जिन लोगों के लिए शिक्षा का रास्ता समाज ने बंद किया होता है, उनसे ज़्यादा शिक्षा का महत्त्व कौन समझे! लेकिन लोग अपने रास्ते ढूढ निकालते हैं। क़ुरआन में है कि "और जिस वक्त ज़िन्दा गाड़ दी गयी लड़की से पूछा जाएगा कि वह किस गुनाह के बदले मारी गयी" (सूरह तकवीर)। मेरी एक दोस्त निकहत फ़ातिमा ने फेसबुक पर ये लिखा था, "Do not kill your daughters, also means... to not kill their dreams, to not bury their aspirations, to not stop them from following their personal and academic pursuits, to not question their ability of decision making and most importantly to not value sons over them."

बच्चियों को ज़िंदा रखने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि उनके शरीर को जीने दें, उसका ये भी मतलब है कि उनके ख़्वाब को ज़िंदा दफ़्न न करें। तालीम इसलिए ख़्वाब नहीं कि लोग सिर्फ़ डिग्री ले पाएं, या एक नौकरी ढूंढे; तालीम अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक रास्ता भी है, और अपने आपको भी।

दूसरी औरत जिनका मैं ज़िक्र करना चाहती हूं वो है मेरी सास। मेरी शादी एक साल पहले हुई है। मैं उनको उतना नहीं जानती हूं जितनी गहराई से मैंने अपने दादी को देखा है, लेकिन एक साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इनको देखकर। सुबह की नमाज़ के बाद, कई बार ऐसा होता है कि मैं वापस सोने चले जाती हूं। यूनिवर्सिटी की कई आदतें ऐसी हैं जो जल्दी छूटती नहीं। लेकिन अम्मी को मैंने देखा है, उस वक़्त पढ़ते हुए जब हर तरफ़ सन्नाटा होता है. क़ुरआन हो या कोई दीनी किताब, वो पूरे तवज्जो के साथ पढ़ती रहती हैं। मुझे अपनी सुस्ती का एहसास होता है कि जब असाइनमेंट हो या सबमिशन, तब ही मैं ऐसा कुछ कर पाती हूं। वो भी, सिर्फ़ मजबूरी में कि काम हो जाये। रोज़ आदत डालकर तालीम हासिल करना, एक यूनिवर्सिटी और स्कूल के ढांचे के बाहर, जो ख़ाली वक़्त मिलता है उसमें पढ़ना, ग़ौर करना, उसपर अपनी ज़िन्दगी में अमल करना, ये हम यूनिवर्सिटी में इतना नहीं सोचते। अम्मी ये सोचती हैं कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को कैसे फ़ायदा हो, कैसे वो इस दुनिया में नहीं खोये रहे और आख़िरत के बारे में सोचे। हम लोग आंदोलन और " आइडेंटिटी पॉलिटिक्स" की भी बात करते हैं। आज कल यूनिवर्सिटी में, कई बार हम बोलते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को अपने हक़ के लिए लड़ना है। आख़िरी एक साल में हमने ऐसी बहुत सारी मिसालें देखीं, जामिया से, जेएनयू से, और दिल्ली के अलग अलग कोनों से। लेकिन जब हम मुस्लिम ख़वातीन के बारे में सोचते हैं, उसमें हम कई बार ग़लती से या जानते हुए भी, सिर्फ़, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, अंग्रेजी बोलने वाली और एहतेजाज में आवाज़ उठाने वाली ख़ातून के बारे में सोचते हैं। विरोध प्रदर्शन तो ये भी है जो शाहीन बाग़ में हमने देखा। कई लोग वहां की बुज़ुर्ग महिलाओं के बारे में लेख छाप देते थे, शायद हम भी सोचते थे कि वो काफी नादान हैं, और शायद "थ्योरी" में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। क्या वे सड़क पे सिर्फ़ बैठने के लिए आयी थीं या सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों की तक़रीर सुनने? कई लोग उनको दर्शक के तौर पर देख के चले गए, सुनाते हुए। लेकिन वो ये भूल गए कि वो भी एक तरह की तालीम थी, वो भी एक स्कूल था, जहां मुस्लिम महिलाएं अपने आपको और एक-दूसरे को सिखा रही थीं कि नागरिकता क्या होती है, एनआरसी क्या है, सीएए क्या है, हक़ क्या है।

2020 एक लम्बा साल रहा, लेकिन इस साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये भी एक सीख होनी चाहिए कि जिस साल में कोरोना वबा की वजह से ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज बंद रहे, तालीम तो नहीं रूकी. लोग अपने घरों में, सड़कों पर, परिवारों में पढ़ते रहे, सीखते रहे। तालीम का जो आईडिया है, उसको हमने समझा नहीं। अगर हम अपने ही घर और परिवार में झांक के देखें, तो शायद हम को जवाब मिलेगा।

2020 एक लम्बा साल रहा, लेकिन इस साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये भी एक सीख होनी चाहिए कि जिस साल में कोरोना वबा की वजह से ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज बंद रहे, तालीम तो नहीं रूकी. लोग अपने घरों में, सड़कों पर, परिवारों में पढ़ते रहे, सीखते रहे। तालीम का जो आईडिया है, उसको हमने समझा नहीं। अगर हम अपने ही घर और परिवार में झांक के देखें, तो शायद हम को जवाब मिलेगा।

जाति व्यवस्था पर गाँधी-अम्बेडकर संवाद

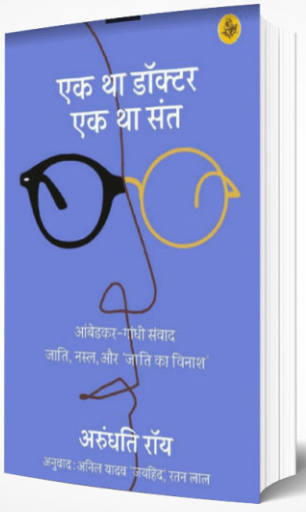

सम्पादकीय नोट: *जाति व्यवस्था को लेकर गांधी और अम्बेडकर के बीच वैचारिक संघर्ष प्रसिद्ध है परंतु दोनों महान हस्तियों के बीच जाति के ख़ात्मे को लेकर साझा बिन्दू भी है, जिसे दोनों अपने-अपने अंदाज़ और मुहावरे में पेश करते रहे, इस संबंध में अम्बेडकर की ख्याति प्राप्त पुस्तक 'Annihilation of Caste' का ज़िक्र तो होता है मगर १९३० के आसपास गांधी द्वारा लिखे गए लेख 'Caste must go' का ज़िक्र साधारण तौर पर नहीं होता।*

अध्ययन चर्चा



सहीफ़ा ख़ान
कानपुर, यूपी

पुस्तकः एक था डॉक्टर एक था संत
लेखक : अरुंधति रॉय
अनुवाद : अनिल यादव 'जयहिंद', रतन लाल
प्रकाशन : राजकमल प्रकाशन
विधा : राजनीति
क़ीमत : 150/- रुपए

भारत ने सदैव समूचे विश्व के लिए स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाकर रखा। भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, रहन-सहन, संस्कृति समेत हर चीज़ ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन यूं देखने में सुंदर लगने वाले इस भारत की तस्वीर का एक दूसरा रुख़ भी मौजूद रहा। जिसने न केवल सामाजिक प्रगति को जकड़ रखा है, बल्कि इसके साथ ही भारत की लोकतांत्रिक छवि को भी धूमिल कर दिया और यह है 'जातिवाद।' इस पुस्तक में इसी समस्या पर तफ़्सील से मंथन किया गया है और इस हवाले से गांधी और भीमराव अम्बेडकर के जाति पर दृष्टिकोण को तुलनात्मक मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक वर्तमान के साथ-साथ अतीत के चश्मे से भारत में जाति के प्रचलन के प्रश्न पर विचार करती है।

लेखिका अरुंधति रॉय का मानना है कि आज भी भारतीय समाज में जातिवाद आधारित भेदभाव, शोषण और अन्याय सब कुछ विद्यमान है बस उसका आधुनिकीकरण हो गया है। वह लिखती हैं कि काफ़ी कुछ बदल गया है। भारत में एक दलित व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक दलित न्यायाधीश भी। दलित और अधीनस्थ जातियों के दबदबे वाले राजनीतिक दलों का उभार अपने आप में अद्भुत है और साथ ही अनेक दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी घटना है मगर इसका जो स्वरूप बना है उसमें दलितों की एक बहुत ही छोटी लेकिन नज़र आने वाली संख्या अर्थात् नेतृत्व ही बहुसंख्यक दलितों के स्वप्न की ज़िंदगी जीता है। बावजूद इसके यदि हम अपने इतिहास को देखें तो दलित स्वाभिमान के इस राजनीतिक उभार को सिर्फ़ एक अच्छी बात ही कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार और दबंगई की जो शिकायतें अक्सर बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के बारे में की जाती हैं वही शिकायतें पुराने राजनीतिक दलों पर इससे भी बड़े पैमाने पर लागू होती है लेकिन वही आरोप जब बसपा पर लगाए जाते हैं तो उन आरोपों के स्वर में चीख बहुत तेज़ होती है और लहजा कहीं ज़्यादा तल्ख़, तीखा और अपमानजनक हो जाता है। ऐसा इसलिए कि इसका नेता कोई मायावती जैसा होता है जो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, एक दलित महिला है और इस पर उनको फ़ख्र है।

जाति के प्रश्न पर अम्बेडकर के साथ वाद-विवाद और संवाद में गांधी के दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि तलाशने के संदर्भ में लेखिका ने उनकी कहानी में पूरी तरह से दक्षिण अफ़्रीक़ा में गांधी की राजनैतिक जागृति पर नज़र डाली है। लेखिका के अनुसार झूठ और बेईमानी के मिथक गढ़कर उस दौर की असल कहानी के तथ्यों को धुंधला दिया गया है।

लेखिका का मानना है कि महात्मा गांधी ने छुआछूत को दूर करने

का प्रयास अवश्य किया लेकिन जातिवादी व्यवस्था को बनाए रख उच्च जाति के लोगों के शासन को ही प्राथमिकता दी जबकि अम्बेडकर अछूत लोगों को समान शासन करने का अधिकार दिलाना चाहते थे। अम्बेडकर का मानना था कि, 'जाति व्यवस्था से बढ़कर अपमानजनक सामाजिक संगठन हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को शिथिल, पंगु और विकलांग बनाकर उन्हें कुछ भी उपयोगी गतिविधि नहीं करने देती।'

जबकि मोहनदास करमचन्द गांधी इससे असहमत थे। 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में गाधी ने कहा था कि, 'जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह राजनीतिक आवश्यकताओं को भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं, बल्कि इसके द्वारा वे शासक शक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र जो जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं।'

इसी मतभेद के कारण जब अम्बेडकर पंचाट में अछूतों को बीस वर्षों के लिए पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिलाने में सफल हो गए तो गांधी को यह क़तई स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। परिणामस्वररूप अम्बेडकर को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। लेखिका का मानना है कि यदि पूना पैक्ट समझौता नहीं हुआ होता तो शायद दलितों की स्थिति भारत में आज बेहतर होती।

अरुंधति राय पूना पैक्ट के संबंध में लिखती है-

'अम्बेडकर कर ही क्या सकते थे?' उन्होंने डटे रहने की पूरी कोशिश की। अपने तरकश से तर्क और बुद्धि के सभी तीर चलाए। लेकिन उन्माद के उस माहौल में तर्क और बुद्धि को सुन ही कौन रहा था? अम्बेडकर अब बच नहीं सकते थे। चार दिन के अनशन के पश्चात, अम्बेडकर यरवदा जेल में जाकर गांधी से मिले और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। बॉम्बे में अगले दिन उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण दिया, जिसमें वे गांधी के बारे में अप्रत्याशित रूप से शालीन थे। बाद में आघात से उबरने के बाद अम्बेडकर ने लिखाः

"अनशन में कुछ भी नेक नहीं था। यह एक बेईमान और गंदी हरकत थी...यह बहुत ही घटिया क़िस्म की ज़ोर-ज़बरदस्ती थी उन असहाय लोगों के विरुद्ध, उनसे उनके संवैधानिक संरक्षण के अधिकार लूटने के लिए, जो अधिकार उन्हें (ब्रिटिश) प्रधानमंत्री के पंचाट द्वारा प्राप्त हुए थे, और उन्हें मानने को मजबूर किया कि वे हिंदुओं के रहमो-करम पर जीने के लिए राज़ी हो जाएं। यह एक नीच और दुष्ट हरकत थी। ऐसे इंसान को अछूत सम्मानित और गंभीर कैसे मान सकते हैं?"

पैक्ट के अनुसार, अछूतों को पृथक निर्वाचिका की जगह, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दी गईं। इसी वजह से प्रान्तीय विधायिकाओं में आवंटित की गई सीटों की संख्या बढ़ गई (सीटें 78 से बढ़कर 148 हो गईं) लेकिन उम्मीदवार ऐसे होने चाहिए थे जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के बहुल निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार्य हों, इसलिए उम्मीदवार नख-दन्तविहीन हो गए। अंकल टॉम ने बाज़ी मार ली। गांधी ने यह पक्का कर दिया कि अछूतों का अपना जुझारू, अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व न उभर पाए...।'

अरुंधती राय ने वर्तमान में देश के प्रशासनिक पदों और बड़े बिज़नेस घरानों के हवाले से आंकड़ों और पक्की सूचनाओं के आधार पर ये साबित किया है कि देश के सिरमौर पर किस जाति का वर्चस्व है,और इसके पीछे जातिवादी राजनीति और नियत है।

इस पुस्तक में अरुंधति रॉय देश की जातिवादी व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती हैं। वह अपने विश्लेषण में यह समझाने का प्रयास करती हैं कि जाति को सुदृढ़ करने वाली नीतियों के विरुद्ध अम्बेडकर की लड़ाई व्यवस्थित रूप से दरकिनार कर दी गई।

जाति आधारित सामाजिक वर्गीकरण पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोण को बताने के लिए लेखिका ने गांधी और अम्बेडकर के भाषणों और तहरीरों का उद्धरण ख़ूब दिया है। 8 जनवरी, 1925 को भावनगर के काठियावाड़ सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए गांधी ने कहा थाः

'यदि मुझे किसी पद की लालसा है तो उसका नाम है भंगी। गंदगी की सफ़ाई एक पवित्र कार्य है जिसे एक ब्राह्मण के साथ-साथ एक भंगी भी कर सकता है, ब्राह्मण इसके पवित्र होने के ज्ञानबोध के साथ करता है और भंगी बिना बोध के। मैं दोनों का ही आदर और सम्मान करता हूं। दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति में, हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। मुझे सेवा का मार्ग पसंद है; इसलिए मैं भंगी होना पसंद करूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें सहभोज या अंतरजातीय विवाह के लिए नहीं कह रहा। तुम्हें मैं परामर्श भी कैसे दे सकता हूं?'

विद्वान विजय प्रसाद द्वारा लिखे बाल्मीकि श्रमिकों के इतिहास में ये उल्लिखित है कि जब गांधी ने मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि कॉलोनी की 1946 में यात्रा की तो वाल्मीकि समाज के साथ भोजन करने से मना कर दिया। अम्बेडकर यह सब देख विचलित हो उठते थे। अम्बेडकर ने एक अवसर पर कहा था किः

'यह सच है कि हिंदू धर्म कई चीज़ों को अवशोषित कर सकता है। गौ मांस भक्षक हिंदू धर्म (या सही तौर ब्राह्मणवाद, जो इसका उचित नाम है) ने बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को अवशोषित कर लिया है और शाकाहार का धर्म बन गया। लेकिन एक चीज़ है जिसे हिंदू धर्म कभी नहीं कर पाया, और वह है अछूतों को अवशोषित, समाहित करना या अस्पृश्यता की बाधा को ख़त्म कर पाना।'

...शेष पृष्ठ संख्या 36 पर

टूटा हुआ फूल

साहित्यिकी



रहबान अली 'राकेश'
अररिया, बिहार

अपनी पुश्तैनी जर्जर खपड़ैल मकान के अस्त-व्यस्त कमरे में मदन शान्तचित लेटा हुआ था। ऊपर टाट पर मंडराते हुए नर एवं मादा गौरैये के युगल स्वर ने उनकी शांति भंग कर दी। वह बौखलाकर उठ बैठा। दोनों गौरैये के चें-चें के स्वर से पूरा कमरा प्रतिध्वनित होने लगा। उनके स्वर में उत्तेजना नहीं-करुणा और विलाप थी। याचना और प्रार्थना थी-वेदना और कसक थी।

अभी-अभी कुछ देर पूर्व ही मदन ने देखा था-कितनी प्रसन्न और प्रफुल्लित थीं गौरैये की वे युगल जोड़ी। दोनों अपनी चोंच में दाने भर कर लाये थे। उन्हें देखते ही घोंसले में उनके दोनों बच्चे चीं-चीं करने लगे थे। अपने बच्चों की चीं-चीं को सुनकर दोनों दम्पत्ति ने गर्व से एक-दूसरे को देखा था। उनकी आंखों में ममता और वात्सल्य के भाव तो थे ही, एक दूजे के प्रति अपार प्रेम और अनुराग को भी वे छुपा नहीं पा रहे थे।

दोनों दम्पत्ति मुग्ध भाव से बच्चों को दाने खिलाने में तल्लीन हो गये। दाने खाते हुए बच्चे अपने अपुष्ट डैनों को फड़फड़ाते हुए माता-पिता से लिपटने का प्रयास करने लगते। इस प्रागाढ़ वात्सल्य को देखकर मदन की आंखें छलछला उठीं।

और अचानक उन गौरैये को अब क्या हो गया था, जो वे चें-चें करते हुए कमरे में मडरा रहे थे। गौरैया दम्पत्ति के शोर से मदन झल्ला उठा। वे शोर ही नहीं मचाते बल्कि कभी-कभी तो मदन पर झपट भी पड़ते-अपनी चोंच से घोंसले को नोचने लगते, फिर थककर अलगनी पर मुरझाकर बैठ जाते। उनकी चुप्पी से वेदना और पीड़ा के भाव झलकने लगते। ऐसा प्रतीत होने लगता मानों उनका संसार उजड़ गया हो, उनकी कोई अमूल्य निधि जैसे किसी ने छीन ली हो। उनकी आंखों में निराशा और पश्चाताप के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। उफ़! ये कैसी असावधानी उनसे हो गयी थी जो उनके दोनों बच्चे घोंसले से नीचे गिर पड़े थे।

अचानक मदन की दृष्टि अपनी चारपाई के कोने पर गई। जहां दोनों बच्चे चीं-चीं कर रहे थे। उसने दृष्टि ऊपर उठाकर दोनों गौरैयों को देखा। गौरैये दम्पत्ति ने याचक भाव से अपनी गर्दन झुका ली। सारी बातें मदन की समझ में आ गयी और उसने तत्क्षण ही गौरैये के दोनों बच्चों को सावधानीपूर्वक उठाकर पुनः घोंसले में रख दिया। गौरैया दम्पत्ति खिल उठा, वह अपनी खोई हुई ममता को प्राप्त करके अपनी चोंच को ऊपर-नीचे करती हुई मदन को दुआएं देने लगी, और मदन यह सब कुछ देखकर अपने अतीत में खोने लगा।

उन दिनों मात्र पांच-छः वर्ष का रहा होगा मदन। फिर भी उसे सब कुछ याद है। वह अपने माता-पिता के साथ आम के बग़ीचे में टहल रहा था, तभी उसे शरारत सूझी और माता-पिता से आंखें बचाता हुआ बग़ीचे के दूसरे कोने में चला गया, जहां विशाल कुआं था। उसने एक पत्थर उठाकर कुआं में गिराया और फुर्ति से झाड़ी में जाकर दुबक गया। कुएं में पत्थर के गिरते ही छपाक की आवाज़ से उसके माता-पिता चौंक उठे और सामने मदन को न पाकर उनकी चीख निकल गयी। वे हताश होकर चीखते हुए कुएं की ओर झपटे और पागलों के समान कुएं पर अपना सिर पटकने लगे। तुरन्त ही झाड़ी से बाहर निकलकर अगर वह सामने नहीं आ गया होता तो शायद उनके माता-पिता कुएं में छलांग लगा ही देते। मदन को सामने सुरक्षित पाकर उन्होंने उसे सीने से चिपका लिया था और पागलों की तरह उसे चूमने लगे थे।

"यह देखो! यह नमकहराम अपने कमरे में विराजमान है" बूढ़े पिता के कर्कश स्वर से मदन हड़बड़ाकर उठा और उसके अतीत का तार टूट गया।

"हाय राम! इस करमजला को कहां-कहां नहीं खोजे हम कमल के बाबू!" माता जी भी हांफती हुई आ धमकी, "अरे निठल्ला, यहां क्या करता है....."

"कक्.....क्या बात है.....आप लोग इतने परेशान क्यों हैं.....।"

"परेशान क्यों हैं.....पूछता कैसे है?" पिताजी कुछ कहे इससे पहले ही भाभी जी की आवाज़ आई।

"हराम की रोटी तोड़ने वालों को घर की चिन्ता क्या होगी।"

"अरे नालायक टुकुर-टुकुर देखता क्या है?" मां और पिताजी एक साथ बोल पड़े "जा जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला ला। कमल का सिर दर्द से फटा जा रहा है....बच्चा दर्द से तड़प रहा है और तू पूछता है क्या बात है? जा भाग जल्दी से जा.....।"

उफ़! कमल भैया के सिर में दर्द है और वह यहां बैठकर गौरैयों में उलझा हुआ है। वह डॉक्टर के घर की ओर दौड़ पड़ा। वह जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला लाना चाहता था। क्योंकि वह जानता था कि अगर थोड़ा भी विलम्ब हुआ तो परिवार वालों की डांट सुननी पड़ेगी। उसे डांट सुनने की चिन्ता तो नहीं थी, वह तो इसका अभ्यस्त हो चुका था। चिन्ता तो सिर्फ़ इस बात की थी कि कमल भैया के सिर का



दर्द कहीं भयानक रूप धारण न कर ले। माता-पिता और भाभी जी की व्याकुलता तथा बच्चों की भाग-दौड़ को देखकर वह सिहर उठा था और द्रुत-गति से उसके पग डॉक्टर के घर की ओर बढ़ने लगे थे।

कमल! मदन का बड़ा भाई था। उन्हीं पर तो पूरा परिवार आश्रित था। पिता को रिटायर हुए तीन वर्ष हुए थे। पीएफ और ग्रेटीच्यूटी के पैसों से दो बहनों का विवाह तो किसी तरह सम्पन्न हो गया था, शेष दो जवान कुंआरी बहनें, मां-पिताजी, मुन्नी और गुड्डी सहित सभी का बोझ अकेले ही कमल भैया ढो रहे थे। प्राइमरी स्कूल की मास्टरी और इतने बड़े परिवार का भरण-पोषण अकेले ही कमल भैया उठा रहे थे। ऐसे में उसे कुछ हो गया.....नहीं-नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। वह दौड़ पड़ा, दौड़ता रहा.....।

दौड़ते हुए मदन को एक घटना का स्मरण हो आया। हां, उन दिनों वह इन्टर का छात्र था। उसके पेट में साधारण-सा दर्द हुआ था, यह जानकर भी माता-पिता, भैया और भाभी सभी परेशान हो गये थे। दवाई, टेबलेट, सीरप का ढेर लग गया था। पेट का दर्द तो बिना दवाई के ही छूट गया था परन्तु उसी दिन उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की नसीहतों के साथ-साथ डॉक्टरी जांच भी होने लगी थी।

उसे साधारण-सी छींक भी आती तो परिवार के सदस्य परेशान हो उठते और उस पर विशेष ध्यान रखा जाता। इसी विशेष ध्यान, स्नेह और सम्मान की छांव में आख़िर एक दिन वह एमए पास कर गया। उसके एमए पास करते ही घर में बहार आ गयी। मां और भाभी जी ने पूजा-अर्चना की, पिताजी और कमल भैया ने मिठाइयां बांटी। घर के प्रत्येक सदस्यों में नई आशाओं का संचार हुआ और उसकी सुख-सुविधाओं का विशेष ख़याल रखा जाने लगा।

प्रत्येक इंटरव्यू में मदन को सज-धजकर जाने की व्यवस्था की जाती। इंटरव्यू में जाने के पूर्व भाभी पूजा के थाल ले आती और माताजी प्रेम से टीका लगाकर ही विदा करती। परन्तु इंटरव्यू का सिलसिला जैसे-जैसे लम्बा होता गया, पूजा अर्चना ही नहीं, साज-सजावट में भी कमी होती गई। अब तो उसे कमल भैया के पुराने कपड़े से ही काम चलाना पड़ता था। महीनों तक दाढ़ी नहीं बन पाती, पुराने कपड़े मैल से महकने लगते। जर्जर हवाई चप्पल के फीते को रस्सी से बांधकर काम चलाना पड़ता। वह विवश था। आख़िर कब तक अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए अभिभावकों के समक्ष हाथ फैलाता रहता। अभिभावकों की भी तो अपनी मजबूरियां थीं और स्वयं उसका भी तो अपना कोई स्वाभिमान था.....?

उस दिन मदन ने जिस क्वाक डॉ॰ को बुला लाया था, उसके द्वारा एस्प्रीन की टिकीया दिये जाने के पूर्व ही कमल के सिर का दर्द जाता रहा। फिर भी मां और पिताजी ने ज़बरदस्ती दो-चार टॉनिक मंगा दी थी। और आज! चार दिन से मदन भयानक ज्वर से तप रहा था। रात होते ही ज्वर की तीव्रता बढ़ जाती और वह बड़बड़ाने लगता, ' अ....आह....मम्....मैं....राजकुमार हूं....तुम राजकुमारी हो....कहां चला गया मेरा चपरासी....कहां चले गये सभी स्टाफ़....मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा....काम चोर....गेट आउट....कम इन..नो....रौंग नम्बर...।

"यह ड्रामा बंद होगा कि नहीं।" अपने कक्ष से ही कमल भैया चीख पड़ते।

"छोड़ो भी जी।" भाभी जी भी बोलने लगती। ''उसे दूसरों की सुविधा और असुविधा से कोई मतलब तो है नहीं जो वो अपना ड्रामा बन्द करेगा।"

"अरे करमजला, बच्चों को सोने भी देगा या नहीं, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है।" मां और पिताजी एक साथ चीख उठते। इस दशा में भी मदन उनकी डांट सुनकर सहमता हुआ शांत हो जाता और कुछ देर बाद ही पुनः बड़बड़ाने लगता-फिर डांट पड़ती और सहमकर शांत हो जाता....फिर....।

सभी अपनी-अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। मदन का ज्वर रुकने का नाम ही न ले रहा था। वह अपने बिस्तर पर कराहता हुआ करवटें बदलता और ज्वर की तीव्रता के कारण अनाप-शनाप बड़बड़ाने लगता। मुन्नी और गुड्डी कभी-कभी कमरे में आती, अपने चाचा को इस दशा में देखकर उसके सिर पर ठंडे जल की पट्टी रख जाती। छुत जाएगा चाचा....बुखाल छूत जाएगा....मत....रोओ....हम है न चाचा हम....।"

मुन्नी-गुड्डी की निःस्वार्थ सेवा का परिणाम था या उसे बेरहम समाज द्वारा और भी प्रताड़ित होना था, जिसके कारण आज उसका ज्वर उतर चुका था। भूख और कमज़ोरी के कारण वह चल नहीं पा रहा था। बड़ी कठिनाई से लड़खड़ाता हुआ वह दरवाज़े तक आ सका था। दरवाज़े पर ढेर सारे फूल खिल रहे थे। उसकी दृष्टि एक गुलाब के पौधे पर स्थिर हो गयी। गुलाब के पौधे फूलों से लदे थे। अनगिनत भौंरे उन फूलों पर मडरा रहे थे। भौंरो का झुंड गुनगुनाता हुआ आता, फूलों को अपना असीम प्यार देता और प्रतिदिन में मधुरस प्राप्त कर आत्म-विभोर हो उठता। कुछ टूटे हुए फूल भूमि पर गिरकर मुर्झा रहे थे, उनकी पंखुड़ियां हवा में फड़फड़ा रही थी। धूप के कारण उनका कोमल शरीर झुलस गया था परन्तु उन पर भौंरे तो नहीं मडरा रहे थे, पर मक्खियां ज़रूर भिनभिना रही थी....।

नास्ति येषां यशः
काये जरामरणजं भयम्

जिनके यशरूपी शरीर को मृत्यु एवं वृद्धावस्था का भय नहीं होता है।

जब कभी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने व्यतीत हो चुके छात्र-जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि बहुत-सी स्मृतियां, व्यक्तित्व एवं घटनाएं ऐसी हैं, जिसने मेरे जीवन एवं मानसपटल को गहराई से प्रभावित किया है। उस कालखण्ड को मैं न तो कभी विस्मृत कर सकता हूं और न ही छोड़ सकता हूं।

बात उन दिनों की है जब मैं 2007 ई. में एम.ए. (प्रथम वर्ष) में संस्कृत विभाग से सम्बन्धित था। 'बिरला-स छात्रावास' में निवास करता था। उसी समय छात्रावास में मेरा परिचय, एक सीनियर नवेद यासिर साहब से हुआ, जो उस समय फ़ारसी से एम.ए. कर रहे थे। चूंकि उर्दू मैंने बाल्यकाल में ढंग से पढ़ी थी और फ़ारसी सीखने की अभिलाषा सदा मन में बनी रहती थी इसलिए नवेद साहब से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ़ होते चले गये।

मैडम प्रो. शमीम अख़्तर से प्रथम भेंट उस समय हुई जब कलासंकाय के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में संस्कृत एवं फ़ारसी का परस्पर सम्बन्ध नामक त्रिदिवसीय व्याख्यान में आप सभा को सम्बोधित कर रही थी। आपके ओजस्वी व्याख्यान से सम्पूर्ण सभागार गुंजायमान हो रहा था।

इस कार्यक्रम में मुख्य व्याख्याता प्रो. अब्दुल वुदूद अज़हर (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली) थे। संस्कृत के पक्ष से गुरुवर प्रो.गोपबन्धु मिश्र (पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग कलासंकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) एवं प्रो. कृष्णकान्त शर्मा (पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान

सद्भावना



डॉ. राजेश सरकार
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी उ.प्र.

संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी कार्यक्रम में मुझे प्रो. शमीम अख़्तर के प्रथम दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इसी संगोष्ठी में दूसरे दिन मैंने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर स्वरचित संस्कृत 'नात' (पैग़म्बर की प्रशंसापरक कविता) का पाठ किया, जिसने सम्पूर्ण सभा के हृदय को जीत लिया। मैडम ने तत्काल ही मुझे पांच सौ रुपये का नक़द पुरस्कार दिया जो उनके विशाल हृदय का परिचय देता है। पांच सौ रुपये मेरे छात्र जीवन में एक बड़ी राशि हुआ करती थी। उसी समय प्रो. शमीम अख़्तर ने मुझे फ़ारसी पढ़ने के लिये आमंत्रित किया। मैंने एवं उस समय मेरे मित्र रहे राजन राय ने 'एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सियन लैंगवेज एंड लिट्रेचर' में एक साथ प्रवेश लिया और फ़ारसी विभाग साथ-साथ आने-जाने लगे। इस प्रकार प्रो. शमीम अख़्तर मेरी फ़ारसी की प्रथम गुरु हुई, जो पूरे उत्साह से हम सब छात्रों को फ़ारसी-साहित्य एवं व्याकरण पढ़ाती थी। फ़ारसी विभाग में ही मेरा परिचय प्रो. सैयद हसन अब्बास एवं डॉ. मुहम्मद अक़ील से हुआ। जिनमें प्रो. सैयद हसन अब्बास से मेरी विशेष आत्मीयता स्थापित हुई।

पठन-पाठन के क्रम में मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैडम प्रायः एक शेअर कहा करती थी जो उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता था- दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को। वरना ताअत के लिये कुछ कम न थे करो-ब्यां।

अर्थात् परमात्मा ने मनुष्य-जाति की उत्पत्ति सृष्टि के प्राणियों के दुःख को समझने एवं उसे दूर करने के लिये की है। वरना उसकी प्रार्थना के लिये देवदूत कम नहीं हैं।

मैडम के हृदय में अपने गुरु प्रो. अमृतलाल 'इशरत' के प्रति असीम श्रद्धा थी इसका पता इस प्रकार चलता है कि जब डॉ. अब्दुस्सलाम साहब ने अपनी पुस्तक 'बहारे इशरत' लिखी तो आपने उसकी प्रस्तावना में जिस शैली में गुरु की प्रशंसा की है, वह निःसन्देह अनुकरणीय है-

"चमनिस्तान- ए- इल्म- ओ- हुनर, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को अर्सा से "इशरत" कदः-ए-पुरबहार में जहां अरबी, उर्दू, संस्कृत, हिन्दी, मराठी, बंगाली, जर्मन और फ्रेंच वग़ैरह ज़बानों के शोबों का एक ख़ुशनुमा गुलदस्ता मौजूद हो, वहां अगर नग़मा सराई- ए- बुलबुल- ए- ईरान की दिलकशी न होती तो यक़ीनन उसके हुस्न को दोआतिशः बनने में कमी रह जाती। इस कमी को हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद प्रोफेसर अमृल लाल 'इशरत' ने पूरा किया। "इशरत" साहब ने ईरान से तालीम मुकम्मल करने के बाद ऋषियों, मुनियों, सूफ़ियों और दरवेशों

की सरज़मीन बनारस को अपना वतन-ए-सानी क़रार दिया और न सिर्फ़ ज़बान-ए-फ़ारसी की तालीम में मशग़ूल रहे बल्कि बेतअस्सुबी और इन्सान दोस्ती का भी दर्स देते रहे। मज़हबी मुनाफ़िरत और तबक़ाती कश्मकश से दूर रहकर इस विद्या की राजधानी में इल्म-ओ- फ़न की रानाइयां बिखेरते रहे।''

अपनी कमियों को सहज स्वीकार कर लेना मैडम के व्यक्तित्व की अपूर्व विशेषता थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा-बेटा राजेश! मैंने अपने जीवन में स्वयं पर तीन अत्याचार किये हैं-

प्रथम कि मैंने कम्प्यूटर चलाना नहीं सीखा। इस पर मैंने कहा-मैडम! कम्प्यूटर तो आपके समय में था ही नहीं।

द्वितीय मैंने काशी में रहकर ढंग से संस्कृत नहीं पढ़ी, नहीं तो मैं पंडिता हो जाती और तृतीय मैंने गाड़ी ड्राइव करना नहीं सीखा, जिसका ख़ामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। यद्यपि मैडम को प्रारम्भिक स्तर पर संस्कृत का ज्ञान था। संस्कृत के अनेक श्लोक उन्हें शुद्ध रूप में कंठस्थ भी थे। प्रायः वह 'मूकं करोति वाचालं', 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' तथा गांयत्री मंत्र सुनाया करती थीं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से उन्हें अपार स्नेह था। वह कहा करती थीं- बेटा राजेश! मैंने देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालय देखें हैं, लेकिन ऐसा सुन्दर विश्वविद्यालय मुझे कही नहीं दिखायी पड़ा। इतना सुरम्य और इतने विषयों का अध्ययन एक साथ कहीं पर नहीं होता है। उनके व्यक्तित्व में परम्परा एवं आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था। एक बार मैंने उनसे कहा कि

एक बार मैंने उनसे पवित्र क़ुरआन की पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा कि मैडम! मनुष्य दुर्बल उत्पन्न किया गया है-

'खुलिक़ल- इन्सा- न- ज़ईफ़ा' (पवित्र क़ुरआन)

इस पर मैडम ने कहा बेटा! आपकी व्याख्या सटीक नहीं है इन्सान कमज़ोर तो है लेकिन अपने रब के सामने। दुनियां में उसके जैसा कोई भी ताक़तवर नहीं है, क्योंकि वह ' अशरफ़- उल- मख़लूक़ात' (सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी) है। मैडम की धार्मिक-सहिष्णुता का परिचय इस बात से भी चलता है कि वे प्रायः क़ुरआन के सूरा-काफ़िरून की एक आयत दुहराया करती थीं-

'लकुम् दी-नुकुम वलिय-दीन'

'अर्थात् तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और हमारा धर्म हमारे लिए।' क़ुरआन शरीफ़ की यह सूरा अनुवाद सहित उनके टेबल पर भी लगा हुआ था।

धार्मिक चर्चा के क्रम में वह इस्लाम प्रतिपादित हुक़ूक़ उल हक़ (ईश्वर के प्रति कर्तव्य) एवं हुक़ूल उल एबाद (मानवाधिकार) की चर्चा करते हुए हुक़ूक़ उल एबाद (मानवाधिकार) पर विशेष बल देती थी।

मैडम! मै एम.फिल. करने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली जाना चाहता हूं, इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली जाकर क्या करोगे, वहां न तो संस्कृति है, न सभ्यता, आचार-विचार का भी लोप है। दूसरे ही क्षण उन्होंने कहा अवश्य जाओ, अध्ययन के लिये जहां भी जाना पड़े, चले जाओ। मैडम ने ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, बंगलादेश अनेक विदेश यात्राएं की थीं। जिसका अनुभव वह हम सभी को सुनाया करती थी, जो कि उस समय मेरे जैसे छात्रों के लिये ज्ञानवर्द्धक हुआ करता था।

अपनी न्यूनताओं को बिना किसी तर्क के सहज रूप से स्वीकार कर लेना आप के व्यक्तित्व को हमारी दृष्टि में और भी महान् बना देता था। एक बार उन्होंने ने हम छात्रों को समझाते हुए कहा देखो बेटा विषय का भी ढंग से अध्ययन करो, मात्र डिप्लोमा से कुछ नहीं होगा। मैंने भी अरबी में डिप्लोमा किया है। लेकिन मेरा अरबी का ज्ञान इतना भी नहीं है कि मैं इस सर्टीफिकेट कहीं लगा सकूं।

आपका सम्पूर्ण व्यक्तित्व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था, उनके मुख से अकसर एक कविता सुनने को मिलती थी-

सब धर्मों का स्थान यहीं है,
प्यारा हिन्दुस्तान यही है।

अपना निवासस्थान यही है,
प्यारा हिन्दुस्तान यही है।।

एक बार मेरे मित्र रहे राजन राय जी ने उन्हें डॉ. मुहम्मद इक़बाल की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता 'हिन्दुस्तानी बच्चों का क़ौमी गीत' सुनाया था, जिस पर प्रसन्न होकर आपने उनकों तत्काल 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया, जो

उनकी उदारता एवं राष्ट्रवादी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करती है।

उपहार देने के विषय में जैसी उदारता उनके हृदय में थी वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने एक बार मुझे अपनी लिखी हुयी पुस्तक 'औराक़-ए-परीशां' स्वहस्ताक्षर, सहित भेंट किया, जिस पर उन्होंने 'शागिर्द-ए-अज़ीज़' (प्रिय शिष्य) शब्द का प्रयोग किया। उनके इस उदार व्यवहार ने मुझे भाव-विभोर कर दिया। भावुकता तो उनके हृदय में कूट-कूटकर भरी हुयी थी। एक बार की बात है वह अपने चैम्बर में बैठी थीं कि मैंने वहां जाकर देखा कि आप रो रही हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक लड़की जो वर्षों पूर्व उनकी छात्रा थी, के घरेलू कलह में आत्महत्या करने का समाचार अख़बारों में प्रकाशित हुआ था, जिसके कारण आपकी यह दशा थी। मैडम से प्रायः धार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। इस चर्चा के क्रम में जहां तक मैंने पाया आप स्वधर्म के प्रति जितनी श्रद्धालु थीं, उतना ही परधर्म के प्रति आदर एवं सम्मान भी रखती थी। आप भारतवर्ष की सहिष्णुधर्मीय गौरवशालिनी परम्परा की समुपासिका थीं। एक बार मैंने उनसे पवित्र क़ुरआन की पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा कि मैडम! मनुष्य दुर्बल उत्पन्न किया गया है-

'खुलिकल-इन्सा-न-ज़ईफ़ा' (पवित्र क़ुरआन)

इस पर मैडम ने कहा बेटा! आपकी व्याख्या सटीक नहीं है इन्सान कमज़ोर तो है लेकिन अपने रब़ के सामने। दुनियां में उसके जैसा कोई भी ताक़तवर नहीं है, क्योंकि वह 'अशरफ़-उल-मख़लूक़ात' (सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी) है। मैडम की धार्मिक-सहिष्णुता का परिचय इस बात से भी चलता है कि वे प्रायः क़ुरआन के सूरा-काफ़िरून की एक आयत दुहराया करती थीं-

'लकुम् दी-नुकुम वलिय-दीन'

'अर्थात् तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और हमारा धर्म हमारे लिए।' क़ुरआन शरीफ़ की यह सूरा अनुवाद सहित उनके टेबल पर भी लगा हुआ था।

धार्मिक चर्चा के क्रम में वह इस्लाम प्रतिपादित हुकूक़ उल हक़ (ईश्वर के प्रति कर्तव्य) एवं हुकूल उल एबाद (मानवाधिकार) की चर्चा करते हुए हुकूक़ उल एबाद (मानवाधिकार) पर विशेष बल देती थी।

विश्वविद्यालय में आपका निवास मीरा कॉलोनी में था जहां पर प्रायः मेरा आना जाना रहता था। कभी चर्चा के लिये तो कभी पठन-पाठन के लिये। जितनी बार भी मैं उनके यहां गया, आवभगत सत्कार में आपने कभी कोई कमी नहीं की। प्रायः आप मुझसे कहा करती थीं- पंडित जी! मेरे यहां आपके खाने लायक़ कुछ नहीं है आज आप फल, दूध और मिठाईयों से काम चलाइये। उनके मकान के अहाते में एक बड़ा आम का पेड़ भी हुआ करता था जहां से हम बच्चों को मैडम की कृपा से स्वादिष्ट आम खाने को मिल जाया करते थे। ईद पर मिलने वाली दावत तो आज तक नहीं भूल सका हूं। एक बार की बात है "विश्व-फ़ारसी सम्मेलन" जो कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था, जिसकी देख-रेख आपके निर्देशन में हो रही थी। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के अध्यापक-प्राध्यापक एवं गणमान्य अतिथि आये थे। इसी सम्मेलन में मैंने आपको उस समय धाराप्रवाह फ़ारसी बोलते देखा जब आप सायंकालीन कार्यक्रम में कुलपति जी के साथ आये हुये ईरान के सांस्कृतिक दूत एवं अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत डॉ. सैय्यद मख़्दूम रईन का स्वागत कर रहीं थीं। इस कार्यक्रम में जब मुझे खाने के लिये शाकाहारी भोजन नहीं उपलब्ध हो सका। किसी प्रकार इस बात की सूचना जब उन तक पहुंची तो आप बेचैन हो उठीं और उन्होंने मेरे लिये स्वयं खोजकर शाकाहारी भोजन का प्रबन्ध किया। मेरे जैसे कुछ न जानने वाले बच्चे ने आपसे बहुत कुछ सीखा। कई जगह आपके साथ जाने का अवसर लगा, आपको बोलते सुना। इसी प्रकार मुझे एक घटना याद आती है कि डिप्लोमा में आप हेड चेम्बर में ही हम छात्रों को पढ़ाया करती थीं। किसी प्रसंग में आपने यह शेअर पढ़ा-

आंखें ज़बा नहीं है मगर बेज़बा नहीं।
होता है राज़-ए-इश्क़ मोहब्बत इसी से फ़ाश।

इस पर मुझे जोरों की हंसी छूट गयी, लेकिन आप उसी स्थिरता से साहित्य के श्रंगारिक पक्षों को पढ़ाती रहीं। एक बार आप से अहमद फ़राज़ की ग़ज़ल 'रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिये आ' पर गुफ़्तगू हो रही थी कि अचानक ही आपने मुझसे कहां-बेटा राजेश! यह पंक्ति कितनी सुन्दर है हम सभी को जीवन जीने की कला सिखा जाती है-

किस-किस को बतायेंगे जुदाई का सबब हम
तू मुझसे ख़फ़ा है, तो ज़माने के लिये आ।।

यह थी उनकी साहित्य विषयक दृष्टि। फिर मैं शोधकार्य में व्यस्त हो गया। आना-जाना कुछ कम हुआ। किन्तु कभी-कभार आपका समाचार लेने जाया करता था। अन्तिम बार जब उनसे मिला तो वह फ़ारसी के प्रसिद्ध शायर ख़ाक़ानी पर आपना व्याख्या ग्रन्थ लिख रहीं थीं। सहसा एक दिन मेरे अनुज एकात्मदेव जो किसी कार्य से सरसुन्दरलाल चिकित्सालय गये हुये थे, से सूचना मिली कि मैडम को ब्रेन हैमरेज हो गया है अवाक् रह गया भागकर हास्पिटल पहुंचा तो देखा कि आप जीवन व मृत्यु से संघर्ष कर रही हैं। आपको चेतना शून्य देखकर मुझे मानवीय विवशता का बोध हुआ एवं जीवन के शाश्वत सत्य का भी अनुभव करने लगा-'जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु' (श्रीमद् भगवद् गीता) अर्थात् जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं बीच-बीच में उन्हें देखने जाया करता था और एक दिन इस असार संसार को त्याग कर आप अनन्तलोक कि यात्रा पर चल पड़ी। आज वे संसार में नहीं हैं, किन्तु उनकी शिक्षाएं, उद्बोधन निरन्तर मेरा पथ-प्रदर्शन करती रहती है। मृत्यु ने उनके देह को नष्ट किया है किन्तु उनके यशरूपी शरीर को धूलिसात करने का साहस कराल काल में भी नहीं है।



इतिहास का सच और सच का इतिहास

इतिहास के झरोखे से



अशफ़ाक़ ख़ान
सवाई माधोपुर, राजस्थान

मानव का स्वाभाविक गुण होता है कि वो अतीत में हुई घटनाओं को समझने में रुचि रखता है। बल्कि इसे अपने विकास व आत्मसंतुष्टि के लिये आवश्यक अंग भी समझता है। इतिहास भी इसी मानवीय सभ्यता को समझने व उस काल क्रम में घटित घटनाओं का एक माध्यम है। मानव और इतिहास के बीच संबंधों के विकास का भी स्वयं एक लंबा कालखंड रहा है। मानव ने इतिहास को कभी ज्ञान अर्जित करने तक ही सीमित रखा, तो कभी इसे स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने के रूप में प्रयोग किया। कभी इसे तार्किकता में तड़का लगाने के लिये इस्तेमाल किया, तो कभी अपने पंथ, समुदाय के स्वाभिमान की गाथा के तौर पर प्रस्तुत किया। यानी स्वयं के स्वार्थ के लिये भी और सत्ताधारियों की नीतियों को प्रासंगिक बनाने में भी बख़ूबी प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पर कभी पूंजीवाद को सामाजिक समरसता के लिये आवश्यक बताया, तो कभी इसी व्यवस्था का सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में बखान किया। यही व्यव्हार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद के साथ किया गया। जबकि इतिहास का ये भौतिक स्वरूप इतिहास लेखन के रूप में अस्तित्व में आया।

इतिहास को परिभाषित करने को लेकर विभिन्न धारणायें है। कहा जाता है कि मानवीय समाज में सदैव से ही इतिहास और

> “इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारतीय इतिहास लेखन में धर्म एक तत्व है। लेकिन इस तत्व के आधार पर किसी प्रकार की नियोजित समझ विकसित करना भी अनुचित है। जब धर्म के आधार इतिहास लेखन होगा तो वो कई अन्य विवादों को जन्म देगा। बल्कि स्वयं के लिये भी जगहंसाई का माध्यम बन जाएगा। आज एक धर्म के पात्रों के प्रति इतना दुष्प्रचार किया गया कि एक आम पाठक भी विश्व के इतिहास में भी उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। इसी कारण से अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिज्ञों की ओर से हास्यास्पद बयान भी आते हैं। उदाहरणार्थ इंटरनेट प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा में ईजाद हो गया था या मोर आंसू से गर्भवती हो जाती है। आवश्यकता इस बात कि है कि मूल स्रोत व घटनाओं से वाद हो। इतिहास लेखन की व्यापकता इतनी है कि इसमें धर्म, पंथ जैसे तत्व सुक्ष्म हैं। इसके साथ न्याय तब ही संभव है जब इसके मूल स्वरूप तथा पक्षों के साथ समझौता न हो। इतिहास लेखन पर संस्कृति के छाया के नाम पर किसी को महान या वीर बताने का अर्थ है कि हम इतिहास के साथ-साथ वर्तमान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं।”

अतीत को समझने के अनेक प्रयास होते रहे हैं। चाहे फिर उसका स्वरूप मौखिक रहा हो या लिखित। बल्कि मौखिक इतिहास व घटनाओं के वर्णन का विकास ही लिखित इतिहास कहलाया गया, जिसका चरम बिंदु व स्वर्णिम काल वर्तमान काल है। इतिहास लेखन इसलिये भी आवश्यक था कि भूतकाल की घटनाओं को एक क्रमबद्ध अध्ययन कर उसे संभावित वास्तविकता के रूप में पेश किया जाए। ताकि तथ्यों को समझने के साथ-साथ उससे जुड़े अन्य सामाजिक व धार्मिक पक्षों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा जा सके। इतिहास लेखन के स्रोत व उससे जुड़े तत्व भी प्रारंभिककाल से अब तक कई परिवर्तनों का गवाह बने है। पूर्व में इतिहास लेखन के कोई निश्चित नियम या उद्देश्य नहीं थे, बल्कि इसे संसाधनों के अभाव में अधिक समय तक लिखे जाने की कोई योजना भी नहीं थी। इतिहास लेखन के लिये एक और जहां ताम्र, पत्थर, चट्टाने प्रयोग मे ली गई तो दूसरी ओर चमड़े और लकड़ियों पर भी इसका चित्रण व वर्णन किया गया। कई बार इसे सिर्फ़ मनोरंजन के लिये मौखिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया, तो कभी इसका सामाजिक परंपरा के रूप में मात्र निर्वहन किया गया। अतीत में इतिहास लेखन को लेकर कई विरोधाभास भी थे। जैसे कुछ शासकों व तानाशाहों ने इसे अपनी प्रशस्ति के तौर पर प्रयोग किया, तो इसी इतिहास को दैवीय दुनिया की भक्ति का भी माध्यम बनाया गया। यूरोपीय समाज में जहां इतिहास लेखन को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा जाने लगा, तो भारत में उस समय इतिहास सिर्फ़ पुराणों व धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमाबद्ध था। भारतीय इतिहास की इस दुर्लभता व समांतर वैश्विक इतिहास से अनभिज्ञता पर दोहरा प्रभाव यहां मौजूद शासन व उनसे उपजे तनाव का स्वाभाविक रूप से पड़ा। और यही कारण है कि १९वीं सदी में भारत के पास वास्तव में इतिहास लेखन के रूप में राजाओं के महिमामंडन व औपनेविशक शक्तियों के साम्प्रदायिक सामग्री के अलावा कुछ नहीं था ।स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय इतिहास लेखन में जो कुछ भी उपलब्ध था वो मुख्य रूप से अंग्रेज़ लेखकों के द्वारा लिखा गया था। या भारतीय इतिहासकारों द्वारा उनके ही हितोनुसार लिखा गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय तो शुरू हुआ लेकिन वो इतिहास न होकर एक राजनीतिक विचारधारा को प्रश्रय का प्रपत्र बन गया। हालांकि उसमें घटनाओं और तथ्यों की सत्यता के साथ तो समझौता नहीं किया गया, लेकिन वो अन्य समकालीन राजनीतिक व सामाजिक घटनाओं से पूरी तरह मुक्त था। बल्कि वो इतिहास के तौर पर अन्य विचारधाराओं की कमियों पर आलोचना करने के लिये भी तैयार नहीं था। उदाहरण के तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास में ये लिखा व प्रचार किया गया कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस का योगदान है। ये बात एक पक्ष तक सही है। लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हर वर्ग और दल ने भाग लिया। इस बात को नज़रअंदाज़ करने का नुक़सान ये हुआ कि लोगों के बीच एक समाज के तौर पर हीन भावना विकसित हुई। उनको व्यक्तिपूजा की ओर धकेला गया, ताकि लंबे समय तक राजनीतिक लाभ लिया जा सके। परिणामस्वरूप मूल इतिहास

को घटनाओं व तथ्यों की तह में दबा दिया गया। लेकिन यदि इसी आधुनिक इतिहास में सभी पक्षों को समाहित किया जाता, एक सतही व थोथी राजनीतिक बयानबाज़ी से दूर इतिहास की मूल भावना को प्रस्तुत किया जाता तो स्थिति कुछ और होती। इतिहास के इस स्वरूप से जब दक्षिणपंथियों को आपत्ति हुई तो उन्होंने एक ठोस प्रतिक्रिया देने व वैज्ञानिक आधार देने के बजाय एक संकीर्ण व साम्प्रदायिक इतिहास को परोसना शुरू किया। फलस्वरूप एक ऐसे इतिहास लेखन का जन्म हुआ, जो पूर्ण रूप से घृणा, द्वेष व धार्मिक पूर्वाग्रह पर आधारित था। उसमें तथ्यों व घटनाओं का कोई स्थान न होकर धर्म के आधार पर चीज़ों को बांट दिया गया। और इसी लिये वो इतिहास को इस तरह पेश करता है कि इतिहास में सारी घटनाओं का आधार धर्म था। ये भारतीय इतिहास में धर्म और समुदाय तत्वों की भूमिका को अति के तौर पर प्रस्तुत करता है। दक्षिणपंथी इतिहास लेखन का प्रभाव आधुनिक इतिहास लेखन पर तो नहीं हुआ, क्योंकि उनके यहां ऐसे पात्रों की कमी थी जो सार्वभौमिकता के उदाहरण हों, न ही उन्हें किसी को खलनायक बनाने की इच्छा थी। दक्षिणपंथी इतिहास ने मध्यकालीन इतिहास को साक्ष्य व उदारता के साथ लिखने के बजाय इसे धार्मिक पूर्वाग्रह के रूप में लिखने का प्रयास किया और सफल भी हुए। हालांकि ये अपने आप में विरोधाभास और विवेकहीनता से भरा पड़ा है। एक और दक्षिणपंथी इतिहास लेखन में महाराणा प्रताप का बखान किया जाता है लेकिन हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के कंमाडर हकीम ख़ान सूर को भुला दिया जाता है। इतिहास लेखन के समय बिना आधार के जहां मुग़ल या सल्तनत को क्रूर व दुष्ट प्रदर्शित किया गया, तो दूसरी ओर प्रतिहार व राजपूत शासकों को सिर्फ़ उनकी सामुदायिक पृष्ठभूमि के आधार पर महान साबित करने की कोशिश हुई है। जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब आपस में राजपूत शासकों के कई युद्ध हुए। ऐसे में एक आम नागरिक के लिये बहुत कठिन है कि वास्तविक इतिहास को जान पाये।

दूसरी ओर मार्क्सवादी इतिहास लेखन या वामपंथी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत लेखन में राजाओं व शासकों से इतर इसे एक परिवर्तन की भांति प्रस्तुत किया है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक व आर्थिक उथल-पुथल से पैदा हुआ है। और यही कारण है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भारत के समाज को स्वयं में परिवर्तन होने के बजाय इसे ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जोड़ा है। वामपंथी इतिहासकार ने जहां राजाओं के महिमामंडन से बचने का प्रयास किया वहीं उस समय की आर्थिक व समाजिक दशाओं का उल्लेख करना उचित समझा। ऐसे में पूरे इतिहास लेखन से विवाद तो कम लेकिन विरोधाभास अधिक पैदा होते है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन इतिहास में अशोक के बारे में कहा गया कि उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के पीछे सिर्फ़ आर्थिक कारण थे, जबकि धार्मिक पक्ष को सम्मिलित किये बिना पूरी शासकीय प्रणाली को समझना संभव नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन महापुरुषों को उभारने का प्रयास किया जो या तो स्वयं नास्तिक हो या मुख्य आंदोलन से दूर अन्य विचारधारा से प्रभावित हो। उदाहरण के तौर पर भगत सिंह के पूरे व्यक्तित्व का चित्रण इस प्रकार किया गया कि वो नास्तिकता के प्रचार में लगे थे, जबकि उनकी सारी लड़ाई के केन्द्र में ब्रिटिश राज ही था। ऐसे में वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के संदर्भ में धर्म से दूरी बनाकर इसे और जटिल बना दिया है।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारतीय इतिहास लेखन में धर्म एक तत्व है। लेकिन इस तत्व के आधार पर किसी प्रकार की नियोजित समझ विकसित करना भी अनुचित है। जब धर्म के आधार पर इतिहास लेखन होगा तो वो कई अन्य विवादों को जन्म देगा। बल्कि स्वयं के लिये भी जगहंसाई का माध्यम बन जाएगा। आज एक धर्म के पात्रों के प्रति इतना दुष्प्रचार किया गया कि एक आम पाठक भी विश्व के इतिहास में उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। इसी कारण से अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिज्ञों की ओर से हास्यास्पद बयान भी आते हैं। उदाहरणार्थ इंटरनेट प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा में ईजाद हो गया था या मोरनी आंसू से गर्भवती हो जाती है। आवश्यकता इस बात कि है कि मूल स्रोत व घटनाओं से वाद हो। इतिहास लेखन की व्यापकता इतनी है कि इसमें धर्म, पंथ जैसे तत्व सुक्ष्म हैं। इसके साथ न्याय तब ही संभव है जब इसके मूल स्वरूप तथा पक्षों के साथ समझौता न हो। इतिहास लेखन पर संस्कृति की छाया के नाम पर किसी को महान या वीर बताने का अर्थ है कि हम इतिहास के साथ-साथ वर्तमान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं।

...पृष्ठ संख्या 28 का शेष

जातिवाद पर गांधी और अम्बेडकर के विचारों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के बाद अरुंधति राय लिखती हैं कि जाति का विनाश तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम अपने आसमान के सितारों को पुनर्व्यवस्थित नहीं कर लेते। तब तक नहीं जब तक वे जो ख़ुद को क्रान्तिकारी कहते हैं, ब्राह्मणवाद का इंक़लाबी आलोचनात्मक विश्लेषण विकसित नहीं कर लेते। तब तक भी नहीं, जब तक वे जो ब्राह्मणवाद को समझते हैं, पूंजीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण और अधिक पैना नहीं कर लेते।

इस पुस्तक में अरुंधति रॉय ने जो तर्क रखे हैं सभी के संदर्भ और उद्धरण दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष आंकलन करने का प्रयास किया है लेकिन जाति के प्रश्न को यूं ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा इस पुस्तक में जाति के विनाश के लिए केवल इस बात पर सारा ज़ोर दिया गया कि अम्बेडकर को पढ़ा जाए। वर्तमान जातिवाद व्यवस्था से निकलने का कोई ठोस विकल्प नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जातिवाद आधारित भेदभाव इस पुस्तक का केंद्र बिंदु है लेकिन अम्बेडकर से अधिक गांधी पर ज़्यादा फोकस किया गया है।

कम्पेरेटिव रिलिजन



मुनव्वर हुसैन
गोरखपुर, उ.प्र.

कल्कि अवतार की प्रतीक्षा

अवतारवाद की मान्यता वर्तमान सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। मुख्य रूप से दशावतार की मान्यता है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में चैबीस अवतारों का उल्लेख है। इन सभी दस अथवा चैबीस अवतारों में अंतिम अवतार कल्कि के होने की मान्यता है, जिसके आगमन की प्रतीक्षा वर्तमान हिन्दू समाज कर रहा है।

पुराणों में अंतिम अवतार के संबंध में जो वृत्तांत हमें मिलता है, उसके आधार पर इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ही कल्कि अवतार प्रमाणित होते हैं। साधारणतयः यह समझा जाता है कि अवतारवाद एवं ईशदूतत्व एक ही अवधारणा के दो भिन्न नाम हैं। जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। पुराणों में वर्णित कल्कि अवतार के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्तित्व में ईशदूतत्व का लेशमात्र चिन्ह भी नहीं मिलता है । पुराणों में मुख्य रूप से जिस दशावतार का वर्णन मिलता है, उसे युगानुसार क्रमिक रूप से निम्न तालिका द्वारा भली-भांति समझा जा सकता है-

सतयुग:

1. मत्स्य अवतार–मछली के रूप में
2. कच्छप अवतार–कछुए के रूप में
3. वाराह अवतार–सूअर के रूप में
4. नृसिंह अवतार–अर्ध मानव एवं अर्ध सिंह के रूप में।

त्रेतायुग:

5. वामन अवतार–बौने मानव के रूप में
6. परशुराम अवतार–मानव के रूप में
7. रामावतार–मानव के रूप में

द्वापर युग

8. कृष्णावतार–मानव के रूप में
9. बलराम अवतार–मानव के रूप में

कलियुग:

10. कल्कि अवतार–मानव के रूप में।

उपरोक्त तालिका में क्रमांक नौ पर उल्लिखित के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बौद्ध धर्म को सनातन धर्म में विलय की मंशा से किया गया प्रतीत होता है।

इस्लामी मान्यता के अनुसार पहले पैग़म्बर हज़रत आदम (अलैहि०) हैं और अवतारवाद की मान्यता के अनुसार पहले अवतार मत्स्य अवतार हैं। पुराणों में कहीं भी स्वायंभु मनु का अवतार के रूप में वर्णन नहीं किया गया है, जबकि स्वायंभु मनु और आदम एक ही व्यक्तित्व के दो भिन्न नाम हैं। केवल अंतिम अवतार कल्कि ही एक मात्र ऐसा व्यक्तित्व हैं, जो पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ही प्रमाणित होते हैं । (विस्तृत अध्ययन के लिए पढ़िए-'कल्कि अवतार और मुहम्मद साहब', लेखक डॉ० वेद प्रकाश उपाध्याय) पुराणों में अवतारवाद की मान्यता की यह विचित्र स्थिति क्यों है? यह एक अलग विषय है, जिसका वर्णन इस लेख में करना अपेक्षित नहीं। मेरा विषय यह है कि जिस कल्कि अवतार के आगमन की प्रतीक्षा भारत में की जा रही है, उसके जन्म-स्थान के संबंध में पुराणों में क्या उल्लेख है?

पुराणों में समस्त पृथ्वी को सात भागों में विभक्त किया गया है। कल्कि अवतार के जन्म-स्थान की वास्तविकता को जानने के लिए निम्न तालिका पर दृष्टिपात करना आवश्यक है–

क्रमांक	द्वीप का नाम	वर्तमान देश	नामकरण का कारण
1.	जंबू द्वीप	भारत, पाकिस्तान बंगलादेश, म्यांमार आदि	जामुन के वृक्ष विशेषकर इसी द्वीप में पाये जाते थे ।
2.	शाक द्वीप	ईरान, अफ़ग़ानिस्तान	साग-सब्ज़ी और मेवा सर्वाधिक इसी द्वीप में उत्पन्न होते थे।
3.	कोमेदिक द्वीप	रूस, जर्मनी, चीन और जापान	पहाड़ और ग़ैर-मजरुआ क्षेत्र इस द्वीप में सर्वाधिक थे ।

4.	कौन्य द्वीप	तुर्की, यूनान और इटली	बगुला पक्षी इसी द्वीप में पाये जाते थे।
5.	पुष्कर द्वीप	फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड	बर्फ़ीले क्षेत्रों का नाम पुष्कर द्वीप था।
6.	कुश द्वीप	अफ़्रीक़ा	इस द्वीप में कुश (ख़स) बहुत उत्पन्न होता था।
7.	शाल्मलि द्वीप	सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन आदि देश	सेमल (कपास) के वृक्ष इस द्वीप में सर्वाधिक थे।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म अरब प्रायद्वीप के मक्का नगर में हुआ था। इस दृष्टिकोण से पुराणों में कल्कि का जन्म-स्थान शाल्मलि द्वीप लिखा होना चाहिए था, परंतु पुराणों में कल्कि का जन्म-स्थान शंभल ग्राम या संभल ग्राम लिखा हुआ है। मेरा ऐसा मत है कि यह पुराणों में प्रक्षेपण है। डॉ० कमला कांत तिवारी और डॉ० रमेश प्रसाद गर्ग ने अपनी पुस्तक-'कलयुग के अंतिम नबी'-में पं० धर्मवीर उपाध्याय की पुस्तक-'अंतिम ईशदूत'- के कतिपय अंशों को उद्धृत किया है, जिसका एक अंश इस प्रकार है-"...आदाम (आदम) के 6,000 वर्षों बाद शंबल द्वीप के समीप मंदरीने में ईश्वर का अंश आदम की संतान चमत्कारिक रूप में अवतरित होगा। जिस धरती पर वह जन्म लेगा, वह मेरी प्रिय धरती होगी।" (संदर्भ स्रोतः 'हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और भारतीय धर्मग्रंथ, डॉ० एमए श्रीवास्तव, संशोधित संस्करण, 2015 ई०) उपरोक्त उद्धरण में पं० धर्मवीर उपाध्याय ने कल्कि का जन्म-स्थान शंबल द्वीप लिखा है जबकि पुराणों में कल्कि का जन्म-स्थान शंभल ग्राम या संभल ग्राम लिखा हुआ है। शंभल ग्राम, संभल ग्राम या शाल्मलि द्वीप निश्चित रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। डॉ० वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी लिखा है कि-"शंभल किसी ग्राम का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि केवल किसी ग्राम विशेष को शंभल नाम दिया गया होता तो इसकी स्थिति भी बतायी गयी होती। नहीं बतायी गयी है।" (कल्कि अवतार और मुहम्मद साहब', पृष्ठ 29)

भविष्य पुराण, कल्कि पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्कि के कार्यक्षेत्र के संबंध में हमें अरब प्रायद्वीप की पृष्ठभूमि ही मिलती है। भविष्य पुराण में कल्कि अवतार के प्रसंग में 'म्लेच्छांस्तान' शब्द का प्रयोग कल्कि के अरब प्रायद्वीप में ही जन्म लिए जाने की दिशा में संकेत करता है। संदर्भित श्लोक इस प्रकार है-

तदास् भगवान कल्किः पुराण पुरुषोद्भवः।
दिव्यं वाजिनमारुह्य खंगी वर्मी च चर्मधक।
म्लेच्छास्तान दैत्यभूताश्च हत्वा योगं गमिष्यति।।

"उस अवसर पर पुराण पुरुष कल्कि प्रकट होंगे, जो दिव्य अश्व पर आरूढ़ और तलवार, कवच, ढाल आदि समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होंगे। वे 'म्लेच्छास्तान' में दैत्यों और भूतों (दुष्ट अधर्मियों) को उनके दुष्कर्मों के फलस्वरूप नष्ट कर देंगे और उसके पश्चात् महासमाधि ग्रहण कर लेंगे।" (संदर्भ स्रोत: भूमिका-'कल्कि पुराण', पृष्ठ 121, संस्कृति संस्थान, ख़्वाजा क़ुतुब बरेली)

इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्कि अवतार के प्रसंग में 'नृपलिंगच्छदी' शब्द का प्रयोग हुआ है। नृप का अर्थ है राजा और लिंगच्छदो का अर्थ है ख़तना किया हुआ। 'नृपलिंगच्छदो' शब्द का प्रयोग कल्कि के अरब प्रायद्वीप में ही जन्म लेने की ओर संकेत करता है। संदर्भित श्लोक निम्न प्रकार है-

विचरन्नाशुना क्षोण्यां हुयेनाप्रतिमद्युतिः।
नृपलिंगच्छदो दस्यून कोटिशो निहनिष्यतिः।।

"(कल्कि) अपने शीघ्रगामी वाहन पर सर्वत्र विचरण करके ख़तना किये हुए राजाओं (शासकों) के वेष में प्रच्छन्न करोड़ों लुटेरों का संहार करेंगे।" (12/2/20) संस्कृति संस्थान, ख़्वाजा क़ुतुब, बरेली)

भागवत पुराण के उपरोक्त श्लोक में राजा रूपी दस्युओं को कल्कि द्वारा नष्ट किये जाने की बात कही गयी है। जिस समय इस पुराण की रचना की गयी थी, उस समय पृथ्वी पर प्रत्येक अधिकार संपन्न और शक्तिशाली को राजा माना जाता था। इस श्लोक में करोड़ों लुटेरों शब्दों का प्रयोग अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन है।

इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में 'म्लेच्छादस्युदुष्टा', अग्नि पुराण में 'म्लेच्छान्' और कल्कि पुराण में 'कल्किम्लेच्छगणांकखाले' शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि कल्कि का जन्म-स्थान शाल्मलि द्वीप है न कि जंबू द्वीप।

इस लेख में मैं पाठकों का ध्यान कल्कि के संबंध में एक ऐसे रोचक तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसका वर्णन पुराणों में कहीं नहीं है, परंतु प्रचारित यही किया गया है। वंशधिर त्रिपाठी, प्रोफ़ेसर, काशी विद्यापीठ लिखते हैं-"कलियुग के चौथे और अंतिम चरण में एक ऐसा युग आएगा जिसमें मूर्ति पूजा पर प्रशासन की ओर से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। वर्तमान मुरादाबाद के निकट संभलपुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में चोरी-छिपे शालिग्राम की पूजा होगी। इस बात की भनक जब प्रशासन को लगेगी तो उस घर की तलाशी ली जाएगी। आपत्ति से बचने के लिए घर की कुमारी कन्या शालिग्राम की पिंडी को निगल जाएगी। इसी पिंडी का जन्म उस कन्या के गर्भ से शिशु के रूप में होगा, जिसे कल्कि अथवा कल्कि अवतार के रूप में जाना जाएगा। कुमारी कन्या के गर्भ से पैदा होने के कारण शिशु और उसकी माता के ऊपर कलंक लगेगा इसीलिए इसे कलंकी अवतार कहा जाएगा। घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी के सभी प्राणियों का विनाश करेगा।" (जनवाणी,

'दैनिक जागरण', गोरखपुर, 12 अक्तूबर, 1992 ई०)

पुराणों में कल्कि अवतार का जन्म-स्थान शंभल ग्राम उल्लिखित होने के कारण हिन्दू धर्म-मनीषी 'म्लेच्छास्तान' की पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हैं और कुछ हिन्दू धर्म-मनीषियों ने तो उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्थित संभल तहसील को ही प्रतीक्षित कल्कि अवतार का जन्म-स्थान घोषित कर दिया है। संभल तहसील ने वर्ष 2012 में अब नवसृजित जनपद का रूप ले लिया है। यहां प्रत्येक वर्ष अक्तूबर-नवम्बर माह में कल्कि महोत्सव भी धूम-धाम से मनाया जाता है। वर्ष 2007 में यहां एक कल्कि पीठ की स्थापना भी की गयी है। प्रमोद कृष्णम् इसके प्रथम पीठाधीश्वर नियुक्त किये गये हैं। प्रमोद कृष्णम् उच्च शिक्षा प्राप्त एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। इन्होंने उर्दू की भी शिक्षा प्राप्त की है। उर्दू में शेर भी कहते हैं। इनके नातिया कलाम की कुछ बानगी प्रस्तुत है-

मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं।
सहारा बेसहारों का ख़ुदा के वह दुलारे हैं।।
समझ कर तुम फ़क़त अपना उन्हें तक़सीम न करना।
नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।।

...

बात निकली तो हर इक बात से ख़ुशबू आयी।
ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से ख़ुशबू आयी ।।
मैं सो गया था मदीने का तसव्वर करके
तमाम रात मेरी ज़ात से ख़ूशबू आयी।।

प्रमोद कृष्णम् का उपरोक्त कलाम गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके स्वयं उन्हीं के स्वर में सुन सकते हैं।

कल्कि संसार में आये और चले भी गये। कल्कि ने तो स्वयं को पूज्य नहीं, ईशदूत बताया था। अपना नाम मुहम्मद और अहमद बताया था। ईश्वर को निर्विकार, एक एवं अकेला बताया था। ईश्वर प्रदत्त धर्म को सनातन एवं शाश्वत बताया था।



व्यंग्य



असद आज़मी
बनारस, उ.प्र.

सपने में राम

ब्रह्मा की अध्यक्षता में देवताओं की सभा चल रही थी। सभी छोटे बड़े देवता सभा में उपस्थित थे। देवताओं में चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो पहले से उदास चल ही रहे थे लेकिन राम मंदिर के पक्ष में फ़ैसला आने के बाद अब एकदम अलग-थलग क्वॉरेंटाइन होकर अपने कक्ष में कैद हो गए हैं, ना किसी से मिल रहे हैं ना वार्तालाप कर रहे हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने सत्य वचन न्याय और मृदुल व्यवहार के लिए ही प्रसिद्ध हैं। देवताओं की सभा में लंबी चर्चा और गहन चिंतन के बाद यह तय हुआ कि यह मामला मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रह्मा को स्वयं उनके पास जाकर उनका हाल-चाल पूछना चाहिए और उनके इस बदले व्यवहार का कारण पता कर उसके निराकरण का मार्ग निकालना चाहिए।

ब्रह्मा श्रीराम के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि राम बहुत ही उदास ध्यान की मुद्रा में बैठे पृथ्वी लोक पर एक देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। ब्रह्मा ने बड़े ही आदर और प्रेम भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कंधे पर हाथ रखा। अचानक और अप्रत्याशित दिव्य पर से राम चौक गए और देखा कि ब्रह्मा स्वयं उनके पास खड़े हैं। राम आदर भाव से उठ खड़े होते हैं अपने दोनों हाथों से उन्हें प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा प्रेम भाव से उनके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है, आपको क्या पीड़ा है आप हम सब से अलग-थलग क्यों हो गए? आपके मौन से स्वयं मैं और पूरा देवता लोक अत्यंत चिंतित है। आप मुझे अपनी व्यथा का कारण बताइए ताकि मैं आप की व्यथा का निराकरण कर सकूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुछ देर मौन रहने के बाद बोले हे ब्रह्मा, हे तीनों लोकों के स्वामी आप सर्वज्ञाता हैं। त्रिकालदर्शी आप को सब पता है कि मैं क्यों दुखी हूं। यह सुनकर ब्रह्मा बोले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ब्रह्मा का आग्रह स्वीकार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े ही व्यथित हृदय से बोले हे ब्रह्मा, क्या आपको नहीं पता इस कलयुग में एक लंबे समय अंतराल से पृथ्वी लोक के एक देश भारत में मेरे नाम पर क्या-क्या हो रहा है। क्या आपको नहीं पता कि मेरा नाम लेकर तुच्छ राजनैतिक खेल खेला जा रहा है। आपको नहीं पता कि मेरा नाम का नारा ना लगाने पर भीड़ किसी भी मनुष्य को पीट-पीटकर हत्या कर रही है। क्या मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एक मस्जिद में चुपके से मूर्ति रख कर वहां नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया गया कि यह मस्जिद मंदिर गिराकर बनी है। क्या आप इस बात से भी अनभिज्ञ है कि झूठा मुकदमा चलाया गया। आप भली-भांति जानते हैं कि मेरे नाम पर हुए इन सभी कुकृत्यों ने मेरी मर्यादा को तार-तार कर दिया लेकिन मुझे न्याय के मंदिर यानी न्यायालय से आशा थी कि वह मेरी मर्यादा को तार-तार होने से बचा लेगा लेकिन अभी सुनवाई चली रही थी कि वह वोट और सत्ता को लेकर न्याय की अनदेखी करते हुए शिलान्यास कराया गया। यह देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई लेकिन फिर भी मैंने न्याय के मंदिर से आशा नहीं छोड़ी मेरे नाम पर लाखों तथाकथित भक्तों की एक उन्मादी फ़ौज खड़ी की गई जिसने मेरे नाम का उद्घोष करते हुए मस्जिद गिराने का अक्षम अपराध किया। मेरे नाम पर धरती पर रक्तपात किया। सामाजिक सद्भाव बिखर जाने के बाद भी मुझे न्याय के मंदिर से आशा थी कि दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा देकर और मस्जिद का पुनः निर्माण करा कर मेरी मर्यादा को भंग होने से बचा लिया जाएगा, परंतु हे! ब्रह्मा आपको भली-भांति ज्ञात है कि ऐसा नहीं हुआ, यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाने के बाद कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला, के बावजूद न्याय के मंदिर से अन्याय की घोषणा की गई तो मैं पूरी तरह अवाक् रह गया। फिर मैंने सोचा अधर्म और महा अन्याय को देखते हुए आप और तमाम देवता एक आपात बैठक कर पृथ्वी पर अघोर अन्याय की समीक्षा करेंगे और इसके फल स्वरुप महाप्रलय की घोषणा कर देंगे, क्योंकि कलयुग तो एक लंबे समय से चल ही रहा है।

परंतु हे! ब्रह्मा आपने ऐसा नहीं किया। महाप्रलय की घोषणा के लिए अब आप किस काल के प्रतीक्षा में है? इससे बुरा और अब क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुख से इन सत्य और कठोर वचनों को सुनकर ब्रह्मा अपना सिर झुकाए बिना कुछ उत्तर दिए कक्ष से बाहर चले जाते हैं और जाते ही देवताओं की एक आपात बैठक बुला मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हुए वार्तालाप की जानकारी देते हुए बताते हैं कि राम अत्यंत व्यथित है। यह सारी बातें सुनकर देवता स्वयं को लज्जित महसूस करते हैं और ध्वनि मत से एक होकर ब्रह्मा से आग्रह करते हैं कि हे! ब्रह्मा अब आप अविलंब महाप्रलय की घोषणा कीजिए ब्रह्मा अविलंब इसकी घोषणा कर देते हैं। धरती डोल उठती है, धार्मिक स्थल कापने लगते हैं, तभी मेरी आंखें खुल जाती हैं। सपने से घबराकर मैं उठ बैठता हूं और शरीर में महाप्रलय के कंपन को महसूस करता हूं।



कोरोना टीके की सफलता को लेकर आशंकाएं

सरकार की ओर से पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण के एलान को लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा-परिचर्चा शुरू हो गयी है। कुछ लोग टीका ट्रायल की परिक्रिया और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोगों ने सरकार की कोशिशों को सराहा है। साइकिल से कोरोना का टीका ले जा रहे स्वास्थ्यकर्मी की फ़ोटो शेयर करते हुए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक और ट्वीटर पेज पर लिखा कि कोरोना के टीका लगाने के 'नक़ली अभ्यास' में भाजपा सरकार के सरकारी इंतिज़ाम की अस्ली सच्चाई खुल गयी है। जिस वैक्सीन को लगने से पहले ख़राब होने से बचाने के लिए ठंडे बक्से में जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सबसे बड़ी ज़रूरत है उसके लिए सरकार ऐसी जानलेवा लापरवाही न करे। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक पोस्ट में इस टीका को भाजपा का टीका बताते हुए कहा कि वे इसको नहीं लगावाएंगे।

बिहार में चुनाव के दौरान भाजपा ने फ्री कोरोना टीका देने का एलान किया था। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा के ख़िलाफ़ उसी का दांव इस्तेमाल करते हुए फ्री कोरोना टीका लगाने का एलान किया। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले सभी जरूरतमंद लोगों को कोरोना का वैक्सीन फ्री में लगवाएगी। राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है।

उधर बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजप्रताप यादव ने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर आयी उनकी प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि वे कोरोना टीके की सफलता को लेकर आशंकित हैं। उन्होंने लिखा कि पहले मोदी जी टीका लगवा लें, फिर हम भी लगवा लेंगे।

पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने 10 जनवरी को अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा है कि जी न्यूज़ की पूजा मक्कड़ ने कोरोना वैक्सीन को कारगर बताने के चक्कर में 'टीका' लगवा लिया, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। वैक्सीन की डोज लेने के 24 घंटे बाद ही उनकी तबियत बिगड़ गयी, इस रिपोर्टर को एक दिन बाद ही बुख़ार आ गया



और हाथों में तेज़ दर्द शुरू हो गया।

मालूम रहे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया की ओर से डेवलप किया गया कोरोना का टीका और भारत बायोटेक की ओर से स्वदेश में तैयार टीके को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गयी है। शुरुआत में इस टीके को लाखों हेल्थकेयर वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद अन्य लोगों को।

इस टीके के परीक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही । कुछ हवालों से मीडिया में आयी ख़बरों में कहा गया कि भोपाल में सीरम इंस्टिट्यूट के वैक्सीन कोविशिल्ड में बड़ा फ़र्ज़ीवाड़ा किया गया। पीपुल्स अस्पताल में बिना बताए 600 से ज़्यादा लोगों पर कंपनी के वैक्सीन का परीक्षण किया गया और उनमें से कई लोगों को 750 रुपया देकर रवाना कर दिया गया। टीका लगने के बाद जब बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे तब इस बात का ख़ुलास हुआ। अस्पताल ने भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने टीकाकरण किया था।

कोरोना टीका लगने के बाद कुछ लोगों की मौत की ख़बर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। हालांकि मौत को लेकर अस्पताल या सरकार के पक्ष का अभाव दिखा। डॉ. प्रियंका सिंह ने ट्वीटर पर लिखा कि भोपाल में कोरोना टीका लगने के 9 दिन बाद एक वॉलंटियर की मौत हो गयी। टीका के परीक्षण के बाद भोपाल में वालंटीयर्स बोले था कि कोरोना का टीका लगाओ, 750 रुपये मिलेंगे।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से आयी ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा का सही ठहराती हैं। मीडिया में आयी भोपाल की ख़बरों में कहा गया कि यहां ग़रीब बस्तियों में वैन आयी। उसमें बैठे लोगों ने आवाज़ लगायी कि 750 रुपये मिलेंगे, कोरोना का टीका लगा लो। एक व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि हम भी गए, अस्पताल में पहले हमारी जांच की गयी और फिर इंजेक्शन लगाया गया, और पैसे देकर हमें घर भेज दिया गया। तीसरे दिन इतना सर्दी-ज़ुकाम बिगड़ा कि सांस फूलने लगी, भूख भी नहीं लग रही थी, तब से काम पर भी नहीं गया।

कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लेने के बाद कई वॉलंटियर ने सिर दर्द, चक्कर, भूख न लगना, उल्टियां होना, कमर दर्द, सांस फूलना और पेट दर्द जैसी कई समस्याओं का सामना किया है।

ख़बरों में कहा गया कि भोपाल के पीपुल्स मेडिकल अस्पताल में कई लोगों पर भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन का परीक्षण किया गया। वालंटीयर ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये। भोपाल गैस पीड़ितों पर भी ट्रायल किये गए हैं। इन वालंटीयर्स को वैक्सीन के ट्रायल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया और सिर्फ़ इतनी जानकारी दी गयी कि इंजेक्शन लगने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, इनमें ज़्यादातर मज़दूर हैं।

इन ख़बरों और चर्चाओं को लेकर सोशल मीडिया का माहौल गर्म रहा। कोरोना टीके की सफलता पर लोग सवाल खड़े करते दिखे। कई यूजर्स ने टीका से बचने की सलाह देते हुए यहां तक लिखा कि यह दुनिया की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस टीके का सिर्फ़ भारत में दुष्प्रभाव सामने आया हो, दुनिया के अन्य देशों में भी इसके कई तरह के दुष्प्रभाव सामने आये हैं।

तर्क-वितर्क



वक़ास अहमद
मोतीपूर, बिहार

आइडेंटिटि पॉलिटिक्स और "अपनी क़यादत"

मौजूदा सामाजिक राजनैतिक परिस्थिति से उकता कर हमारे कुछ लोग कहते हैं कि अब मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना चाहिए, ताकि उसके ज़रिये हमारी राजनैतिक भागीदारी तय हो और हमारी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को बल मिले, अपनी क़यादत से उनका क्या आशय हो सकता है? एक नेता हो जो मुसलमानों का हो, एक पार्टी हो जो मुसलमानों की हो,मैं पूछता हूं कि इससे क्या बदल जायेगा? मुझे लगता है कि ये राजनीति के सवाल का सरलीकरण है, आज़ादी के बाद मुसलमानों ने जितनी राजनीति की है वो एक खास क़िस्म के दायरे में रह कर की है, आप पिछले कुछ दशक की मुस्लिम राजनीति पर नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि हमेशा से ही मुसलमानों का कोई न कोई नेता रहा है, हर पार्टी में एक अदद मुस्लिम नेता, हर सरकार में एक अदद मुस्लिम मंत्री मगर हम राजनीत में सरकारों से क्या मांग करते है? चंद सरल से मुद्दे हैं जैसे उर्दू का तहफ़्फ़ुज़, उर्दू टीचर की बहाली, पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़, या फिर मुस्लिम आरक्षण की मांग, पूरी मुस्लिम राजनीति तो इन्हीं कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है, मगर हम ग़ौर से देखें तो क्या इन्हीं चंद मुद्दों में मुस्लिमो के सवालों को समेटा जा सकता है? आज़ादी से पहले से ही आरएसएस का यही दृष्टिकोण रहा है कि मुस्लिम और हिन्दू दो अलग क़ौमें हैं ओर उन्हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए लेकिन इस देश में तमाम तरह की आवाज़ें वक़्त के साथ मज़बूत होती रहीं, पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय का सवाल हो, दलितों की भागीदारी का सवाल हो या फिर स्थानीय स्तर पर होने वाले सामाजिक राजनैतिक आंदोलन हों, और इन्हीं राजनैतिक चेतना के उभार के कारण देश ने कई राजनैतिक बदलाव देखे। लेकिन मुसलमानों की राजनीति का स्वरूप हमेशा एक जैसा ही रहा? क्या मुसलमानों के लिए हमेशा से राजनैतिक संभावनाएं शून्य थीं? क्या मुसलमान देश को कोई ऐसा राजनीतिक नज़रिया दे सकते थे जिससे आने वाले समय में देश को अच्छी दिशा दी जा सकती थी या फिर कोई राजनैतिक बदलाव लाया जा सकता हो।

मगर हम देखते हैं की जो मुद्दे मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से भी अहम माने जाते हैं उन मुद्दों पर भी मुसलमानों की कोई राजनैतिक इक्षाशक्ति नहीं दिखाई देती, शराबबंदी का मुद्दा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह जैसे मुद्दे पर भी मुसलमानों ने कोई राजनैतिक विमर्श नहीं खड़ा किया, अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार चुनाव के दौरान ये सब मुद्दे हो सकते थे, नीतीश कुमार ने अपने पिछले कार्यकाल में इन सब मुद्दों पर काम किया था लेकिन तब मुसलमान सीमांचल और मिथिलांचल के मुस्लिम वोटों की बंदरबांट में मसरूफ थे, आप राजनीति को कुछ देंगे नहीं तो फिर किसी किस्म की मांग कैसे रख सकते हैं, और जहां तक मुसलमानों के राजनैतिक मुद्दों का सवाल है तो उसे चंद

सम्पादकीय नोट:

यह कालम ज्वलंत विषयों पर वैचारिक विमर्श के लिए शुरू किया जा रहा है। प्रस्तुत लेख में व्यक्त किये गए विचार से मासिक कांति की सहमति ज़रूरी नहीं है। प्रबुद्ध पाठकों की आलोचना और तब्सिरों का स्वागत है।

मुद्दों में नहीं बांधा जा सकता, ग्रामीण क्षेत्रों के मुसलमान जो खेती बाड़ी और मज़दूरी के पेशे से जुड़े हैं, छोटे शहर और क़स्बे के मुसलमान जो लघु एवं घरेलू उद्योग से जुड़े हैं, मध्यम वर्गीय मुसलमान हैं। इस सब के राजनैतिक मुद्दे, मांगे, महत्वाकांक्षाएं और मसले अलग अलग प्रकार की हैं, इसी लिए भारत जैसे विविधताओं से भरे समाज में मुस्लिम राजनीतिक विमर्श को भी चंद मामूली मुद्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, मुस्लिम राजनीति के सवाल, मुस्लिम समाज की मुश्किलें कोई सुप्रीम लीडर कोई सुप्रीम पार्टी के ज़रिए हल नहीं कर सकता बल्कि इसका हल केवल स्थानीय स्तर के राजनैतिक नेतृत्व से, सामुहिक क़िस्म की राजनीति से, साझा राजनैतिक आंदोलनों से, और स्थानीय राजनैतिक गठबंधनों से ही हल किया जा सकता है। दिल्ली, हैदराबाद, और पटना से उतर कर, चंद भावुक भाषण देकर अगर कुछ लोग मुसलमानों की लीडरशिप का दावा करते हैं तो वे आरएसएस की उसी विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जिसके अनुसार "मुसलमान एक अलग क़ौम हैं और उनसे अलग किस्म से ही निपटना चाहिए" मगर राजनीतिक रूप से मुसलमानों को एक क़ौम के रूप में देखने के अपने अलग क़िस्म के खतरे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम राजनीति में हम सबको वो सारे सवाल, सारे विमर्श को शामिल करना चाहिए जो स्थानीय स्तर पर मुसलमानों की रानीतिक चेतना को खड़ा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, मुसलमानों को किसी ख़ास क़िस्म के मुद्दे किसी ख़ास क़िस्म के दायरे से बांध देने पर सारे मुसलमानों के राजनीतिक सवाल अनसुलझे रह सकते हैं, हमें मुस्लिम राजनीति के विमर्श में अशराफ़ और पसमांदा के सवाल को शामिल करना होगा, हमें इसमें पसमांदा नेतृत्व को आगे लेकर आना होगा, हमें गैर उर्दूभाषी मुसलमानों के नेतृत्व को भी जगह देनी होगी, हमें उर्दू भाषी मुसलमानों में भी मध्यम वर्ग के मुसलमान और कामगार मुसलमानों के नेतृत्व को भी जगह देनी होगी, और उनसब की राजनीतिक समस्याओं को सामने रखकर ही कोई राजनीतिक विमर्श करना होगा, बंगाल के बीड़ी मज़दूर हैं, भागलपुर और बुराहनपुर और बनारस के कारीगर और बुनकर हैं, कोलकाता, कानपूर और बम्बई के चमड़ा कारीगर हैं, अलीगढ़ के ताला उद्योग से जुड़े कारीगर हैं, मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े कारीगर हैं, इन सबकी राजनैतिक समस्याएं बहुत जटिल हैं, लघु उद्योग से जुड़े लाखों मुसलमान आज भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, इनके मसले, सरकार की लघु उद्योग को लेकर बनाई गई पॉलिसियां क्यों नहीं मुस्लिम राजनीति का हिस्सा हो सकती हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये क्यों नहीं मुस्लिम राजनीति का हिस्सा हो सकती? कुल मिलाकर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर मुसलमानों के लिए जटिल से जटिल समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं, जो मुसलमानों के साथ अन्य समाज के लोगों की भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर के साझा राजनीतिक आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं, इसके नतीजे में मुसलमानों में से स्थानीय स्तर पर ऐसा नेतृत्व उभर कर आये जो स्थानीय समस्याओं पर अच्छी समझ रखता हो, स्थानीय राजनीतिक आंदोलन से उभर कर आया हुआ नेतृत्व मुसलमानों के मस्जिद क़ब्रिस्तान, मजलिस मुशायरा जैसे मुद्दे से आगे बढ़ते हुए उनकी मौलिक समस्याओं के निदान के लिए काम करे, इसी में हम सबकी भलाई है और इसी तरह की राजनीति को हमें अपने समाज में जगह देनी चाहिए, हमें अपने बीच अलग-अलग विचारों को, अलग-अलग सामाजिक समूहों को जगह देनी चाहिए, पसमांदा मुस्लिम और ग्रामीण मुस्लिमों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहये तब जा कर हम मुस्लिम राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ ही स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण को जन्म देती है, मुस्लिमों की सामाजिक मनोदशा और सांस्कृतिक विविधताओं को दरकिनार करके कोई भी नेतृत्व समाज का भला नहीं कर सकता।

लघु उद्योग से जुड़े लाखों मुसलमान आज भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, इनके मसले, सरकार की लघु उद्योग को लेकर बनाई गई पॉलिसियां क्यों नहीं मुस्लिम राजनीति का हिस्सा हो सकती हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये क्यों नहीं मुस्लिम राजनीति का हिस्सा हो सकती? कुल मिलाकर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर मुसलमानों के लिए जटिल से जटिल समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं, जो मुसलमानों के साथ अन्य समाज के लोगों की भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर के साझा राजनीतिक आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं, इसके नतीजे में मुसलमानों में से स्थानीय स्तर पर ऐसा नेतृत्व उभर कर आये जो स्थानीय समस्याओं पर अच्छी समझ रखता हो, स्थानीय राजनीतिक आंदोलन से उभर कर आया हुआ नेतृत्व मुसलमानों के मस्जिद क़ब्रिस्तान, मजलिस मुशायरा जैसे मुद्दे से आगे बढ़ते हुए उनकी मौलिक समस्याओं के निदान के लिए काम करे, इसी में हम सबकी भलाई है

रिपोर्ताज़

राशिद अनवर
अररिया, बिहार

मस्जिद परिचय

शहर के कुछ गणमान्य लोगों का एक मस्जिद में जमावड़ा हो रहा था अब इसे जमावड़ा कहें या मस्जिद दर्शन। कुछ लोग स्वेच्छा से, तो कुछ लोग निमंत्रण स्वीकार कर इसमें शामिल होने जा रहे थे, शाम ढल रही थी सूरज अपनी लाली बिखेर कर डूब चुका था, उधर मस्जिद से अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी-हां...हां अज़ान की आवाज़ जो रोज़ पांच बार आती है। कुछ लोग मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना अर्थात् नमाज़ में शामिल होने के लिए मस्जिद में एकत्रित होना शुरू हुए।

कुछ लोग मुंह-हाथ धो रहे थे जिसे इस्लामी शब्दावली में वुज़ू कहते हैं, जो मन को साफ़ करने से पहले तन को साफ़ करने की प्रेरणा जागृत करती है । पीछे आमंत्रित सज्जनों के लिए पंक्तिबद्ध कुर्सियां सजी हैं, जैसा किसी छोटे-मोटे समारोह में होता है, शहर के कुछ हिन्दू बुद्धिजीवी कुर्सी पर बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं । यहां झा जी भी हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, सिन्हा जी, पासवान जी और मांझी जी भी।

उधर नमाज़ की प्रक्रिया शुरू हुई इधर शर्मा जी, वर्मा जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं । वार्तालाप अर्थात् काना-फुस्की....हूं....हूं...शु...सबने जीवन में पहली बार किसी मस्जिद के अन्दर प्रवेश किया है, आपस में चर्चाएं हो रही हैं, मस्जिद क्या है ? एक सादा-सी इमारत, यहां न मुरली वाला है, न ही मुरली की धुन...न नटूआ है न नाटिन! फिर भी आराधना जारी है । लोग एकसाथ, क्रमबद्ध सजदे में जाते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं जैसे बिजली की बत्तियां एक साथ जलती हैं, बुझती हैं झक....भुक....झक....भुक....! यहां अनुशासन का अद्भुत एवं अनुपम दृश्य है! जैसे किसी फ़ौजी छावनी में परेड चल रही हो। हां परेड सावधन...विश्राम.. .यहां ख़ामोशी है, सुकून है, शांति है, मानो यह ही आध्यात्म की दुनियां हो। जिसके लिए लोग जंगलों में भटकते हैं, पहाड़ों पर यात्रा करते हैं, गुफ़ाओं पर शरण लेते हैं। थोड़ी देर के लिए शर्मा जी स्वयं आध्यात्म में लीन हो जाते हैं जैसे कह रहे हों आनन्द करो आनन्द...।

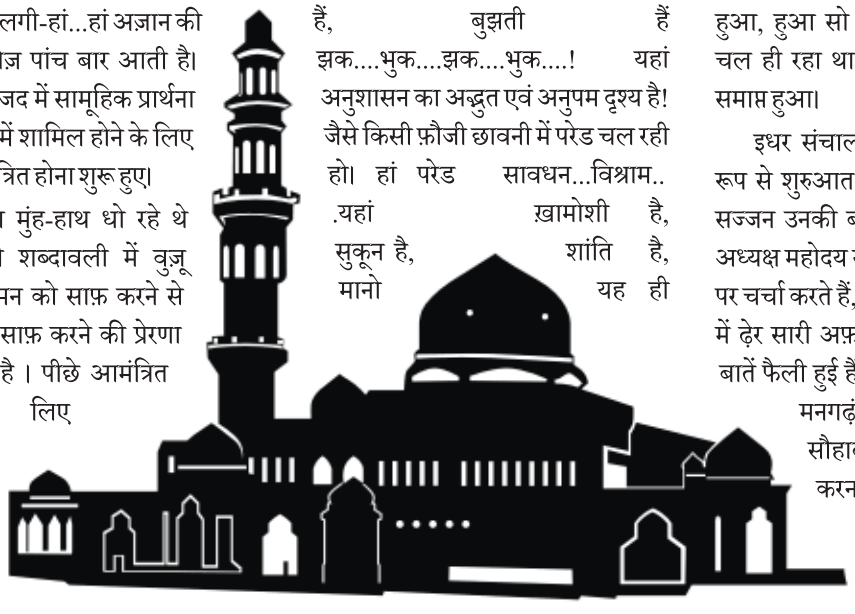

इधर पासवान जी दूसरी ओर खोए हुए हैं। बल्ब की रोशनी दीवार की टाइल्स से वापस हो रही थी तुरंत फ्लैशबैक पासवान जी का विद्यालय जीवन की यादें चलचित्र की भांति उनके दिमाग़ में उभरने लगती हैं और मास्टर साहब द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करती नज़र आती है। वास्तव में विद्यालय जीवन का आनन्द तो प्रायोगिक जीवन में ही मिलता है, जो एक-दूसरे को आपस में जोड़ती है। वर्षों बीतने के बाद पासवान जी को आज इस बात का एहसास हुआ, हुआ सो हुआ। अभी काना-फुसकी चल ही रहा था कि प्रार्थना अर्थात् नमाज़ समाप्त हुआ।

इधर संचालक कार्यक्रम की विधिवत् रूप से शुरुआत कर रहे थे, उधर आगंतुक सज्जन उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त में कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, हमारे यहां मस्जिद के संदर्भ में ढ़ेर सारी अफ़वाहें, पूर्वाग्रह एवं मनगढ़ंत बातें फैली हुई हैं इन अफ़वाहों, पूर्वाग्रह एवं मनगढ़ंत बातों को दूर कर समाज में सौहार्द एवं समरसता स्थापित करना ज़रूरी है। सौहार्द ही मानव में मानवीय मूल्य पैदा करती है, आपस में प्रेम बढ़ाती है, इसी बहाने हम समाज में एक अच्छा एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस बीच मस्जिद परिचय कराते हुए एक वक्ता कहते हैं कि मस्जिद तो सजदे का स्थान है जहां हमारे सर ऊपर वाले की वंदना के लिए झुकते हैं। यहां हर व्यक्ति बराबर होता है, न कोई राजा है न कोई रंक, न कोई राजसी ठाठ-बाट है, न ही कोई राजकीय सम्मान । सभी

एक ही पंक्ति में खड़े होकर ईश्वर की आराधना करते हैं, जहां कोई एक व्यक्ति बैठ गया तो उसको कोई उठा नहीं सकता। मजिस्द में लोग तन एवं मन दोनों से पवित्र होते हैं, सारी मस्जिदों का रुख़ एक ही दिशा अर्थात् काबा की ओर होता है, वहीं मस्जिद हमें सामूहिकता एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाती है।

इधर एक बन्दा नमाज़ में पढ़ी गयी एक सूरह का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं जिसमें एकेश्वरवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। हां, एकेश्वरवाद जिसकी शिक्षा आदम (अलैहि०) ने दी, मूसा (अलैहि०) ने दी, इबराहीम (अलैहि०) ने दी, जिसकी चर्चा वेदों में है, महोदय बताते हैं कि ईश्वर आदिकाल से है और अनंतकाल तक रहेगा, वह न तो किसी का पुत्र है न ही उसका कोई पुत्र है, जब कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था, कवि के शब्दों में "न कुछ था तो ख़ुदा था कुछ न होता तो ख़ुदा होता।" उसकी शक्ति सर्वव्यापी है वह सर्वविद्धमान है।

इधर प्रश्नोत्तरी का भी सिलसिला शुरू होता है क्या सिंहा जी, क्या झा जी, मन में ढेरों प्रश्न, कोतुहल क्या पूछें? क्या न पूछे? ढ़ेरों सवाल, उसके क्रमानुसार जवाब। यह भी किसी टीवी शॉ से कुछ कम नहीं.....लेकिन यहां न तो कैमरा है, न ही माइक्रोफ़ोन, न ही चीख़ते-चिल्लाते की आवाज़ें...हूं...शु...शु...! न ही स्क्रीन पर विज्ञापनों का शोर, न ही रेंटल गेस्ट जो अपनी बात कम सस्ती लोकप्रियता एवं बेइज़्ज़ती के लिए ज़्यादा आते हैं। यहां तो ख़ामोशी है...सुकून है बिल्कुल साहिले समुंद्र की तरह, पानी के तरंगों समान मधुर आवाज़, श्रोता एवं दर्शक की प्रसन्नता नदी के धारे के समान उछल-उछलकर प्रकट हो रही है।

लीजिए अब मस्जिद दर्शन से विदाई का समय आ गया, कार्यक्रम संयोजक श्रोताओं की उपस्थिति पर धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद कुछ इस तरह...

"आप आए इस चमन में शुक्रिया।

फूल बरसाए नयन में शुक्रिया।"

श्रोता आनन्द विभोर होकर लौट रहे हैं। जीवन का एक उदार आनन्द यह भी है कि अलग-अलग आस्था, विश्वास के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं कितना सुन्दर दृश्य है! सही में यह भारत है, हां...हां भारत अपना भारत...बहुलतावादी भारत...अनेकता में एकता वाला भारत...हां...हां...भारत, जय हिन्द-जय हिन्द।

हमारा पैग़ाम मुहब्बत है...

चाहे आप-हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, भले ही आपका संबंध किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो,

आस्तिक हों, नास्तिक हों, ईश्वरवादी हों, भौतिकवादी हों,

कांग्रेसी हों, जनसंघी हों, कम्यूनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, लीगी हों या आरएसएस के कार्यकर्ता,

आप कुछ भी हों, किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, यदि आप मानव हैं, मानवता का भला चाहते हैं, देश व राष्ट्र से आपको प्रेम है। आप चाहते हैं कि देश का भला हो, देश फले-फूले, विकसित हो, और प्रगति करे, आप चाहते हैं कि एक-एक व्यक्ति अच्छे चरित्र व आचरण का बने, भाईचारा बढ़े, राष्ट्रीय एकता पनपे,

अगर आपकी कामना है कि समाज आदर्श बनकर उठे, बुराइयां दूर हो, भलाइयां तरक़्क़ी करें तथा अगर आप चाहते हैं कि राज्य में कल्याणकारी सरकारें स्थापित हों, देश का शासक वर्ग अपनी जनता के सुख को अपना सुख और उसके दुख को अपना दुख समझें,

तो-आप स्मरण रखिए, पश्चिमी सभ्यता से लेकर साम्यवाद, समाजवाद सभी विफल हो चुके हैं। सफलता के पांव छूने वाली चीज़ केवल ईश्वरवाद, मरने के बाद के जीवन में कर्मों की जवाबदेही की भावना और ईशदूतों की रहनुमाई है।

आप मानें अथवा न मानें, आपको अधिकार है तथापि हमें तो अपना संदेश पहुंचा देना है। अर्थात्-

उनका जो फ़र्ज़ है अरबाबे सियासत जानें।

हमारा पैग़ाम मुहब्बत है जहां तक पहुंचे।।

सफ़र है शर्त



नोशीन 'नुशु'
सोका विश्वविद्यालय
टोकियो, जापान

क़िस्सा जापान का

जापान में रहते हुए मुझे लगभग चार साल हो गए हैं। इस दौरान कई बार हिन्दुस्तान छुट्टियों में आई। छुट्टियों में बहुत शिद्दत के साथ मैंने जापान को मिस किया। जापान की ख़ूबसूरती, वहां की बहुत ही भिन्न और समृद्ध संस्कृति ही इतनी आकर्षक है कि ये देश आपको अपना बनाकर ही छोड़ता है।

मेरे अपार्टमेंट से लगभग दस मीटर की दूरी पर एक बुज़ुर्ग अपनी बगिया में सब्ज़ियां उगाते हैं। अपने खाने के अलावा कुछ अतिरिक्त सब्ज़ियां वो बेचने के लिए भी निकाल देते हैं...।

मैं अक्सर वहां से जाकर फ्रेश सब्ज़ियां ख़रीद लाती हूं। दुकान कुछ इस तरह से है कि एक लकड़ी से बना हुआ शेड है जहां काउंटर में पैकेट सब्ज़ियां रखी होती हैं उनमें सब्ज़ियों के रेट लिखे होते हैं जो की बहुत ही सस्ते होते हैं। बगल में एक पैसों का बॉक्स रखा होता है। आप सब्ज़ी ख़रीद लीजिए और उसकी क़ीमत उस बॉक्स में डाल दीजिए। वहां न तो कोई कैशियर मौजूद है और न ही कोई कैमरा और ये वैजिटेबल काउंटर बुज़ुर्ग की बगिया से भी दूर है, इसलिए पैमेंट करते वक़्त किसी की निगरानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

विक्रेता और ग्राहक की ईमानदारी का ये सिलसिला एक दुकान या एक शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे जापान में देखने को मिलेगा।

साफ़-सफ़ाई और अपने आसपास को स्वच्छ बनाने की ज़िम्मेदारी जापान में सिर्फ़ सरकार की नहीं, बल्कि वहां का हर नागरिक इस ज़िम्मेदारी को बख़ूबी समझता है। सड़कों पर डस्टबिन ढूंढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी क़िस्म का कचरा या गंदगी नज़र नहीं आती। मेरे अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी तक की दूरी 15-20 मिन्ट की है, रास्ते में एक छोटी-सी ख़ूबसूरत नदी बहती है, उसका बहता पानी इतना पारदर्शी है कि आप उसकी गहराई का अंदाज़ा ख़ुद से लगा सकते हैं। यही नहीं उसमें तैरती मछलियां भी आपको नज़र आ जाएंगी। शुरुआती दिनों में जब बैंक अकाउंट खुलवाने या दूसरे पेपर वर्क की वजह से मुझे सिटी सेंटर और बैंक जाना हुआ, तब तबियत परेशान हो गई ये देखकर कि एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए 4-5 घंटे तो देना ही पड़ता है, लेकिन जब आप जापानियों की निपुणता देखते हैं और आगन्तुक के प्रति उनका सद्व्यवहार देखते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। बहुत ही विनम्रता और कोमलता से एक-एक सवाल का जवाब देना, एक-एक कस्टमर को पूरी अटेंशन देना, यही नहीं उस दौरान वह सेवा प्रदाता किसी और कस्टमर को न अपना समय देगा और न ही कोई कॉल रिसीव करेगा।

सारा ध्यान और सहयोग केवल कस्टमर की तरफ़ और काम में इतनी शुद्धता की किसी क़िस्म की त्रुटि का सवाल ही पैदा नहीं होता। जापान में सुरक्षा और ईमानदारी

ज़ाहिरी धार्मिकता के बजाय वास्तविक धार्मिकता का एक उदाहरण उनकी भाषाई शालीनता के साथ-साथ उनकी लिबास संबंधी शालीनता भी है, यद्यपि धर्म के मामले में जापानी बहुत उदार हैं मगर उनका उदारवाद, पश्चिमी उदारवाद से भिन्न है। वे बहुत फैशनेबल भी हैं मगर ऐसा पहनावा उन्हें पसंद नहीं जिसमें नग्नता हो। वहां के टेक्स्टाइल उद्योग पर सरकार की नज़र होती है ताकि लिबास की शालीनता भंग न हो-



का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपका वालेट हो या फ़ोन या कोई मामूली सामान, अगर आपने किसी बस ट्रेन या किसी पब्लिक या प्राइवेट एरिया में भूलवश छोड़ दिया है, तो आपको बाद में उसी जगह पर सामान वापस मिल जाएगा या वो किसी पुलिस स्टेशन में आपका इन्तिज़ार कर रहा होगा। कई बार तो कोई अल्लाह का बन्दा आपके घर तक भी वो सामान उसी हालत में लाकर छोड़ जाता है।

तनहाई पसन्दों के लिए जापान किसी धरती के स्वर्ग से कम नहीं। इन चार सालों में मैंने किसी को भी बुलंद आवाज़ में बात करते नहीं पाया। ट्रेन, बस या किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप चले जाएं, लोग अधिकतर बहुत ही धीमी आवाज़ और विनम्र भाव से ही बात करते हैं।

सेहत के प्रति हर जापानी की जागरूकता देखते बनती है। इनकी डाइट बहुत संतुलित और हेल्दी होती है। जापान की बेशुमार ख़ुबियों में से जिस ख़ूबी ने मुझे अपना फैन बनाया, वो है वहां के बाशिन्दों का अपने जीवन के प्रति एहसासे-ज़िम्मेदारी। इस बात की मिसाल कुछ इस तरह से दी जा सकती है कि मैं एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाती हूं, स्पष्ट है कि उनकी उमर 18-19 साल की है। मगर आपको हैरत होगी कि उन छात्रों में अधिकतर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बहुत अमीर और संभ्रांत परिवार से आने वाला छात्र भी आपको पिज्जा डिलीवर करते हुए या किसी रेस्टोरेंट में कुक या वेटर नज़र आ जाएगा और समाज में इन लड़कों को हमेशा बहुत ही आदर की नज़रों से देखा जाता है।

जापान की ख़ूबसूरती, वहां की प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा परन्तु सहज और स्वस्थ जीवन की इतनी मिसालें हैं कि शायद कई लेख सामने आ जाएं।

जापान धार्मिक स्वतंत्रता की अद्भुत मिसाल भी है, वहां का बड़ा धर्म 'बौद्ध धर्म' है, लोग प्रतीकात्मक धार्मिकता के लिहाज़ से उतने बौद्धिस्ट नज़र नहीं आते, जितना व्यवहार में बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण नज़र आता है-जापानी बहुत सीधे और भोले हैं, हिंसक होना तो दूर ग़ुस्से और ज़ोर से बोलना भी उन्हें स्वीकार नहीं। दूसरों को परेशान न करना उनका परम् धर्म है, आदर-भाव इतना पाया जाता है कि वे पहाड़ों और ट्रेनों को भी 'सान' अर्थात् भाई पुकारते हैं-जैसे 'फुजी सान, तकाव सान, आदी' (फुजी और तकाव जापान के पहाड़ हैं)

ज़ाहिरी धार्मिकता के बजाय वास्तविक धार्मिकता का एक उदाहरण उनकी भाषाई शालीनता के साथ-साथ उनकी लिबास संबंधी शालीनता भी है, यद्यपि धर्म के मामले में जापानी बहुत उदार हैं मगर उनका उदारवाद, पश्चिमी उदारवाद से भिन्न है। वे बहुत फैशनेबल भी हैं मगर ऐसा पहनावा उन्हें पसंद नहीं जिसमें नग्नता हो। वहां के टेक्स्टाइल उद्योग पर सरकार की नज़र होती है ताकि लिबास की शालीनता भंग न हो-

दुनिया में 'इस्लामोफोबिया' की जो लहर है, उसका कुप्रभाव भी कम नज़र आता है।

ندائے یتیم

VOICE OF ORPHAN BOYS

یتیم خانہ اسلامیہ گیا
ایک نظر میں



دینی وعصری علوم کی اپنے طرز کی مشہور اقامتی (Residential) تعلیم گاہ

● 102 سالہ خدمات ● بہت سارے شعبہ جات ● **تعلیمی مراحل** درجہ اطفال تا میٹرک (Matric) ● شعبہ حفظ وناظرہ: حفظ کے ساتھ ساتھ میٹرک ● ہر سال بہار اسکول بورڈ اکزامینیشن کا صد فیصد 100% رزلٹ ● **فاصلاتی تعلیم** *I.A, B.A. M.A. (Distance Education)* اور لائبریری سائنس (BLIS) میں 21-2022 کے سیشن کیلئے داخلہ جاری (اسٹڈی سنٹر یتیم خانہ اسلامیہ گیا: مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے منظور شدہ) ● کمپیوٹر (Computer) کی بھی تعلیم ● **کفالہ اسکیم** کے تحت ایک یتیم طالب علم پر سالانہ خرچ بیس ہزار (Rs:20,000/-) روپے ● 70 یتیم طلباء جن کا سارا خرچ ادارہ ہی برداشت کرتا ہے۔ **سالانہ خرچ** 25 لاکھ روپے سے زائد **ذریعہ آمدنی** مسلم عوام کے چندے ● آپ جس شکل میں ممکن ہو تعاون فرما کر اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کریں۔ **تعاون کی شکلیں**: مثلاً ● زکوٰۃ ● عطیات ● صدقات ● پیداوار کی زکوٰۃ ● چرم قربانی ● ایک یتیم بچے کا سالانہ خرچ ● بینک (Bank) کے سود (Interest) کی وہ رقم جو مسلمانوں کے لئے حرام ہے غریب یتیم طلباء کی جہالت دور کرنے اور تعلیم پھیلانے کے لئے لڑکوں کے دارالیتامیٰ فنڈ میں دیں۔ ● اپنے یا کسی بزرگ کے نام کمرہ یا ہال بنوانا وغیرہ **یاد رکھیں!** یہاں ہر سال آڈٹ (Audit) بھی کرایا جاتا ہے۔ آپ ادارہ میں پہنچ کر مساوات کا مثالی اور عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح یتیم اور غیر یتیم بچے مل کر رہا کرتے ہیں۔ **نوٹ** ❶ عنایت انڈسٹریل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ (*Enayeth Industrial Training Institute*) کی تعمیر عمارت کا کام مکمل ہے۔ داخلہ جولائی 2018 سے الکٹری شین ٹریڈ (Electrician Trade) میں شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا فیٹر (FITER) کا ٹریڈ ہے۔ داخلہ جاری ہے۔ یہ N.C.V.T (بھارت سرکار) سے منظور شدہ ہے۔ ❷ پُرفضا مقام پُرسکون ماحول / اسلامی لباس / اسلامی یونیفارم اور اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم خرچ میں بہار بورڈ کے نصاب کے ساتھ معیاری تعلیم۔ ❸ یتیم طلباء جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے ان کے قیام وطعام کے ساتھ ساتھ ایک بیٹے کی طرح یہاں ساری سہولت مالکل مفت دی جاتی ہے۔ ❹ بیرونی طلباء کے لئے اپنے خرچ پر ہاسٹل کا بھی نظم ہے۔ ❺ قوم کے معزز حضرات سے گزارش ہے کہ قوم کے یتیم بچوں کو ادارہ میں داخل کرانے کے لئے زحمت کریں اور توجہ دلائیں۔ ❻ یتیم طلباء کا داخلہ، تعلیم مع طعام وقیام اور رہائش مالکل مفت ہے۔

آپ توجہ دیں: ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادارہ مالی بحران میں ہے، آمدنی گھٹ کر نصف سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ سال ملک کے دینی اداروں کے لئے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہے۔

ادارہ آپ سے فراخدلانہ تعاون کی اپیل کرتا ہے

یہ ادارہ غیر ملکی زرکے قانون FCRA کے تحت بھی رجسٹرڈ ہے۔

غیر ملکی چندہ دھندگان (Foreign Donors)

Name: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"

- **BANK A/C NO: 3004020100000187**
- **Bank Swift Code : UBININBBJAM or IFS Code No: UBIN 0530042**
- **BANK·UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)**

نوٹ باہر ملک کے حضرات اوپر لکھے ہوئے اکاؤنٹ نمبر پر اپنی رقم ڈالر، ریال اور پونڈ وغیرہ میں بھی بھیج سکتے ہیں

چیک وڈرافٹ پر صرف یہ لکھیں: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"

برائے رابطہ (خط، چیک وڈرافٹ اور منی آرڈر بھیجنے کا پتہ)

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At + P.o: CHERKI - 824237,Distt: GAYA (BIHAR) INDIA

ہندوستانی چندہ دھندگان (Indian Donors)

Name: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"

- **CORE BANKING A/C NO: 300402010010581**
- **Bank IFS Code No: UBIN 0530042**
- **BANK: UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)**

نوٹ: ہندوستانی صوبوں میں رہنے والے حضرات ہندوستانی چندہ دہندگان والے اکاؤنٹ نمبر پر اپنی رقم بھیجیں۔

Mobile: 09801213022, 09955655960
❶ E-mail:gmocde@yahoo.co.in
❷Old boys association:website:www. gmogaya.org

نوٹ: Documentary film—Nazr-e-Enayat جس میں دونوں یتیم خانہ کی مختصر تاریخ ہے۔ انٹرنیٹ You-Tube پر دیکھیں۔

یاد رکھیں: یتیم خانہ نے اپنی زندگی کے اکتوبر ۲۰۱۷ء میں سو سال مکمل کر لئے ہیں، اسلئے ۲/اور ۳/دسمبر ۲۰۱۷ء کو یتیم خانہ میں سو سالہ صدی کا جشن بڑے ہی تزک واحتشام کے ساتھ منایا گیا۔

نوٹ: کور بینکنگ اور On Line والے حضرات E-mail یا ڈاک سے مکمل پتہ بھیج دیا کریں تاکہ اسی پتے پر رقم کی رسید روانہ کی جا سکے۔

صدر ڈاکٹر فراست حسین **اعزازی ناظم ڈاکٹر زیڈ ایچ خان**

आख़िरी पन्ना



सादी इलाहाबादी

ईश्वरीय ग्रन्थ का 'निजिकरण' !

ईश्वरीय ग्रंथों के साथ एक बड़ी त्रासदी ये हुई है कि उनका निजीकरण हो गया...वो किताबें जो revelation होने का दावा करती हैं, उनका क्रिस्चियन्स की धार्मिक किताब या मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कहना और समझना हास्यास्पद है। कम से कम क़ुरआन के संबंध में बहुत यक़ीन के साथ ये कहा जा सकता है कि वो सबके लिए हिदायत अर्थात् मार्गदर्शन है। तमाम इंसानों के लिए है, का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि तमाम इंसान उसके addressee हैं, बल्कि तमाम इंसानों को उसकी व्याख्या और विवेचना का हक़ भी हासिल है, क्योंकि हिदायत की प्रक्रिया व्यक्ति की ज़ात की हद तक, व्याख्या और विवरण के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती... हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने एक मौक़े पर कहा था कि तुम इसे उन तक ज़रूर पहुंचाओ जो यहां मौजूद नहीं है, हो सकता है वो इसे तुमसे ज़्यादा बेहतर समझें... इसलिए अपने सीमित अध्ययन की हद तक हम देखते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की जीवनी के हवाले से Orientalists ने बहुत से ऐसे नुक़ते और पहलू पर रोशनी डाली है जो बड़े-बड़े मुस्लिम 'सीरत निगार' को भी सुझाई न दिए। अभी हाल में ट्रिपल तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें तलाक़ से संबंधित आयात की जो व्याख्याएं हैं, मैं उन जजों की क़ुरआनी समझ पर दंग रह गया।

ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर की तरफ़ से जो हिदायत आती है, उस पर किसी एक तबक़े की मनमर्ज़ी उसी तरह इंसानियत के लिए हानिकारक है जिस तरह दुनिया के दूसरे रिसोर्सेस मसलन हवा-पानी-रोशनी आदि पर कोई एक तबक़ा क़ाबिज़ हो जाए तो पूरी इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क़ुरआन की गवाही से पता चलता है कि पिछले ग्रंथों में जो गड़बड़ियां हुईं उनकी वजह ये भी थी कि वो ग्रंथ एक गिरोह के बीच गर्दिश करता रह गया और उन्होंने आपस की ज़िद्दम-ज़िद्दा में ख़ुदाई हिदायत को आपसी विरोध और दुनियावी फ़ायदे की ख़ातिर झगड़े का मैदान बना लिया था...इस त्रासदी पर क़ुरआन यूं मातम करता है कि इन्होंने बाद में आने वाली जेनरेशन के लिए ख़ुदा की किताब को मशकूक बना डाला...सच की कई डायमेंशन होती हैं, सच के सामने आने का मतलब ये है कि वो अपनी तमाम डायमेंशन के साथ सामने आए इसी तरह सच को छिपाने और सच को बयान न करने के कई बहाने होते हैं। एक शख़्स या वर्ग की कम-इल्मी, सीमित सोच, ये कामन रुकावटें हैं...ख़ुदा ने क़ुरआन की हिफ़ाज़त का जो ज़िम्मा लिया है इसका मतलब अरबी वर्णमाला और अरबी शब्दों की हिफ़ाज़त नहीं है, न ये कोई चमत्कारिक क़िस्म की हिफ़ाज़त है, बल्कि इस किताब में वो बुनियादें रख दी गयी हैं, वो रेखाएं खींच दी गई हैं, जिनके उल्लंघन का मतलब है इसकी एक महफ़ूज़ किताब होने की हैसियत को ठेस पहुंचाई जाए और इसमें से पहली बुनियाद ये है कि इसे आम इंसानों के लिए हिदायत-नामा बनाया, इसे मुसलमानों की नहीं इंसानों की किताब बनाया...इसलिए इसकी हिफ़ाज़त का काम भी आम इंसानों से ही लिया जाएगा। इसकी व्याख्या और विवरण का हक़ भी तमाम इंसानों को हासिल होगा, जैसे किताब-ए-कायनात के पन्ने सबने मिलकर पलटे तो साइंस वजूद में आई उसी तरह किताब-ए-हिदायत के पन्ने सब मिलकर खोलेंगे तो मुझे यक़ीन है इंसानियत को बड़ी मज़बूती मिलेगी...Existence of God के पक्ष में जो कुछ काम हुआ है, चाहे वो ईसाई दुनिया में हुआ हो या हिंदू स्कॉलर्स के द्वारा या मुसलमानों ने किया हो, मै समझता हूं इस काम को पूरी इंसानियत का सरमाया समझना चाहिए और सारे मज़हब के मानने वालों को एक-दूसरे की तहक़ीक़ से, तर्कशास्त्र से और इस पक्ष को रखने का जो कुछ ढंग और शैली अब तक दर्याफ़्त हो सका है, उससे भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह क़ुरआन ने दो शब्दावली 'मारूफ़ और मुनकर' इस्तेमाल की है जिसे सूचिबद्ध करने का हक़ सिर्फ़ मुस्लिम स्कॉलर्स को या किसी एक तबक़े को हरगिज़ नहीं दिया जा सकता...ये इंटरनेशनली, जैसे फिज़िक्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स तय की गयी है, उसी तरह तय होनी चाहिए...।

Millennium Public School

Azad Colony, Pabra Road, Hazaribagh, Jharkhand
Affiliated to CBSE New Delhi. **Affiliation No :** 3430377



CURRICUCLUM

The school has classes from I to class VIII. It is an outstanding Co-Education English medium School, Follows C.B.S.E. curriculum and the syllabus prescribed by N.C.E.R.T. upto VIII.

Physical Education and computer education are considered an integral part of space education of the boys and girs apart from this drawing, dance & Songs are taught as extra activities to sharp their talents.

KANTI Monthly, New Delhi
FEBRUARY 2021
Posted on 20-21 January 2021
Published on 18 January 2021
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2018-2020
Total Pages with Cover: 52

MUSLIM MATERNITY & CHILDREN'S HOSPIT!L

مسلم میٹرنٹی اینڈ چلڈرنس ہاسپٹل

Hospital is recognized for Post Graduate Courses in DNB Obstetric/Gynec & Paediatrics, Fellowship in Neonatology by IAP, B.Sc Nursing College, MRCOG, MRC PCH, M.D Texila American University .

Osmanpura, Hyderabad-24 Ph:No.040-24522005,24522006,24522008
Hospital with Values, Vision & Mission.

Website: www.muslimmaternityhospital.in **E-mail:muslimmaternityhospital@gmail.com**

DEPARTMENT OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS

SERVICES
•Gynecology •Obstetric •Infertility Clinics

INSTITUTE OF CHILD HEALTH

SERVICES: •NICU •PICU •Kangaroo Mother Care (KMC) for low birth & Premature Babies •Super Speciality Pediatric Services (Pediatric Surgery, Pediatric Cardiology & Pediatric Endocrinology) •Immunization and Circumcision Facilities •Our 40 bedded NICU is well Equipped with infant warmers •Phototherapy Units, Portable X Ray and Ultrasound Machines •HFO Ventilators and CP!P Machines, Laminar Flow work stations •Hepafilters in NICU.

MUSLIM DIAGNOSTIC & RESEARCH LABORATORY

SERVICES:
•Biochemistry •Clinical Pathology •Immunology, Serolog y •Cytopathology • Histopathology •Hormonal Studies by !dvia Centuer CLI!, etc.

Emergency Services: •!ntenatal Scan •Whole !bdo men Scan •Female Pelvic Scan •High Resolution Scan •Colour Doppler Study •Ultra Sound Guided Procedures •Digital X-Ray Facility •TIFF! •Growth Scan.

CIRCUMCISION FACILITY

Monday to Saturday Timings: 2 PM to 5 PM

POLY CLINIC SERVICES

•General Medicine •General Surgery •Orthopedics •Dental Service •Dermatology & Cosmetology •Endocrinology , Pediatric Surgery •Laproscopy •Physiotherapy •Diet & Nutrition

Dr. M.Elias Ali Khan – M.D.
Chief Executive Officer

Under the Management of Islamic Social Society (ISSS) Regd.No.565/70), Hyderabad

A CHARITABLE INSTITUTION

President	Vice President	Secretrary	Joint Secretary
Hamed Md. Khan	Dr. M.K.M Zafer	Md. Rashad Uddin	Md. Zia Ur Rahman Siddique